अध्याय - 9

अनुशासनिक कार्रवाई

[1]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक 06 जनवरी, 2010

विषय :– सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संस्थित कार्यवाही का कुप्रभाव के संबंध में।

सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि किसी सरकारी सेवक की सेवानिवृति के उपरांत बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित रहने या आपराधिक कार्यवाही संस्थित रहने की स्थिति में सेवाकाल की देय प्रोन्नतियों पर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं।

चूँकि सेवाकाल के आरोपों के कारण ही किसी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित या आपराधिक कार्यवाही संस्थित होती है, अतः जिस प्रकार सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही/संस्थित आपराधिक कार्यवाही के कारण विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष संकल्प सं० 7457 दिनांक 11.09.02 के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में रखा जाता है उसी प्रकार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत संचालित या सम्परिवर्तित विभागीय कार्यवाही या संस्थित आपराधिक कार्यवाही के कारण भी विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखने का आधार होता है।

अतः राज्य सरकार ने, संकल्प सं० 7457 दिनांक 11.09.2002 के क्रम में, यह निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी सेवक की सेवानिवृति के उपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है या सेवाकाल में संचालित विभागीय कार्यवाही सेवानिवृति के उपरान्त पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत कार्यवाही में सम्परिवर्तित की जाती है अथवा कोई आपराधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है तो ऐसे सेवानिवृत सरकारी सेवकों के सेवाकाल की देय प्रोन्नतियों के संबंध में विभागीय प्रोन्नति समिति का उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया भविष्य में आयोजित की जानेवाली सभी विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा तब तक अपनाई जाती रहेगी जब तक कि संबंधित सेवानिवृत सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है।

आदेश :आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
अजय कुमार चौधरी
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम–45/2008 का० 170 पटना, दिनांक 06 जनवरी, 2010

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

अजय कुमार चौधरी
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम–45/2008 का० 170 पटना, दिनांक 06 जनवरी, 2010

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/लोकायुक्त का कार्यालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अजय कुमार चौधरी
सरकार के उप सचिव

---

[2]

पत्रांक–3/एम–70/2009 का०–5659

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

<u>सभी विभाग</u>
<u>सभी विभागाध्यक्ष</u>
<u>सभी प्रमंडलीय आयुक्त</u>
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 20. 11. 2009

विषय :– सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का कालबद्ध निष्पादन और ससमय उसे तार्किक परिणति तक पहुँचाये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में आवश्यक विलम्ब के निराकरण हेतु कार्यवाही के विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिए समय–सीमा का निर्धारण इस विभाग के पत्रांक 2178 दिनांक 28 फरवरी, 2007 के तहत किया गया था और यह अनुरोध किया गया था कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें (प्रतिलिपि संलग्न)।

परन्तु, उपर्युक्त अनुदेश के बावजूद कतिपय दृष्टांत सामने आए हैं जिनमें पाया गया है कि कार्यवाही संपन्न करने और प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई करने में अनावश्यक विलम्ब किया गया है। ऐसा अनावश्यक विलम्ब होने से अनेक मामलों में सरकारी सेवक सेवानिवृत हो जाते हैं, परन्तु कार्यवाही लंबित ही रह जाती है।

सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है। विभागीय कार्यवाही को ससमय तार्किक परिणति तक पहुँचाया जाना प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपेक्षित होता है। अतः अनुरोध है कि इस विभाग के संलग्न पत्र संख्या 2178 दिनांक 28 फरवरी, 2007 में, विभागीय कार्यवाही के विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित समय–सीमा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ताकि विभागीय कार्यवाही की ससमय तार्किक परिणति हो सके।

विश्वासभाजन

दीपक कुमार

सरकार के प्रधान सचिव

पत्र संख्या–2/क्यू० (वि० स०)–4010/2006 का०–2178

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

भगलु रजक,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/विभागीय जाँच आयुक्त

सभी जिलाधिकारी

पटना–15, दिनांक 28 फरवरी, 2007

विषय :– सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का कालबद्ध निष्पादन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि प्रायः ऐसा पाया गया है कि गबन/भ्रष्टाचार/बेईमानी आदि से संबंधित मामलों में सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है। इस संबंध में पूर्व में समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत इन मामलों के निष्पादन हेतु समय–सीमा को भी निर्धारित किया जा चुका है। परन्तु, उनका अनुपालन नहीं हो पाता है। अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाहियों के समय पर पूरा नहीं होने से संबंधित सरकारी सेवक के साथ न्याय होने में विलम्ब होता है। फलस्वरूप न्यायालय में वाद भी दायर होते हैं।

2. अतः पूर्व में इस विषय पर निर्गत परिपत्र/परिपत्रों को एतद् द्वारा अवक्रमित करते हुए तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही के विभिन्न चरणों को पूरा करने के निमित्त निम्नांकित रूप से पुनरीक्षित समय–सीमा का निर्धारण किया जाता है :–

विभिन्न चरण		समय–सीमा
(1)	परिवाद/लांछन की प्राप्ति के पश्चात लांछन की सचाई की जाँच हेतु अपेक्षित प्रारंभिक कार्रवाई/स्पष्टीकरण/समुचित निर्णय आदि।	एक माह
(2)	यदि अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है तो आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) का गठन।	एक माह
(3)	अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अग्रेतर कार्रवाई का विनिश्चय/आरोप–पत्र साक्ष्य सहित आरोपित सरकारी सेवक को भेजा जाना/आरोपित सरकारी सेवक द्वारा अपना लिखित बयान देना/लिखित बयान के आधार पर निष्कर्ष का अभिलेखन।	दो माह
(4)	उक्त नियमावली के नियम–17 के अनुसार कार्रवाई सम्पन्न करने की अवधि	छः माह
(5)	उक्त नियमावली के नियम–18 के अनुसार कार्रवाई	दो माह
		कुल – 12 माह (एक वर्ष)

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त पुनर्निर्धारित समय–सीमा से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/कार्यालयों को अवगत करा दें और इनका अनुपालन सुनिश्चित करावें।

विश्वासभाजन,
भगलु रजक
सरकार के संयुक्त सचिव

---

[3]

पत्र संख्या–3/सी०–45/2009 का०–1927

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 09 अप्रैल, 2009

विषय :– एल०पी०ए०नं०–262/08 (अखिलेश कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 26.08.08 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश।

महाशय,

निदेशानुसार एल०पी०ए०नं०–262/08 (अखिलेश कुमार शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2008 को पारित न्यायादेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं मार्गदर्शनार्थ संलग्न कर भेजी जाती है।

विश्वासभाजन

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

LPA No. 262 of 2008

AKHILESH KUMAR SHARMA

Versus

THE STATE OF BIHAR & ORS

For the appellant: Mr. Yaduvansh Giri, Senior Advocate

Mr. Bindhyachal Singh, Advocate

Mr. Prashant Kumar, Advocate

For the respondents 1 to 6 : Mr. P.K. Verma,

Additional Advocate General - XI

PRESENT

Hon'ble the Chief Justice

&

Hon'ble Mr. Justice Kishore K. Mandal

Dated, the 26th August, 2008

We heard Mr. Y.V. Giri, the senior counsel for the appellant.

2. The appellant is an unsuccessful petitioner. In the writ petition filed by him, he prayed for quashing the memo dated 04th April, 2007, whereby he has been placed under suspension under rule 9(2) (a) as well as 9(1)(c) of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 (For short, 'Bihar CCA Rules, 2005').

3. Bereft of unnecessary details, a few admitted facts may be noticed by us first. On 17th March, 2007, a criminal case under Sections 7/13 (2) read with Sections 13(1) (d), 8 and 9 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (for short, 'PC Act') was registered against the petitioner. He was taken in custody on that very day. On 04th April, 2007, the order came to be issued suspending the petitioner with effect from 17th March, 2007 in exercise of powers under rules 9(2) (a) as well as 9(1) (c) of the Bihar CCA Rules, 2005. A charge sheet before the criminal court upon completion of investigation came to be filed against the

petitioner on 10th May, 2007. The petitioner is said to have been released on bail on 20th July, 2007. The disciplinary proceedings against the petitioner have also been initiated and the departmental charges are said to have been framed on 28th December, 2007.

4. The thrust of the submission of the senior counsel is that the order of suspension dated 04th April, 2007 is relatable to rule 9(2) (a) of Bihar CCA Rules, 2005 only and, therefore, upon release of the petitioner on bail on 20th July, 2007, for want of any subsequent order of suspension having been issued, the order of suspension dated 04th April, 2007 stands automatically revoked. He placed reliance upon two decisions of this court, namely : (i) Satya Narayan Pd. Shrivastava Vs. State of Bihar & others, 1978 BBCJ 208 and (ii) Vidya Singh Vs. State of Bihar & ors. 1993(2) PLJR 597.

5. The senior counsel would also urge that although the order dated 04th April, 2007 mentions invocation of rule 9(1) (c) of the Bihar CCA Rules, 2005 as well but the said rule could not have been invoked as the special provision contained under rule 9(2) (a) was invoked after the petitioner was taken in custody and his detention continued for a period exceeding forty-eight hours. He also urged that simultaneously departmental proceedings has been initiated and since the departmental charges were not framed within ninety days of the order of suspension, the order of suspension stands revoked under rule 9(7) of the Bihar CCA Rules, 2005 also.

6. After giving thoughtful consideration to the submissions of the senior counsel and upon consideration of the entire matter, we find the submission devoid of any substance.

7. Rule 9 of the Bihar CCA Rules, 2005 deals with suspension of a government servant. It provides thus :

"9. **Order of Suspension :** (1) The appointing authority or any authority to which the appointing authority is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the Government by general or special order, may place a government servant under suspension when—

(a) a disciplinary proceeding against the government servant is contemplated or is pending, or

(b) in the opinion of the authority aforesaid, the government servant has engaged himself or herself in activities prejudicial to the interest of the security of the State, or

(c) a case against the government servant in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial and the competent authority is satisfied that it is expedient to suspend the government servant in public interest.

(2) A government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority with effect from the following date-

(a) from the date of his or her detention, if he or she is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight hours.

(b) from the date of his or her conviction, if, in the event of a conviction for an offence he or she is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsory retired consequent to such conviction.

Explanation - The period of forty-eight hours specified in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the date of commencement of the imprisonment after the conviction and for this

purpose intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) (i) After the custody period under sub-rule (2), the period of deemed suspension shall be deemed to end when the government servant give his joining and the joining shall be accepted.

(ii) If a decision is taken to suspend the government servant again under sub-rule (1) (a), or (b) or (c), then such action may be taken only after acceptance of joining and by issuing a separate order.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal or on revision under these Rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(5) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold further inquiry against the government servant to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case, on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the appointing authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

(6) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent.

(b) Where a government servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him or her during the continuance of that suspension, the authority, competent to place him or her under suspension, may, for reasons to be recorded by it in writing, direct that the government servant shall continue to be under suspension till the termination of all or any of such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may, at any time, be modified or revoked by the same authority who or whose subordinate authority has passed such order.

(7) Charge-sheet must be framed within three months from the date of issue of suspension order failing which on expiry of three months, the suspension order shall be revoked unless the authority, which issued the suspension order, passes the order renewing the suspension along with reasons to be recorded in writing for the delay in framing of charge-sheet for a further period of four months;

Provided that after the expiry of extended period of four months the suspension order shall stand revoked if the charge-sheet is not framed."

8. Inter alia, under rule 9(1) (c), if a government servant is accused of a criminal offence and such criminal offence is under investigation, inquiry or trial, the competent authority, being satisfied that it was expedient to suspend the government servant in public interest, may pass an order of suspension. Rule 9(2) is a provision of legal fiction. As per the said provision, if a government servant remains in custody for a period exceeding forty-eight hours, he is deemed to have placed under suspension by an order of competent authority. Where the government servant has been suspended under rule 9(2) by way of legal fiction, the period of deemed suspension comes to an end if the government servant reports for duty. If the government servant is to be suspended, then such action may be taken after acceptance of joining and by issuing a separate order under rule 9(1) (a) or (b) or (c), as the case may be. It is pertinent to notice that in the present case, the competent authority, not only invoked rule 9(2) (a), but simultaneously invoked rule 9(1)(c) in issuing an order of suspension. The order dated 04th April, 2007 is a composite order issued in exercise of the power under rule 9(1) (c) as well as rule 9(2) (a). In our opinion, where an order of suspension has been passed by a competent authority invoking rule 9(1) (c) and rule 9(2) (a) simultaneously, upon release of the government servant from the custody, the order of suspension cannot be said to have come to an end automatically by legal fiction under rule 9(3)(i), nor a fresh order of suspension is required as there is already an order under rule 9(1) (c).

9. In the case of Satya Narain Prasad, the Division Bench of this Court considered the matter thus :-

"6. Learned Government Pleader appearing on behalf of the respondent-State, however, pointed out that in the aforesaid judgments only part of rule 99 was taken into considiration, and, as such, the point at issue needs reconsideration by a larger Bench. According to the learned Government Pleader, rule 99 applies under three contingencies, (i) when a proceeding has been taken for arrest for debt, (ii) when a proceeding has been taken on a criminal charge, (iii) when the person concerned is under preventive detention. Then such a Government Servant should be considered as under suspension for the periods during which (i) he is detained in custody, (ii) he is undergoing imprisonment, (iii) until termination of the proceeding taken against him, and (iv) until he is released from detention i.e., from preventive detention. Learned Government Pleader has submitted that in view of the language of rule 99, in certain circumstances, a Government servant can be considered to be under suspension until the termination of the proceeding, which will mean termination of the proceedings taken on a criminal charge. In such a situation, according to him, it cannot be said that power under rule 99 is co-extensive upto the day of release from custody only; it can extend even upto the termination of the proceedings taken against him on a criminal charge, and in the instant case admittedly as the criminal proceeding has not been terminated, the order under rule 99 cannot be held to be invalid. No doubt, at a first impression this argument looks attractive, but I shall immediately show that if rule 99 is read along with rule 100, it is difficult to come to this conclusion. Rule 100 empowers the authorities concerned to put a Government Servant, against whom a criminal charge or a proceeding for arrest for debt is pending, under suspension "during period when he is not actually detained in custody or imprisoned (e.g., while released on bail)". If it is held that the order under rule 99 can remain in force till the proceeding which has been taken on a criminal charge is terminated, then there was no necessity of making a specific provision to cover that very situation under rule 100 when such person is not actually detained in custody. If rule 99 is interpreted to cover even that period, then, in my view, rule 100 will be redundant. It is well settled principle of construction that different sections or different rules should not be

interpreted in a manner which may result in any of the sections or the rules being held to be redundant, and in such a situation Courts have also construed such sections and rules in a harmonious manner so as to give justification for their existence. In my opinion, applying the aforesaid principle the two rules have to be interpreted to mean that under rule 99 a Government Servant is to be considered as under suspension only for the period during which he is detained in custody or is undergoing imprisonment. After he is released from custody, then in order to put him under suspension, a specific orders under rule 100 has to be passed. I am in respectful agreement with the view expressed by this Court in the aforesaid three judgments, and I do not consider it necessary to refer the matter to a larger Bench. The result will be that it has to be held that the order of suspension passed on 1.8.1968 against the petitioner will be operative only upto 19.8.1968, i.e., till he was in custody.

7. Now the next question which remains to be answered is as to whether the aforesaid order under rule 100 (annexure-A to the counter-affidavit) passed during the pendency of the writ application saying that the petitioner will be deemed to be under suspension since the date on which he was released on bail can be interpreted to mean that even if this period is not covered by the order under rule 99, now it will be covered by the latter order and the petitioner will be deemed to be under suspension even during this period.

8. Learned Government Pleader has submitted that the power under rule 100 is very wide and a person against whom a criminal charge is pending can be put under suspension, although he may not have been taken in custody. Similarly, he can be put under suspension after he has been released from custody during the pendency of a criminal charge. There is not difficulty in accepting this submission. But, the point is as to whether the power under rule 100 can be exercised retrospectively. What is the basic idea behind the order of suspension was interpreted by the Supreme Court in the case of the Management of Hotel Imperial, New Delhi and others V. Hotel Worker's Union where it was pointed out when power to suspend is granted either in the contract of employment or in the Statute or in the Rules framed thereunder, suspension has the effect of temporarily suspending the relationship of master and servant with the consequence that the servant is not bound to render services and the master is not bound to pay. What will happen if factually the servant concerned has actually rendered service and master has actually paid ? Can in such a situation what has actually happened be undone by passing a retrospective order of suspension ? In my opinion, if it is held that under rule 100 a Government Servant can be put under suspension retrospectively, it will lead to an anomalous position. Although the government servant concerned might have actually worked, but by passing a retrospective orders it will be deemed that during that period he has not worked at all. This aspect of the matter was examined by a Bench of the Calcutta High Court in the case of Hemanta Kumar Bhattacharjee vs. S. N. Mukherjee. In that case rules I and 2 of the Fundamental Rules were considered, which are more or less similar to rules 99 and 100 of the Service Code. In that connection it was observed :

"Thus, the basic idea underlying the root word 'suspend' and all its derivatives is that a person, while holding an office and performing its functions or holding a position or privilege, should be interrupted in doing so and debarred for the time being from further functioning in the office or holding the position of privilege. He is intercepted in the exercise of his functions or his enjoyment of the privilege and put aside, as it were, for a time, excluded during the period from his functions or privileges. Such being the concept

of a suspension order, suspension with retrospective effect is a contradiction in terms.

The antecedent period which an order of suspension with retrospective effect might be intended to cover, would ordinarily be a period during which the person concerned had already performed the duties of his office or held the relevant position. There can be no meaning in suspending a man from working during a period when the period is past and he has already worked or suspending a man from occupying a position or holding a privilege in the past when he has already occupied or held it."

It has been acknowledged on all counts that on the basis of a deeming clause, Legislature can bid to imagine certain things which actually, on the relevant date did not exist, but that is not to be presumed while constructing orders which are purely executive in nature. Rule 100 has simply vested power in the authorities concerned to pass an order suspending a Government servant. It does not say in express term that such orders can be passed retrospectively as well. In my opinion, unless the Rules specifically provide, this cannot be done by purporting to pass an order under rule 100 of the Service Code. My this view is also supported by the judgments in the case of Satkari Chatterji v. Commissioner of Police, Calcutta and Sisir Kumar Chattopadhaya vs. The State of West Bengal and others. In such a situation, it is difficult to accept the contention raised on behalf of the respondent-State that the respondent-Director of Agriculture was well within his power in passing the aforesaid order dated 13.4.1976 (Annexure - A to the counter-affidavit) putting the petitioner under suspension since the date he was released from custody. In my view, that order will be operative only since 13.4.1976 when the order in question was passed."

10. In the case of Vidya Singh, the following observations were made by the Division Bench :

"3. The submission of the petitioner is that under Rule 99 of the Bihar Service Code, a person is deemed to be under suspension if he is taken into custody. However, after his release from detention custody, if he reports for duty, he must be allowed to join unless any other order of suspension has been passed under rule 100 of the Bihar Service Code. In this view of the matter the respondents are directed to permit the petitioner to join his duty and to pay to him all the dues payable to him in accordance with law. This is subject to any order that the competent authority may pass under rule 100."

11. In the two decisions afore-referred, upon which reliance has been placed by the senior counsel, rules 99 and 100 of the Bihar Service Code, 1952 were under consideration. Firstly, the two provisions, namely rule 99 and 100 of the Bihar Service Code, 1952 are not exactly identical to the provision contained in rule 9 [to be specific rule 9(1) (c) and rule 9(2) (a)]. Secondly, and more importantly, in none of these two cases the composite order under rule 99 and rule 100 was issued by the concerned authority. Had there been composite order of suspension by the authority invoking rules 99 and 100 together, ought we know what would have been the decision.

12. If a competent authority passes an order of suspension in the public interest against a government servant who has been charged in the criminal offence and the criminal offence is under investigation, inquiry or trial by invoking section 9(1) (c), we are afraid, such order of suspension is not rendered bad in law, merely because rule 9(2) (a) was also invoked as the government servant had been in detention for a period exceeding forty-eight hours and later on he came to be released on bail.

13. In so far as the present case is concerned, it is an admitted position that on 17th March, 2007, a criminal case was registered against the appellant and he was also arrested on that date and by a composite order passed on 04th April, 2007, in exercise of the power under rules 9(1)(c) and 9(2) (a), the appellant was

suspended. It is true that the appellant was released on bail in the month of July, 2007 and in view thereof, his suspension under rule 9(2) (a) may not continue any longer, but his suspension under rule 9(1) (c) does not get affected.

14. The contention of the senior counsel based on rule 9(7), is noted to be rejected only. In view of what we observed above that suspension order under rule 9(1) (c) holds the field and is not rendered bad in law rule 9(7) is of no help to the appellant. As a matter of fact, rule 9(7), in the fact-situation, has no application at all. Merely, because the appellant is being proceeded simultaneously in departmental proceedings and there was some delay in framing the departmental charges, that does not invalidate the order of suspension dated 04th April, 2007 which is founded in exercise of the power under rule 9(1) (c) of the Bihar CCA Rules, 2005.

15. We, thus, find that the single judge did not commit any error in dismissing the writ petition.

16. Appeal, accordingly, has no merit, and is dismissed in limine.

Sd/- R.M. Lodha, C.J.

Sd/- Kishore K Mandal, J

---

[4]

पत्र संख्या–3/एम–162/2005 का०–6955

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 21. 10. 2008

विषय :– विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागीय जाँच आयुक्त की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होने पर मुख्य सचिव की सहमति की अपेक्षा नहीं होने के संबंध में।

महाशय,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 9143 दिनांक 21 जुलाई, 1986 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि उक्त परिपत्र की कंडिका–3 के अनुसार विभागीय जाँच आयुक्त को कार्यवाही भेजने के पूर्व कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति भी प्राप्त कर ली जानी है। परन्तु ऐसा पाया गया है कि विभागीय

जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही सौंपे जाने के जिन प्रस्तावों में माननीय मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है वैसे मामले भी कार्मिक विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति के लिए भेजे जाते हैं। ज्ञातव्य है कि मुख्य सचिव की सहमति की शर्त इस उद्देश्य से लगायी गयी थी कि विभागीय जाँच आयुक्त को सिर्फ गंभीर कदाचार, बेईमानी आदि से संबंधित कार्यवाही ही सुपुर्द किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। जिन मामलों में माननीय मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन विभागीय जाँच आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्राप्त हो जाता है, उन मामलों में मुख्य सचिव की सहमति की अपेक्षा नहीं हो सकती है।

अतः उपर्युक्त परिपत्र संख्या 9143 दिनांक 21.07.86 की कंडिका–3 को स्पष्ट करते हुए कहना है कि जिन मामलों में विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री या विभागीय मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, उन मामलों में मुख्य सचिव की सहमति अपेक्षित नहीं होगी और फलस्वरूप कार्मिक विभाग को संचिका भेजा जाना भी अपेक्षित नहीं होगा। उपर्युक्त परिपत्र संख्या 9143 दिनांक 21.07.86 की कंडिका–3 तदनुसार संशोधित समझी जायेगी।

विश्वासभाजन,
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

---

[5]

पत्रांक–3/एम–162/2005 का०–6956

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 21. 10. 2008

विषय :– विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही सुपुर्द करने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र/अनुदेशों तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रक्रिया के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या 9143 दिनांक 21वीं जुलाई, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) के अंतर्गत यह अनुरोध किया गया था कि विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार,

पटना को जाँच के लिए विभागीय कार्यवाही भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वैसी ही विभागीय कार्यवाही विभागीय जाँच आयुक्त को सुपुर्द की जाय जो गंभीर कदाचार, बेईमानी आदि से संबंधित है, और यह सुनिश्चित किया जाय कि विभागीय जाँच आयुक्त को कार्यवाही भेजने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति भी प्राप्त कर ली गयी है। उक्त परिपत्र में एक जाँच–पत्र भी विहित किया गया था, ताकि विभागीय कार्यवाही विभागीय जाँच आयुक्त को सौंपे जाने के पूर्व अनुदेशों एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित कर लिया जा सके।

2. परन्तु, ऐसा पाया गया है कि विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही सौंपे जाने के जिन प्रस्तावों में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त रहता है वैसे मामले भी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति के लिए भेजे जाते हैं और विभागीय कार्यवाही विभागीय जाँच आयुक्त को सौंपे जाने के पूर्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निरूपित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। इसके फलस्वरूप प्रक्रिया का उल्लंघन होने के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में भी अनावश्यक विलम्ब हो जाता है।

3. अतः अनुरोध है कि–

(1) विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार पटना को जाँच के लिए विभागीय कार्यवाही भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वैसी ही विभागीय कार्यवाही विभागीय जाँच आयुक्त को सुपुर्द की जाय जो गंभीर कदाचार, बेईमानी, गबन आदि से संबंधित है। अन्य आरोपों के संबंध में विभाग/कार्यालय के अधीन पदस्थापित पदाधिकारियों से जाँच करायी जा सकती है या अनुशासनिक प्राधिकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानानुसार स्वयं भी जाँच कर सकते हैं।

(2) विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही भेजने के पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त कर ली जाय। परन्तु, जिन मामलों में विभागीय जाँच आयुक्त को जाँच सुपुर्द किये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का आदेश/अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो या विभागीय मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो उन मामलों में मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

(3) विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही की सुपुर्दगी संबंधी संकल्प के साथ विहित जाँच–पत्र में वांछित सूचना भरकर सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ भेजा जाना अपेक्षित होगा, ताकि विभागीय जाँच आयुक्त आश्वस्त हो सकें कि जाँच के लिए अपेक्षित प्रक्रियागत कार्रवाई अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्पन्न कर ली गयी है (जाँच पत्र का प्रपत्र संलग्न है)।

4. कृपया उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। पूर्व का उपर्युक्त परिपत्र संख्या–9143 दिनांक 21.07.86 अवक्रमित समझा जायेगा।

विश्वासभाजन

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

जाँच–पत्र

1. क्या आरोप पत्र, विहित प्रपत्र में एवं सही ढंग से तैयार किया गया है तथा प्रत्येक आरोप सुस्पष्ट है ? क्या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के उपनियम (3) का अनुपालन किया गया है ?
2. क्या उक्त नियमावली के नियम–17 के उपनियम (4) की अपेक्षाओं के अनुसार आरोपित पदाधिकारी को आरोप–पत्र की एक प्रति, लांछनों के अभिकथन तथा दस्तावेजों एवं साक्षियों की सूची आदि उपलब्ध करा दी गयी है ?
3. क्या उक्त नियमावली के नियम–17 के उपनियम (4) के अनुसार बचाव का लिखित अभिकथन प्राप्त कर लिया गया है ?
4. क्या बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी है, और समीक्षोपरांत निष्कर्ष निकाला गया है ?
5. क्या उक्त नियमावली के नियम–17 के उपनियम (6) के अनुसार वांछित कागजात संकल्प के साथ मूलरूप में संलग्न किये गये हैं ?
6. क्या विभागीय कार्यवाही चलाने एवं संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रासंगिक नियम का संदर्भ संकल्प में किया गया है ?
7. क्या विभागीय जाँच आयुक्त से जाँच कराने के प्रस्ताव में मुख्य सचिव की सहमति प्राप्त है और संकल्प में इस आशय का उल्लेख किया गया है ?
8. क्या संकल्प पर हस्ताक्षरकर्ता पदाधिकारी ने हस्ताक्षर के पूर्व उपर्युक्त अपेक्षाओं की जाँच करा ली है और वे सन्तुष्ट हैं ?

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

---

[6]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
आदेश

आदेश सं०–16 / विविध–6–03 / 2008 का०–2940 पटना–15, दिनांक 19. 05. 2008

बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम–3 / 08) के द्वारा बिहार सचिवालय सेवा का गठन, विधि विभाग की अधिसूचना सं०–एल०जी०–1–28 / 07 / लेज दिनांक–04.01.2008 से प्रभावी है एवं उपरोक्त के आलोक में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992 उपर्युक्त अधिनियम की धारा–24 द्वारा निरस्त हो चुकी है।

2. अतः उपरोक्त अधिनियम के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 2(झ) एवं 9(1) के अंतर्गत बिहार सचिवालय सेवा के सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पदस्थापित सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारियों के विरुद्ध, जिस विभाग / कार्यालय में पदस्थापित हैं उसी कार्यालय / विभाग के आरोप के लिए यथेष्ट कारण

रहने पर उन्हें लघु दण्ड देने तथा/अथवा निलंबित करने हेतु विभागीय प्रशासी प्रधान/कार्यालय प्रधान को अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

3. आरोपित कर्मी के प्रशासी विभाग (जहाँ का आरोप है) से स्थानांतरण होने की स्थिति में, उस कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ही सक्षम प्राधिकार होगा।

4. संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा लघु दण्ड देने तथा/अथवा निलंबित करने से पूर्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के विहित प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा। साथ ही आरोपित कर्मी के संबंध में, संबंधित विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का पूर्ण ब्यौरा/अभिलेख, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध कराया जायगा।

5. यदि प्रशासी विभाग द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक को निलंबित किया जाता है तब वैसी परिस्थिति में निलंबन की अवधि में निलंबित कर्मी का मुख्यालय उनके पदस्थापन के विभाग/कार्यालय में रहेगा एवं उनको जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान वहीं से होगा।

6. इसमें सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–16/विविध–6–03/2008 का०–2940 पटना–15, दिनांक 19.05.2008

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/सदस्य, राजस्व पर्षद/महाधिवक्ता/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी कार्यालय प्रधान/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्य सूचना आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहारी
सरकार के सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 28. 04. 2008

अधिसूचना सं०–16/सं०सं०–604/02 का०–2378/ इस विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०–2815 दिनांक 30.12.05 द्वारा सहायकों के संयुक्त संवर्ग के सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारियों को दिये गये दण्ड के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिए सदस्य, राजस्व पर्षद विनिर्दिष्ट हैं।

2. बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03/2008) 04 जनवरी, 2008 से प्रवृत्त है।

उक्त अधिनियम में बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारियों के अनुशासनिक प्राधिकार, "बिहार राज्यपाल" हैं।

3. उपरोक्त स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 24(2) के आलोक में सरकार द्वारा दिये गये दण्ड/आदेश के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता है।

4. अतः विभागीय अधिसूचना सं०–2815 दिनांक 30.12.05 में अधिसूचित प्रशाखा पदाधिकारियों शब्द को विलोपित किया जाता है।

5. उपर्युक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

6. शेष यथावत रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजवंश मणि सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–16/सं०सं०–604/02 का०–2378 पटना–15, दिनांक 28.04.2008

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित किया जाता है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र में करायी जाए और उसकी 300 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–16/सं०सं०–604/02 का०–2378 पटना–15, दिनांक 28.04.2008

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव/सदस्य, राजस्व पर्षद/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सभी विभागों/कार्यालयों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

[7]

पत्र संख्या–3/एम०–44/08 का०–2230

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 17 अप्रैल, 2008

विषय :– सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों से संबंधित संचिकाओं को अनावश्यक रूप से लम्बित रखने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सरकार के ध्यान में इस बात को लाया गया है कि विभागीय कार्यवाही से संबंधित संचिकाएँ अकारण लम्बित रखी जाती हैं। सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया है।

2. कार्मिक विभाग (संगठन एवं पद्धति प्रशाखा) के पत्रांक 536 दिनांक 14.08.1975 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा जटिल मामलों को छोड़कर आगत पत्रों/संचिकाओं के निष्पादनार्थ तीन दिन से अधिक का विलम्ब नहीं होने का निदेश संसूचित है। विभागीय कार्यवाही के कालबद्ध निष्पादन हेतु समय–समय पर अनुदेश निर्गत किये जाते रहे हैं। पुनरीक्षित समय–सीमा का निर्धारण पत्रांक 2178 दिनांक 28.02.2007 के तहत किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। यदि संचिकाएँ अनावश्यक रूप से लम्बित रखी जायेंगी तो उक्त परिपत्र के तहत निर्धारित समय–सीमा का पालन कभी संभव नहीं हो पायेगा।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त पत्रांक 536 दिनांक 14.08.75 तथा 2178 दिनांक 28.02.2007 का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय। विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया में यदि किसी कर्मचारी/पदाधिकारी के स्तर पर किसी भी प्रकार की संचिका के निष्पादन में तीन दिन से अधिक का विलम्ब किया जाता है तो ऐसे कर्मचारी/पदाधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

4. अनुरोध है कि राज्य सरकार के उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय और उक्त निर्णय/अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या–2/क्यू० (वि० स०)–4010/2006 का०–2178

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

भगलु रजक,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

<u>सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष</u>

<u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/विभागीय जाँच आयुक्त</u>

सभी जिलाधिकारी

पटना–15, दिनांक 28 फरवरी, 2007

विषय :– सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का कालबद्ध निष्पादन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि प्रायः ऐसा पाया गया है कि गबन/भ्रष्टाचार/बेईमानी आदि से संबंधित मामलों में सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है। इस संबंध में पूर्व में समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत इन मामलों के निष्पादन हेतु समय–सीमा को भी निर्धारित किया जा चुका है। परन्तु, उनका अनुपालन नहीं हो पाता है। अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाहियों के समय पर पूरा नहीं होने से संबंधित सरकारी सेवक के साथ न्याय होने में विलम्ब होता है। फलस्वरूप न्यायालय में वाद भी दायर होते हैं।

2. अतः पूर्व में इस विषय पर निर्गत परिपत्र/परिपत्रों को एतद् द्वारा अवक्रमित करते हुए तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही के विभिन्न चरणों को पूरा करने के निमित्त निम्नांकित रूप से पुनरीक्षित समय–सीमा का निर्धारण किया जाता है :–

	विभिन्न चरण	**समय–सीमा**
(1)	परिवाद/लांछन की प्राप्ति के पश्चात लांछन की सचाई की जाँच हेतु अपेक्षित प्रारंभिक कार्रवाई/स्पष्टीकरण/समुचित निर्णय आदि।	एक माह
(2)	यदि अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है तो आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) का गठन।	एक माह
(3)	अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अग्रेतर कार्रवाई का विनिश्चय/आरोप–पत्र साक्ष्य सहित आरोपित सरकारी सेवक को भेजा जाना/आरोपित सरकारी सेवक द्वारा	दो माह

अपना लिखित बयान देना/लिखित बयान के आधार
पर निष्कर्ष का अभिलेखन।

(4) उक्त नियमावली के नियम–17 के अनुसार कार्रवाई सम्पन्न करने की अवधि — छः माह

(5) उक्त नियमावली के नियम–18 के अनुसार कार्रवाई। — दो माह

कुल – 12 माह (एक वर्ष)

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त पुनर्निर्धारित समय–सीमा से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/कार्यालयों को अवगत करा दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

विश्वासभाजन
भगलु रजक
सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या ओ० एम०/75/536

बिहार सरकार
कार्मिक विभाग
(संगठन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष
(सचिवालय से संलग्न)

पटना, दिनांक 14 अगस्त, 1975

विषय :– साप्ताहिक बुधवारी बकाया सूची।

महाशय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि प्रशासन–तंत्र में चुस्ती लाने एवं सभी संचिकाओं एवं मामलों का शीघ्रता से निष्पादन करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा सभी प्रमुख सचिवों/सचिवों को सम्बोधित अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 1438 मु० मं० स० दिनांक 11 जुलाई 1975 में यह आदेश परिचारित किया गया है कि जटिल मामलों को छोड़कर सामान्यतः आगत कागज–पत्रों/संचिकाओं के निष्पादन में किसी भी स्तर पर तीन दिन से अधिक का विलम्ब न हो, इसके लिये प्रयास होना चाहिये। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में पदाधिकारियों एवं सहायकों के लिए सचिवालय अनुदेश के नियम 5 : 2 में विहित बुधवारी बकाया सूची के प्रपत्र में यथानुसार संशोधन किया गया है। विभागों के सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु संशोधित प्रपत्रों की प्रतिलिपियाँ अनुलग्न की जाती हैं। प्रत्येक मास की प्रथम बुधवारी बकाया सूची के संबंध में इस प्रशाखा के परिपत्र संख्या ओ०एम०/आर–1042/72–200 दिनांक 11.5.72 के अनुदेशों का यथावत अनुपालन किया जायेगा, किन्तु इसके लिये इन्हीं संशोधित प्रपत्रों का प्रयोग किया जायेगा।

विश्वासभाजन
सी० आर० वेंकटरामन
सरकार के सचिव

(क) पदाधिकारियों के लिये

साप्ताहिक बकाया सूची

..... विभाग

पदाधिकारी का नाम..... । दिनांक..... को समाप्त सप्ताह के लिये।

लंबित मामलों की कुल संख्या.....

(1) तीन दिन से कम..... ।

(2) तीन दिन से अधिक..... ।

क्रमांक	लंबित मामलों का ब्योरा	किस तारीख से लंबित	विलम्ब का कारण
	फाइल संख्या और विषय मात्र मद (2) का ब्योरा		

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(ख) सहायक के लिये

साप्ताहिक बकाया सूची

..... विभाग

सहायक का नाम..... । ..... को समाप्त सप्ताह के लिये।

लंबित आगत कागज–पत्रों एवं फाइलों की कुल संख्या.....

(1) तीन दिन से कम..... ।

(2) तीन दिन से अधिक..... ।

क्रमांक	लंबित मामलों का ब्योरा	किस तारीख से लंबित	विलम्ब का कारण
	अधिकारी या विभाग, जिनसे प्राप्त हुआ है, का पदनाम या नाम सहित पत्र, ज्ञाप या अन्य पत्राचार जो प्रारंभिक आगत कागज पत्र होता है, की संख्या एवं तारीख, या फाइल संख्या एवं विषय।		

सहायक का हस्ताक्षर

[8]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

विषय : लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में अनुसरणात्मक कार्रवाई के संबंध में।

राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में किसी सरकारी सेवक को दण्डित करने के पूर्व विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता होती है या नहीं। साथ ही, यदि विभागीय कार्यवाही की जाती है तो आरोपित पदाधिकारी के सेवानिवृत हो जाने के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत निर्धारित चार वर्ष के अन्दर कार्रवाई की शर्त्त ऐसे मामलों में लागू होती है अथवा नहीं।

2. लोकायुक्त की अनुशंसा, जिसमें बहुधा दिया जानेवाला दण्ड भी उल्लेखित रहता है, के बाद विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता के संदर्भ में विधि विभाग/विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श लिया गया है। विद्वान महाधिवक्ता/विधि विभाग द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया है –

"The main purpose of the Lokayukta under the Bihar Lokayukta Act, 1973 is to carry out investigation against public servant and make its recommendation for action to be taken by the State Govt. against the individual public servant. In case the Lokayukta, after investigation of the complaint finds that public servant has committed any act of indiscipline or other such acts which makes him liable for being punished, it shall forward its recommendation to the competent authority for action to be taken.

Under Section 5A of Bihar Lokayukta Act as inserted by Act 13 of 1988, in case the Lokayukta recommends imposition of penalty of removal from office of public servant falling within section 2 (j) (IV) of the Act, the Govt. may take action for removal of such public servant without any further enquiry. Thus the removal of only those public servants who are covered by section 2 (j) (IV) can be made without any further enquiry, but Section 2 (j) (IV) is confined to a particular type of public servants who are as follows :

"Every head or his Deputy by whatever designation he may be known, of the local authority, the corporation, the Government Company or a registered society referred to in sub-clause (iii) or any other institution or authority, subsidised by the State Government."

So far as other public servants (those not covered by section 2 (j) (iv) of the Lokayukta Act) are concerned they cannot be removed or their services terminated without following the due procedure prescribed for their punishment. A government servant therefore cannot be removed or dismissed from service without charges framed, enquiry conducted and punishment awarded in accordance with rules prescribed with regard to their service."

3. उपर्युक्त परामर्श के आलोक में विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट करने का निर्णय लिया गया है कि–

(i) लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में पद से हटाने की सीधी कार्रवाई धारा 2 (j) (iv) से संबंधित मामलों में ही की जा सकती है।

(ii) सरकारी सेवकों के संदर्भ में लोकायुक्त की अनुशंसा के अनुसरण में भारत संविधान के अनुच्छेद 311 तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निर्धारित लघु दण्ड एवं वृहत दण्ड के लिए

विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना अपेक्षित होता है। अतः लोकायुक्त की अनुशंसा के अनुसरण में लघु दंड देने की स्थिति हो या वृहत दंड देने की स्थिति, दोनों ही स्थितियों में, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

(iii) लोकायुक्त के जाँचाधीन किन्तु सेवानिवृति के मामलों में चूँकि लोकायुक्त के स्तर पर पूर्व में ही कार्रवाई शुरू कर दी गई होती है, अतः बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत निर्धारित चार साल की शर्त्त लागू नहीं होगी। इस संबंध में इस विभाग के पत्रांक 3448 दिनांक 02.12.2006 के तहत स्पष्ट किया जा चुका है कि 4 वर्ष की गणना उस तिथि से की जायेगी जब विभाग को संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप की जानकारी होती है। अतः लोकायुक्त के जाँचाधीन मामलों में 4 साल की शर्त्त लागू नहीं होगी।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या–3/एम०–192/2006 का०–3406 पटना, दिनांक 08.10.2007

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या–3/एम०–192/2006 का०–3406 पटना, दिनांक 08.10.2007

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/लोकायुक्त के सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र, वाल्मी, पटना/ राज्य अभिलेखागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

पत्र संख्या–3/सी०–182/07 का०–3128

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 18. 09. 2007

विषय :– सी०डब्लू०जे०सी०सं०–11293/06 शिवमूरत सिंह बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.07 के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश/न्याय–निर्णय दिनांक 30.07.07 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त न्यायादेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत इस विभाग के परिपत्रों का अनुपालन नहीं किया जाता है, जो खेदजनक है।

कृपया उक्त नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय। साथ ही, जो पदाधिकारी विहित प्रक्रिया की अनदेखी करते हैं उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

C.W.J.C.NO. 11293/06

Shiv Murat Singh-V-State of Bihar & Ors.

3. 30.07.2007 Heard.

The present case reveals a complete disastrous state of affairs prevailing in the Bihar bureaucracy. The petitioner was a junior engineer and a departmental proceeding was initiated against him for alleged neglect in his duty and allegedly making wrongful payments, which were not properly due. The departmental proceeding having been initiated, chargesheet has been submitted. The petitioner filed his show cause / explanation. Petitioner

alleges that thereafter he was not communicated anything till an order of punishment was served on him under memo no. 1223 dated 26.5.1993. This was then kept in abeyance for a long time suo moto by the government and then ultimately final order of punishment was communicated, vide memo no. 832, dated 19.3.1997. He filed an appeal. The same was dismissed and the order communicated to him under memo no. 208, dated 5.5.2004.

The grievance of the petitioner is that once a proceeding had been initiated, chargesheet submitted and petitioner filed his explanation, then the proceeding required that evidences be taken and considered in a duly constituted proceeding before an enquiry officer appointed in this regard. The petitioner ought to have been granted opportunity to rebut the evidences being brought on records.

On behalf of the State to establish the charge and then the enquiry officer was required to submit a report to the disciplinary authority. The requirement of the law is that the enquiry report is then to be furnished to the delinquent for his comments and having considered the same, the disciplinary authority is to give a finding of guilty or otherwise and then proceed to issue second show cause with regard to proposed penalty. After considering the cause shown, if any, the punishment has to be imposed.

In the present case obligation of their duty and responsibility in matters of conduct of disciplinary proceeding nothing was done by the authorities. No evidence was taken, much less, any enquiry conducted with notice to or in presence of the petitioner. It is specifically admitted in para 10 of the counter affidavit that even prior to submission of enquiry report, punishment orders were issued, which were deferred awaiting second, third and fourth enquiry reports by different bodies. This is a procedure unknown to law. From this it would be seen that neither any enquiry in accordance with law was conducted nor any enquiry report was furnished to the petitioner, nor any show cause with regard to proposed punishment issued to the petitioner. Everything was being conducted in its evolved procedure unknown to law. Punishment order issued was deferred. Enquiries outside the departmental proceeding were taken note of. Again a procedure unknown to law. Then having been held guilty when he filed an appeal there was no hearing by the appellate authority. Against when the appeal was dismissed all that the petitioner is told that the government does not consider it proper to enquire in the matter. This is an apology for an appellate order to be passed in a disciplinary proceeding. Not only the lower authority but the appellate authority also appears to have evolved this own procedure. The appellate order is not a speaking order. It does not deal the contention as raised by the petitioner while filing appeal. This court fails to understand that if responsibilities are conferred on officer in relation to departmental proceeding may it be at the original level or appellate level why are not the officer trend to discharge their responsibilities as directed by law and why such a vital errors are committed which not only runs counter to the principle of good administration but create and generate more litigation and complication that is required instead of solving any problem at issue.

In view of the facts, as stated in the counter affidavit, I have no option but to set aside the entire proceedings as taken up against the petitioner. The orders of punishment and the appellate order are also quashed. The proceeding against the petitoner is relegated to the stage of his filing explanation to the charges served. State would be free to appoint a fresh enquiry officer and proceed from that stage onwards in accordance with law.

Unfortunately, a proceeding that was initiated in the year 1992 for a lapse of 1991 is being relegated to the original stage for no fault of the petitioner but solely of the officials, who are expected to know the rules of procedure in such matters and have been entrusted with the responsibility in such matters and they have failed to carry out their obligations.

I have accordingly no option but to pass order as indicated above and allow this writ petition. The orders as contained in Annexures 1, 2 and 5 are accordingly quashed.

Let a copy of this order be sent to Secretary. Department of Personnel and Administrative Reforms Govt. of Bihar, Patna, for needful.

Sd/- Navaniti Pd. Singh

---

[10]

पत्र संख्या–3/एम–162/05–का०–2966

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 31. 08. 2007

विषय :– निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति का दण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 दिनांक 13.07.2005 से प्रवृत्त है और सभी समूहों के राज्यकर्मियों के विरुद्ध शास्ति (दंड) अधिरोपित किये जाने के संबंध में उक्त नियमावली (यथा संशोधित) के भाग–V, नियम–14 के खंड (viii) में निम्नांकित प्रावधान है–

"निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में, जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रोन्नति के लिए उस कोटि या पद या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्त्तों तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जाने वाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा।

2. इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के पत्रांक–11012/2/2005 इस्ट (ए) दिनांक 14.05.07 के तहत यह निर्णय संसूचित किया गया है कि जब किसी कर्मी के विरुद्ध निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति या दंड अधिरोपित किया जाना हो और दंड की प्रभाव–सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए करने का इरादा नहीं हो तो ऐसे दंड की अवधि एवं पुनर्स्थापन की शर्त्तें भी उसमें विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

3. अतः अनुरोध है कि जब किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति का दंड किया जाना प्रस्तावित हो और यदि दंड की प्रभाव–सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए करने का इरादा नहीं हो तो वैसी स्थिति में ऐसी अवनति की अवधि का उल्लेख और साथ ही ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति पर पुनर्स्थापन की शर्त्तों का भी उल्लेख प्रस्तावित दंड में किया जाय। इस हेतु दंड अधिरोपित किये जानेवाले आदेश में निम्नांकित रूप में निर्देश विनिर्दिष्ट किया जाना वांछनीय होगा–

(i) अवनति की अवधि, यदि स्पष्ट इरादा यह नहीं हो कि अवनति स्थायी तौर पर होगी या अनिश्चित अवधि के लिए;

(ii) जहाँ अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट की जाय वहाँ यह भी उल्लेख किया जाय कि अवनति की अवधि की समाप्ति पर सरकारी सेवक को स्वतः उस पद पर प्रोन्नति दी जायेगी या नहीं जिस पद से वह अवनत हुआ; और

(iii) ऐसी पुनर्प्रोन्नति के फलस्वरूप सरकारी सेवक उच्चतर सेवा, कोटि या पद या कालमान वेतन, जो उसे दंड दिये जाने के पूर्व दिया गया था, में अपनी मौलिक वरीयता पुनर्प्राप्त कर लेगा या नहीं।

4. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

---

[11]

पत्र संख्या–3/एम–162/05–का०–2959

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

<u>सरकार के सभी विभाग</u>
<u>सभी विभागाध्यक्ष</u>
<u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त</u>
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 31. 08. 2007

विषय :– राज्यकर्मियों के निलम्बन अवधि के विनियमन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 दिनांक 13.07.2005 से प्रवृत है और सभी समूहों के राज्यकर्मियों के निलम्बन अवधि के विनियमन के संबंध

में कार्रवाई भी उक्त नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार ही की जानी है। परन्तु, यह पाया गया है कि जहाँ आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही भी चल रही है वहाँ विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निलम्बन अवधि के संबंध में समुचित निर्णय नहीं लेकर, उसे आपराधिक कार्यवाही के निर्णय होने तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है, अथवा यह निदेश दिया जाता है कि आपराधिक कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निलम्बन अवधि के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

2. ज्ञातव्य है कि इस विभाग के पत्रांक 2324 दिनांक 10.07.2007 के अनुसार, जब किसी पदाधिकारी/कर्मचारी पर आपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान के तहत फौजदारी मुकदमा किया जाता है तो साथ–ही–साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप–पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी प्रारंभ की जानी है। इस आलोक में आपराधिक मुकदमे लंबित रहने की स्थिति में भी विभागीय कार्यवाही के निष्कर्ष के आधार पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है। चूँकि विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर दंड अधिरोपित किया जा सकता है, अतः निलम्बन अवधि के संबंध में भी निर्णय लिया जा सकता है। निलम्बन अवधि के संबंध में निर्णय नहीं होने से विशेषकर सेवानिवृत पदाधिकारी/कर्मचारी के मामलों में सेवानिवृति के लाभ का भुगतान तथा इस अवधि के विनियमन के विषय में निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

3. अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि विभागीय कार्यवाही के निष्पादन हो जाने की तिथि तक यदि आपराधिक मामले में निर्णय नहीं होता है तो वैसी स्थिति में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11 के अनुसार सरकारी कर्मी के निलम्बन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्पष्ट निर्णय लिया जाय। वैसे मामलों, जहाँ विभागीय कार्यवाही नहीं चलायी गयी हो और मात्र आपराधिक कार्यवाही हो तथा अभियुक्त सरकारी सेवक को हिरासत में लिया गया हो तो हिरासत की अवधि के संबंध में निर्णय संबंधित आपराधिक मामले के निष्पादन के उपरान्त ही लिया जा सकेगा।

4. कृपया उपर्युक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञाप संख्या–3/एम०–162/05 का०–2959 पटना–15, दिनांक 31.08.2007

प्रतिलिपि– लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, वाल्मी, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/राज्य अभिलेखाकार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
आदेश

आ० सं०–2/सी०–विविध–606/07 का०–8341 पटना–15, दिनांक 13. 08. 2007

विषय : विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को भेजे जाने वाले विभागीय संकल्प एवं अनुलग्नक के संबंध में।

सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जिन मामलों में संचालन पदाधिकारी के रूप में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को नियुक्त किया जाता है, उनमें संबंधित संकल्प उपलब्ध कराये जाने के क्रम में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 का पूर्णरूपेण अनुपालन नहीं किया जाता है।

विभागीय जाँच आयुक्त द्वारा इस संबंध में कतिपय सुझाव एवं निदेश दिये गये हैं, जिनके संबंध में विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

1. विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के निमित्त निर्गत संकल्प ज्ञापांक में आरोपित का बचाव बयान संलग्न रहता है, परन्तु उस विभागीय पत्र की प्रतिलिपि संलग्न नहीं रहती है जिसका प्रसंग देते हुए आरोपित बचाव बयान समर्पित करते हैं, जो आवश्यक है। अतएव विभागीय/जिला स्तर से आरोपित से माँगे गये बचाव बयान की प्रति संकल्प के साथ संलग्न होनी है।
2. आरोप के वे सभी मद जो संकल्प में अनुलग्न हैं, से संबंधित दस्तावेजों एवं साक्ष्य आरोपित को संसूचित कर दिये गये हैं, की सम्पुष्टि आवश्यक है।
3. विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के ज्ञाप अंश में यह उल्लेख किया जाना कि "आरोपित यदि और कोई बचाव का लिखित बयान दाखिल करना चाहे तो निर्धारित अवधि में विभाग/संचालन पदाधिकारी को समर्पित करें" की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे अनावश्यक विलम्ब होता है एवं आरोपित को परेशानी होती है, सुनवाई के दौरान आरोपित को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है कि वे अपना पक्ष रखें।
4. विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के ज्ञाप अंश में यह उल्लेख किया जाना कि "आरोपित यदि इस संबंध में किसी अन्य संगत अभिलेख/कागजात देखने की आवश्यकता हो तो इसके लिए वे जाँच पदाधिकारी से अनुरोध करें" की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तो कार्रवाई का ही अंश है।

उपर्युक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति संबंधी संकल्प निर्गत किया जाय।

भगलु रजक
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–2/सी०–विविध–606/07 का० – 8341 पटना–15, दिनांक 13. 08. 2007

प्रतिलिपि– सभी उप सचिव/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के निमित्त निर्गत किये जाने वाले विभागीय संकल्प विशेषकर जिसमें जाँच पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त हों, में उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भगलु रजक
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक–3/एम०–162/05–का०– 2324

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 10. 07. 2007

विषय :– आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नियुक्ति विभाग के पत्रांक III/आर 1–102/63–ए–10158 दिनांक 23 अगस्त, 1963 के क्रम में निर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 3/सी–114/2003 का०–7820 दिनांक 28.10.2003 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त परिपत्र में आपराधिक कदाचार संबंधी आरोपों में दोषी पाये गये सरकारी सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुदेश दिया गया है। तदनुसार आपराधिक कार्यवाही में दोषी पाये जाने और सजा दिये जाने पर ऐसे सरकारी सेवकों को बिना विभागीय कार्यवाही चलाये बर्खास्त या सेवामुक्त या पदावनत किया जाना है।

2. सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि यदि ऐसे मामलों में अपील या रिवीजन में दोष मुक्ति और रिहाई हो जाती है तो ऐसे सरकारी सेवक की बर्खास्तगी/सेवामुक्ति/पदावनति के आदेश को समाप्त करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के निराकरणार्थ समुचित यह पाया गया है कि ऐसे सरकारी सेवक के विरुद्ध स्वतंत्र विभागीय कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि आपराधिक कार्यवाही में अपील या रिवीजन में यदि सजा से मुक्त भी कर दिया जाता है तो विभागीय कार्यवाही में दोष सिद्ध होने पर दी गयी सजा कायम रखी जा सके।

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम बी० के० मीणा वाले मामले में दिनांक 27.09.96 को पारित आदेश [AIR 1997 Supreme Court 13] के अनुसार समान आरोपों पर आपराधिक कार्यवाही के साथ–साथ विभागीय कार्यवाही चलायी जा सकती है। अतः राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब भी किसी पदाधिकारी/कर्मचारी पर आपराधिक कदाचारों में लिप्त होने के कारण भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम एवं भारतीय दंड विधान के तहत फौजदारी मुकदमा किया जाय तो साथ–ही–साथ समुचित तथ्यों पर आधारित आरोप–पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ की जाय।

4. कृपया सरकार के उक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

पत्रांक–3/एम०–73/2007–का०–1821

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 23. 05. 2007

विषय :– रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जानेवाले मामलों में पदाधिकारी/कर्मचारी के कारागार से छूटने पर पदस्थापन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जानेवाले मामलों में हिरासत में लिए गए पदाधिकारी/कर्मचारी के कारागार से जमानत पर छूटने के पश्चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (3) के अन्तर्गत योगदान स्वीकार किया जाना है। यह भी प्रावधान है कि योगदान कराने के पश्चात् उन्हें पुनः निलंबित किया जा सकता है। इस संदर्भ में इस विभाग के पत्रांक 773 दिनांक 27.03.2006 के तहत समुचित मार्गदर्शन परिचारित किया जा चुका है।

2. कुछ मामलों में ऐसा पाया गया है कि जिस पदाधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसे कारागार से रिहा होने के पश्चात् योगदान करने पर पुनः उसी पद पर पदासीन रहने दिया जाता है, जिससे सबूतों से छेड़–छाड़ तथा अनुसंधान को प्रभावित करने की संभावना बनी रहती है।

3. इस विषय पर विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गये पदाधिकारी/कर्मचारी को कारागार से छूटने के पश्चात् योगदान देने पर धारित पद, जिस पर रहते हुए वे रिश्वत लेते पकड़े गये हों, से तुरंत स्थानान्तरित कर दिया जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

पत्रांक–3/एम०–129/2006–का०–1051

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 30. 03. 2007

विषय– लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में माननीय लोकायुक्त की अनुशंसा के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया के संबंध में।

प्रसंग– पथ निर्माण विभाग की संचिका सं० निग/सारा–1 (लोका)–1024/2003 में दिनांक 27.5.2006 को माँगा गया परामर्श।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि पथ निर्माण विभाग की उपर्युक्त संचिका में निम्नांकित बिन्दु पर परामर्श माँगा गया था–

"धारा 12(3) के अन्तर्गत लोकायुक्त की अनुशंसा जिसमें बहुधा दिया जाने वाला दंड भी उल्लिखित रहता है, विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता को प्रवारित (Preclude) करती है या नहीं।"

2. इस विषय पर विधि विभाग की राय ली गयी है। विद्वान महाधिवक्ता/विधि विभाग द्वारा दिए गये परामर्श की प्रतिलिपि समुचित कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न की जाती है।

विश्वासभाजन,
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या–3/एम०–129/2006–का०–1051
पटना, दिनांक 30.03.2007

प्रतिलिपि– (अनुलग्नक सहित) लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या–3/एम०–129/2006–का०–1051
पटना, दिनांक 30.03.2007

प्रतिलिपि– (अनुलग्नक सहित) सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/महानिदेशक, बिहार प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान (बिपाई), वाल्मी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या–3/एम०–129/2006–का०–1051 पटना, दिनांक 30.03.2007

प्रतिलिपि–(अनुलग्नक सहित) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

U.O.O. 1215 of 2006

Advocate General

Opinion has been sought mainly on the question whether there is necessity of following the procedure for punishment of a Public Servant even after the recommendation of the Lokayukta if the same is accepted. In this respect the scope of Section 5 A of the Bihar Lokayukta Act, as inserted by Act 13 of 1988 is also required to be considered.

The main purpose of the Lokayukta under the Bihar Lokayukta Act, 1973 is to carry out investigation against public servant and make its recommendation for action to be taken by the State Govt. against the individual public servant. In case the Lokayukta, after investigation of the complaint, finds that public servant has committed any act of indiscipline or other such acts which makes him liable for being punished, it shall forward its recommendation to the competent authority for action to be taken.

Under Section 5 A of Bihar Lokayukta Act as inserted by Act 13 of 1988, in case the Lokayukta recommends imposition of penalty of removal from office of public servant falling within Section 2 (j) (IV) of the Act, the Govt. may take action for removal of such public servant without any further enquiry. Thus the removal of only those public servants who are covered by section 2 (j) (IV) can be made without any further enquiry, but Section 2 (j) (IV) is confined to a particular type of public servants who are as follows :-

"Every head or his Deputy by whatever designation he may be known, of the local authority, the Corporation, the Government Company or a registered society referred to in sub-clause (iii) or any other institution or authority, subsidised by the State Government."

So far as other public servants (those not covered by Section 2 (j) (iv) of the Lokayukta Act) are concerned they cannot be removed or their services terminated without following the due procedure prescribed for their punishment. A Government servant therefore cannot be removed or dismissed from service without charges framed, enquiry conducted and punishment awarded in accordance with rules prescribed with regard to their service.

Sd/- 11.12.06
Ray Sivaji Nath
A.A.G.-4

Forwarded to L.R.
Sd/-03.02.07
P. K. Shahi
Advocate General, Bihar

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
कृपया
ह०/–06.02.07
विधि सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
संकल्प

पटना–15, दिनांक 28. 03. 2007

विषय :– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार विनिर्दिष्ट करने के संबंध में।

राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत विभागीय सचिव के आदेश के विरुद्ध अपील किस प्राधिकार के समक्ष दायर होगी। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24 के अनुसार, सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपीलीय प्राधिकार विनिर्दिष्ट किया जाना है। जहाँ ऐसा प्राधिकार विनिर्दिष्ट नहीं रहेंगे वहाँ (यदि मामला समूह 'ग' एवं 'घ' के सरकारी सेवकों का हो तो) आदेश देने वाले प्राधिकार के ठीक ऊपर के प्राधिकार के समक्ष अपील हो सकती है।

2. उपर्युक्त आलोक में समूह 'ग' एवं 'घ' के सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव द्वारा पारित निलंबन आदेश अथवा दंड–आदेश, अर्थात उक्त नियमावली के नियम–23 में विनिर्दिष्ट आदेशों के विरुद्ध अपील हेतु नियम–24 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकार के रूप में विभागीय मंत्री को विनिर्दिष्ट किया जाता है।

आदेश –आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–162/2005–का०–1025 पटना, दिनांक 28.03.2007

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–162/2005–का०–1025 पटना, दिनांक 28.03.2007

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–162/2005–का०–1025 पटना, दिनांक 28.03.2007

प्रतिलिपि– कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

---

[17]

पत्र संख्या–2/क्यू० (वि० स०)–4010/2006 का०–2178

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

भगलु रजक,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/विभागीय जाँच आयुक्त

सभी जिलाधिकारी

पटना–15, दिनांक 28 फरवरी, 2007

विषय :– सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का कालबद्ध निष्पादन।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि प्रायः ऐसा पाया गया है कि गबन/भ्रष्टाचार/बेईमानी आदि से संबंधित मामलों में सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है। इस संबंध में पूर्व में समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के तहत इन मामलों के निष्पादन हेतु समय–सीमा को भी निर्धारित किया जा चुका है। परन्तु उनका अनुपालन नहीं हो पाता है। अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाहियों के समय पर पूरा नहीं होने से संबंधित सरकारी सेवक के साथ न्याय होने में विलम्ब होता है। फलस्वरूप न्यायालय में वाद भी दायर होते हैं।

2. अतः पूर्व में इस विषय पर निर्गत परिपत्र/परिपत्रों को एतद् द्वारा अवक्रमित करते हुए तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई/विभागीय कार्यवाही के विभिन्न चरणों को पूरा करने के निमित्त निम्नांकित रूप से पुनरीक्षित समय–सीमा का निर्धारण किया जाता है:–

	विभिन्न चरण	**समय–सीमा**
(1)	परिवाद/लांछन की प्राप्ति के पश्चात लांछन की सचाई की जाँच हेतु अपेक्षित प्रारंभिक कार्रवाई/स्पष्टीकरण/समुचित निर्णय आदि।	एक माह

(2)	यदि अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है तो आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) का गठन।	एक माह
(3)	अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अग्रेतर कार्रवाई का विनिश्चय/ आरोप–पत्र साक्ष्य सहित आरोपित सरकारी सेवक को भेजा जाना/आरोपित सरकारी सेवक द्वारा अपना लिखित बयान देना/लिखित बयान के आधार पर निष्कर्ष का अभिलेखन।	दो माह
(4)	उक्त नियमावली के नियम–17 के अनुसार कार्रवाई सम्पन्न करने की अवधि।	छः माह
(5)	उक्त नियमावली के नियम–18 के अनुसार कार्रवाई।	दो माह

कुल – 12 माह (एक वर्ष)

3. अनुरोध है कि उपर्युक्त पुनर्निर्धारित समय–सीमा से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/कार्यालयों को अवगत करा दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करावें।

विश्वासभाजन

भगलु रजक

सरकार के संयुक्त सचिव

---

[18]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
आदेश

आदेश सं०–16/सं०सं०–2–09/06 का०–3824 पटना–15, दिनांक 29. 12. 2006

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों के संयुक्त संवर्ग नियमावली, 1992 के नियम–12(क) परन्तुक (1) के द्वारा सभी विभाग के प्रशासी प्रधान/कार्यालय प्रधान को संवर्ग के सदस्य जिस विभाग/कार्यालय में पदस्थापित हैं, को यथेष्ट कारण रहने पर उन्हें लघु दण्ड देने तथा/अथवा निलंबित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

2. अब बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 प्रभावी हो गयी है, जिसके नियम–2(झ) एवं 9(1) में भी इस हेतु प्राधिकृत करने के संबंध में प्रावधान है। चूँकि सभी सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण में ही की जाती है। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–2(झ) एवं 9(1) के अन्तर्गत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पदस्थापित सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारी के विरुद्ध यथेष्ट कारण रहने पर उन्हें लघु दण्ड देने तथा/अथवा निलंबित करने हेतु जिस विभाग/कार्यालय में पदस्थापित होंगे, उस विभाग के आरोप के लिए विभागीय प्रशासी प्रधान/कार्यालय प्रधान को अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में प्राधिकृत किया जाता है।

3. आरोपित कर्मी के किसी अन्य विभाग में पदस्थापित होने की स्थिति में, उस कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।

4. संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा लघु दण्ड देने तथा/अथवा निलंबित करने के पूर्व बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन किया जायेगा। साथ ही आरोपित कर्मी के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का पूर्ण ब्योरा/कागजात, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

5. यदि प्रशासी विभाग द्वारा निलंबित किया जाता है, तब वैसी परिस्थिति में निलंबन की अवधि में निलंबित कर्मी का मुख्यालय उनके पदस्थापन के विभाग/कार्यालय में रहेगा और उनको जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान वहीं से होगा।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–16/सं०सं०–2–09/06 का०–3824 पटना–15, दिनांक 29.12.2006

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/राज्य सूचना आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/पुलिस महानिरीक्षक–सह–महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजवंश मणि सिंह
सरकार के उप सचिव

---

[19]

पत्रांक–3/एम०–192/06–का०–3448

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

<u>सभी विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सचिव</u>
<u>सभी विभागाध्यक्ष</u>
<u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त</u>
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 02. 12. 2006

विषय– अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों में प्रक्रियात्मक त्रुटिहीन कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के मामले में प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण न्यायालयों द्वारा दण्डादेशों को निरस्त किया जाता है। विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया के संबंध में समय–समय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत

प्रक्रियात्मक अनुदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।

2. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के सभी समूहों (वर्गों) के कर्मियों के संबंध में अब एक ही नियमावली–बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, 13 जुलाई 2005 से लागू है और असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 निरसित हो चुकी है। वर्ष 2005 की नियमावली में नियम 9–13 के अन्तर्गत निलबंन के संबंध में विस्तृत प्रावधान किया गया है और उक्त प्रावधानों के संबंध में व्याख्यात्मक मार्गदर्शन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 773 दिनांक 27.03.2006 के तहत परिचारित किया जा चुका है। नियम–14 के अन्तर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार के दंड लघु दंड होंगे और किस प्रकार के दंड वृहत दंड होंगे। लघु दंडों को अधिरोपित करने हेतु प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम–19 में है। वृहत दंडों को अधिरोपित करने हेतु प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम 17 एवं 18 में है। प्रस्तावित दंडों के संबंध में जहाँ बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की आवश्यकता है, वैसे मामले बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श हेतु भेजे जाने के लिए प्रक्रियात्मक मार्गदर्शन पत्रांक–2609 दिनांक 13–09–2006 के तहत परिचारित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के प्रावधानों तथा निर्गत मार्गदर्शनों का अवलोकन कर उसके अनुकूल कार्रवाई किए जाने से प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं रह सकती है और फलस्वरूप मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटियों के कारण न्यायालय द्वारा दण्डादेशों को निरस्त किए जाने की संभावना नहीं रह जायेगी।

3. अनुशासनिक कार्रवाई के मामलों में प्रक्रियात्मक त्रुटिपूर्ण कार्रवाई करने की स्थिति पर सरकार द्वारा चिन्ता व्यक्त की गयी है। एतदर्थ दिनांक 18.09.2006 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव की बैठक हुई। बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित निदेश दिए जाते हैं :–

(i) द्वितीय कारण–पृच्छा पूछे जाने के क्रम में प्रस्तावित दण्डों की चर्चा कर दी जाती है जो गलत है। इस संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 के उप–नियम (3) एवं (4) के प्रावधान अवलोकनीय हैं जिसके अनुसार जाँच प्रतिवेदन से असहमति (यदि कोई हो) के निष्कर्ष के साथ जाँच प्रतिवेदन की प्रति आरोपित सरकारी सेवक को भेजी जानी है और 15 दिनों के अन्दर प्राप्त अभ्यावेदन या निवेदन (यदि कोई हो) पर विचार कर निर्णय लिया जाना है। उक्त प्रावधानों का अनुपालन किया जाना वांछनीय है।

(ii) उक्त नियमावली के नियम 18 के उप–नियम (6) एवं (7) को मद्देनजर रखते हुए समुचित कार्रवाई के पश्चात् दण्डादेश का संसूचन करने के क्रम में दण्डों का सकारण उल्लेख किया जाना अपेक्षित है।

(iii) संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से अनुशासनिक प्राधिकार के असहमति की स्थिति में कार्रवाई का प्रावधान उक्त नियमावली के नियम–18 के उप–नियम (2) में है। तदनुसार अनुशासनिक प्राधिकार को असहमति के लिए अपने कारणों को अभिलिखित करना है और ऐसे आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलेखित करना है यदि प्रयोजनार्थ अभिलेख में उल्लेखित साक्ष्य पर्याप्त हो।

(iv) विभागीय कार्यवाही के चलते रहने के दरम्यान सेवानिवृत हो जाने पर विभागीय कार्यवाही चलती रहेगी। बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत उक्त कार्यवाही के स्वतः परिवर्तन संबंधी एक आदेश निर्गत किया जाना ही पर्याप्त होगा।

(v) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत सीधे कार्रवाई कदाचार के आरोपों के संदर्भ में नहीं की जा सकती है। नियम 43 (बी) में विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने के फलाफल के आधार पर ही नियम 139 के तहत कटौती संभव है। परन्तु, यदि सेवा अभिलेखों के आधार पर सक्षम प्राधिकार को यह समाधान हो जाय कि पेंशनभोगी की सेवा पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही है तो ऐसी स्थिति में नियम 43 (बी) के तहत विभागीय कार्यवाही

चलाये बिना भी नियम 139 के तहत सीधे कार्रवाई हो सकती है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि नियम 139 के तहत पेंशन में कोई कटौती पेंशन की प्रथम स्वीकृति के 3 वर्षों के अन्दर ही की जा सकती है।

(vi) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ख) के परन्तुक के खंड (क) के उपखंड (ii) के अनुसार सेवानिवृत पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही उस घटना के संबंध में चलाई जा सकती है जो विभागीय कार्यवाही चलाये जाने की तिथि से चार वर्ष से अधिक पहले घटित नहीं हुई हो। पटना उच्च न्यायालय के द्वारा सी० डब्ल्यू० जे० सी०–9833/2001 (अशोक कुमार मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 19.09.2002 को पारित आदेश [2003(1)PLJR 172] में स्पष्ट किया गया है कि "the period prescribed under proviso (a) (ii) of rule 43(b) of the Rules has to be read to mean that four years time would be reckoned from the date of the knowledge of the event by the competent authority." इस आलोक में उक्त चार वर्ष की गणना उस तिथि से की जाएगी जब विभाग को संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप की जानकारी होती है।

(vii) कार्य विभागों में अग्रिम की निकासी के अव्यवहृत होने या दुरुपयोग होने की स्थिति में यदि अग्रिम अव्यवहृत हो और लौटाया नहीं गया हो तो गबन का आरोप बनाकर समुचित कार्रवाई की जा सकती है। परन्तु, यदि अग्रिम के संबंध में व्यय संबंधी भाउचर समर्पित किया जाता है तो उसकी सत्यता की जाँच कर समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

विश्वासभाजन
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

---

[20]

पत्र संख्या–3/एम०–146/2005–का०–2609

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

बी० बी० श्रीवास्तव,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 13. 09. 2006

विषय :– अनुशासनिक मामलों में प्रस्तावित दंडों के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत–संविधान के अनुच्छेद–320 के खंड (3) के उप–खंड (ए) के अनुसार अनुशासनिक मामलों में प्रस्तावित दंडों पर अंतिम निर्णय लेने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श

किये जाने और प्राप्त परामर्श पर विचार किये जाने की अनिवार्यता है। इस आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 के उप–नियम (7) के प्रावधानों के अनुसार वृहत दंडों को अधिरोपित करने की प्रक्रिया के तहत प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई के क्रम में, जहाँ आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहाँ, आयोग से परामर्श किया जाना है और कोई दंड अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश देने के पूर्व उसके परामर्श पर विचार किया जाना है। इसी प्रकार उक्त नियमावली के नियम–20 के द्वितीय परन्तुक के अनुसार भी, यदि किसी मामले में कोई विशेष प्रक्रिया अपनायी जाती है तो, कोई आदेश देने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाना है, जहाँ ऐसा परामर्श आवश्यक हो। बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के अनुसार भी अंतिम निर्णय लेने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 के विनियम–11(1) के प्रावधानों के आलोक में सरकार के अधीनस्थ पदाधिकारियों के स्तर से अनुशासनिक मामलों में आदेश देने के पूर्व आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। उक्त विनियमावली के विनियम 11 (2) एवं (3) तथा विनियम 12 के प्रावधानों के आलोक में लघु दंड के मामलों में आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। निष्कर्षतः ऐसे सरकारी सेवकों, जिनकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आधार पर होती है उनके विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में वृहत दंड अधिरोपित करने की कार्रवाई के क्रम में अंतिम आदेश निर्गत करने के पूर्व और इस प्रकार के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के पेंशन से कटौती का आदेश देने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है और उसके परामर्श पर विचार किया जाना है।

2. उपर्युक्त आलोक में आयोग का परामर्श प्राप्त करने की प्रक्रिया के संबंध में आयोग का मंतव्य माँगा गया था। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 6/प्रो०–42–03–05–239/लो0से0आ0 दिनांक 16.05.2006 तथा पत्रांक 6/प्रो०–विविध–40–06/2006–908/लो०से०ओ० दिनांक 17.08.2006 के तहत आयोग का मंतव्य संसूचित किया गया है। आयोग द्वारा संसूचित उक्त पत्रों में, आयोग के परामर्श हेतु भेजे जानेवाले ऐसे प्रस्तावों के संबंध में सभी विभागों द्वारा एकरूपता बरतने और कतिपय अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार, अनुरोध है कि विभागों द्वारा आयोग को भेजे जानेवाले प्रस्तावों के साथ निम्नांकित सूचनाओं एवं कागजात की उपलब्धता कृपया सुनिश्चित की जाय–

1. आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध चलायी गयी विभागीय कार्यवाही से संबंधित सरकारी संकल्प, आरोप–पत्र एवं साक्ष्य तालिका की अभिप्रमाणित प्रतियाँ।
2. विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के पूर्व आरोपित पदाधिकारी को यदि निलंबित किया गया हो तो निलम्बन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निलंबन नहीं होने/किये जाने की स्थिति में तदनुसार स्पष्ट जानकारी दी जाय।
3. विभागीय कार्यवाही के दरम्यान आरोपित पदाधिकारी को निर्गत ज्ञापन तथा उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान की अभिप्रमाणित प्रति।
4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच अधिगम (जाँच प्रतिवेदन) की अभिप्रमाणित प्रति।
5. आरोपित पदाधिकारी से की गयी द्वितीय कारण–पृच्छा तथा तदक्रम में उनके द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर की अभिप्रमाणित प्रति।
6. प्रशासी विभाग की प्रस्ताव संबंधी आत्मभरित टिप्पणी जिसमें सरकार के स्तर पर अंतिम आदेश करनेवाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम का उल्लेख अवश्य हो।
7. आरोपित पदाधिकारी की जन्मतिथि, सेवा में योगदान की तिथि तथा सेवानिवृति की तिथि आदि विषयक उनका स्पष्ट इतिवृत्त।
8. न्यायिक आदेश के अनुपालन में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति।

3. विभागीय प्रस्तावों के साथ आवश्यकतानुसार कागजात की पठनीय छाया प्रतियाँ अथवा उनके स्थान पर सुस्पष्ट टंकित प्रतियाँ आयोग को भेजी जायँ। संलग्न कागजात सुस्पष्ट, पठनीय तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/अभिप्रमाणित होने

चाहिए। संलग्न सामग्रियों के साथ–साथ संलग्न चेकस्लिप को भी प्रेषण पदाधिकारी द्वारा, विहित सूचनाओं एवं कागजात को संदर्भित करते हुए भरा जाय एवं उनके हस्ताक्षर के साथ आयोग को भेजा जाय।

4. कृपया उपर्युक्त अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, ताकि बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त होने में विलम्ब नहीं हो सके। उक्त अनुदेशों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी कृपया अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

बी० बी० श्रीवास्तव

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

ज्ञापांक–3/एम–146/2005–का०–2609 पटना–15, दिनांक 13.09.2006

प्रतिलिपि– सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बी०बी० श्रीवास्तव

सरकार के आयुक्त एवं सचिव

राज्य सरकार के विभागों से अनुशासनिक मामलों के संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श/सहमति हेतु प्रेषित प्रस्तावों के संदर्भ में चेक स्लिप –

1. विभाग का नाम –
2. विभागीय प्रस्ताव की पत्र संख्या एवं तिथि –
3. विषय –
4. आरोप–पत्र का विवरण –
5. विभागीय कार्यवाही चलाये जाने से संबंधित संकल्प संख्या/तिथि –
6. विभागीय कार्यवाही के दरम्यान आरोपित पदाधिकारी से पूछे गये स्पष्टीकरण की प्रति–
7. जाँच पदाधिकारी का मंतव्य/प्रतिवेदन –
8. आरोपित पदाधिकारी से पूछी गई द्वितीय कारण–पृच्छा एवं उनके द्वारा दिए गए उत्तर का विवरण–
9. निर्णीत दंड, संगत नियमावली एवं नियम का विवरण–
10. प्रस्तावित दंड पर सक्षम पदाधिकारी (माननीय मुख्यमंत्री/महामहिम राज्यपाल, जैसी स्थिति हो) का अनुमोदन प्राप्त है या नहीं, और उसकी तिथि–

विभाग के प्रेषण पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदनाम एवं तिथि

पत्र संख्या–2/सी3–3067/2002 का०–5535

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रविकान्त,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 10 जून, 2006

विषय :– बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु आरोप–पत्र गठित कर प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि यह पाया जाता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के निमित्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आरोपों के सम्बन्ध में आरोपित पदाधिकारी से बिना स्पष्टीकरण प्राप्त किये तथा विधिवत आरोप–पत्र गठित किये प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेज दिये जाते हैं। बाद में संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने पर कई मामलों में यह पाया जाता है कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं बनता है।

2. इस संबंध में उल्लेख करना है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–4731 दिनांक 05.04.1989 एवं पत्रांक–2144 दिनांक 15.03.2000 द्वारा यह निदेश निर्गत है कि पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु विधिवत विहित प्रपत्र 'क' में आरोप–पत्र गठित कर आवश्यक साक्ष्य कागजातों के साथ प्रस्ताव इस विभाग को भेजा जाय। परन्तु, इसके बावजूद बिना सम्बन्धित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किये एवं विधिवत आरोप–पत्र गठित किए प्रस्ताव इस विभाग को भेजे जा रहे हैं, जिससे ऐसे मामलों में निष्पादन में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है।

3. अतः वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के विरुद्ध इस विभाग को आरोप प्रतिवेदित किये जाने के पूर्व संबंधित पदाधिकारी से अपने स्तर से आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसकी समीक्षा के पश्चात् यदि संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का मामला बनता हो तब विधिवत आरोप–पत्र गठित कर पूर्ण साक्ष्य के साथ स्पष्ट प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजा जाय। यदि सम्बन्धित पदाधिकारी का आपके विभाग/जिला/प्रमण्डल से स्थानान्तरण हो चुका हो तो ऐसे मामलों में इस विभाग के माध्यम से स्पष्टीकरण माँगने की कार्रवाई की जाय तथा तत्पश्चात् उपर्युक्त निदेशों के आलोक में विधिवत प्रस्ताव भेजा जाय।

विश्वासभाजन,

रविकान्त

सरकार के सचिव

पत्रांक–3/एम–162/2005 का०– 773

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 27. 03. 2006

विषय :– राज्यकर्मियों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई/निलंबन–बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005, जिसकी गजट प्रति पत्रांक 2475 दिनांक 28.11.2005 के तहत परिचारित की जा चुकी है, के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उक्त नियमावली दिनांक 13.7.2005 से लागू है और सभी समूहों के राज्यकर्मियों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ही की जानी है। पूर्व की सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–32 के तहत निरसित हो चुकी है।

2. कतिपय विभागों से 2005 की उक्त नियमावली के नियम–9 के संबंध में पृच्छात्मक रेफरेंस आने लगे हैं। अतः पृच्छाओं/जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए नियम–9 के प्रावधानों के संबंध में व्याख्यात्मक निम्नांकित मार्गदर्शन संसूचित किया जाता है–

(1) वर्ष 2005 की उक्त नियमावली के नियम–30 के अनुसार किसी अन्य नियमावलियों में 2005 की नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर भी 2005 की नियमावली के प्रावधानों का ही अभिभावी प्रभाव (over-riding effect) होगा। अतः निलंबित करने, निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ता का भुगतान, पुनःस्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण आदि सभी कार्रवाइयाँ अब 2005 की उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार ही की जानी है। अब बिहार सेवा संहिता के नियम–96 से 100 तक के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई नहीं कर 2005 की उक्त नियमावली के नियम–9 से 13 तक में किये गये प्रावधानों का अनुसरण किया जाना है।

(2) नियुक्ति प्राधिकार या नियुक्ति प्राधिकार से उच्च पदस्थ प्राधिकार या अनुशासनिक प्राधिकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार नियम 9(1) के अंतर्गत किसी सरकारी सेवक को निलंबित करने हेतु सक्षम प्राधिकार होंगे।

(3) नियम–9 (1) (क), (ख) एवं (ग) के अंतर्गत किसी सरकारी सेवक को निलंबित किया जा सकता है। नियम–9 (2) में, हिरासत की अवधि के लिए निलंबित समझे जाने संबंधी प्रावधान है। नियम 9(3) में नियम (2) वाले मामलों के संबंध में हिरासत से बाहर आने पर योगदान स्वीकार किये जाने और तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार नियम 9(1) (क), (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत पुनः निलंबित करने का प्रावधान है। ऐसा पाया गया है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन होने की स्थिति में भी ऐसे मामलों में नियम 9 के उप–नियम (2) के अन्तर्गत निलबंन की कार्रवाई की जाती है।

यदि कोई सरकारी सेवक पूर्व से निलंबित नहीं हो और आकस्मिक किसी कार्रवाई के कारण हिरासत में जाता है अथवा हिरासत में जाने की सूचना बाद में प्राप्त होती है तो ऐसे मामलों में नियम 9 के उपनियम (2) के तहत निलंबित समझे जाने का आदेश निर्गत किया जा सकता है। परन्तु, जहाँ नियम 9(1) के तहत निलम्बन का औचित्य हो वैसे मामलों में हिरासत में जाने की स्थिति में भी नियम–9 (1) के तहत कार्रवाई करना उचित होगा जिससे हिरासत से मुक्त होने के पश्चात पुनः नियम 9(1) के तहत निलंबित करने की कार्रवाई की आवश्यकता न हो।

(4) नियम–9 के उप–नियम (3) की कार्रवाई उप–नियम (2) के अंतर्गत के मामलों में ही की जा सकती है, उप–नियम (1) के अंतर्गत के मामलों में नहीं।

(5) नियम 9(4) के अनुसार निलंबनाधीन सरकारी सेवक यदि कालक्रम में सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति से दंडित हो जाता है और ऐसा दंड अपील या पुनरीक्षण में निरस्त हो जाता है और मामला पुनर्जांच या कार्रवाई में भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या सेवानिवृत्ति की तिथि से लगातार अगले आदेश तक निलंबन में रहेगा।

(6) नियम 9(7) के अनुसार निलंबन आदेश के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर आरोप–पत्र गठित कर दिया जाना है। यदि तीन माह के अंदर आरोप–पत्र गठित नहीं होता है तो निलबंनादेश वापस लिया जायेगा। परन्तु, निलंबनादेश निर्गत करनेवाला प्राधिकार आरोप–पत्र गठित करने में विलम्ब के कारणों को अभिलेखित करते हुए 4 माहों के लिए निलबंन को नवीकृत करे तो निलंबन जारी रह सकता है। यदि नवीकरण के चार माहों के बाद भी आरोप–पत्र गठित नहीं हो पाता है तो निलंबनादेश स्वतः वापस ले लिया गया समझा जायेगा।

(7) निलंबन के दौरान जीवन–निर्वाह भत्ता का प्रावधान नियम–10 में किया गया है। इस संबंध में अब बिहार सेवा संहिता के नियम–96 के अनुसार कार्रवाई नहीं की जानी है। नियम–10 के प्रावधानों के अनुसार अर्द्ध औसत वेतन के बराबर जीवन निर्वाह भत्ता और इसके अतिरिक्त ऐसे अर्द्ध वेतन पर अनुमान्य महँगाई भत्ता मिल सकता है। अन्य कोई भत्ता अनुमान्य नहीं किया गया है।

(8) नियम–9 (2) के अंतर्गत निलंबित समझे जाने वाले मामले में भी जीवन निर्वाह भत्ता की अनुमान्यता और प्रक्रिया नियम 10(3) में प्रावधानित है।

(9) कारावास अवधि के लिए मुख्यालय का निर्धारण नहीं होने का उल्लेख नियम–10 (1) (iii) द्वितीय परन्तुक में किया गया है। नियम 10(3) के अनुसार ऐसे मामले में जीवन–निर्वाह भत्ता का भुगतान संबंधित सरकारी सेवक के प्राधिकार–पत्र के आधार पर उसके नामांकित को किया जाना है तथा उसी स्थापना से भुगतान होना है जहाँ वह हिरासत में जाते समय था।

(10) निलंबन के पश्चात् पुनःस्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन भुगतान की अनुमान्यता संबंधी प्रावधान नियम–11 में, अपील के परिणामस्वरूप सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनःस्थापन पर सेवा का निरूपण एवं वेतन/भत्ते की अनुमान्यता संबंधी प्रावधान नियम 12 में और न्यायालय

द्वारा सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के निरस्त किये जाने पर पुनःस्थापन, सेवा का निरूपण और वेतन/भत्ते की अनुमान्यता संबंधी प्रावधान नियम–13 में किया गया है।

(11) जहाँ निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतनादि के भुगतान का आदेश नहीं होता है, वहाँ नियम 11(5) के अनुसार वेतन एवं भत्ते के अनुपात का विनिश्चय किया जा सकता है और एतदर्थ संबंधित सरकारी सेवक को नोटिस देकर और उक्त नोटिस के तामिला होने की तिथि से 60 दिनों के अन्दर उस सरकारी सेवक से प्राप्त अभ्यावेदन (यदि कोई हो) पर विचार कर वेतन एवं भत्ते का विनिश्चय किया जा सकता है।

3. अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन,
राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

---

[23]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक–30 दिसम्बर, 2005

सं०–16/सं०सं०–6–04/2002 का०–2815 / बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24 में निहित प्रावधान के अनुसरण में सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय के सहायक संयुक्त संवर्ग के दण्डित सहायकों एवं प्रशाखा पदाधिकारियों को दिये गये दण्ड की अपील की सुनवाई के लिए सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार को विनिर्दिष्ट किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
राजवंश मणि सिंह
सरकार के उप सचिव

पटना–15, दिनांक 30 दिसम्बर, 2005

ज्ञाप सं०–16/सं०सं०–6–04/2002 का०–2815

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना के इस अनुरोध के साथ अग्रसारित किया जाता है कि अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र में कृपया करायी जाय।

राजवंश मणि सिंह
सरकार के उप सचिव

पटना–15, दिनांक 30 दिसम्बर, 2005

ज्ञाप सं०–16/सं०सं०–6–04/2002 का०–2815

प्रतिलिपि– महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/सभी विभागों के सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं सहायकों को सूचनार्थ प्रेषित।

राजवंश मणि सिंह
सरकार के उप सचिव

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1927 (श०)

(सं० पटना 515) पटना, बुधवार, 28 सितम्बर 2005

सं० 3/एम–043/2005 का०–1851

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

.....

संकल्प

7 सितम्बर 2005

विषय :– सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संचालन करने एवं जाँच प्रतिवेदन देने के निमित्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सेवाएँ लेने के संबंध में।

विभिन्न विभागों में लम्बित अनुशासनिक मामले की समीक्षा के उपरान्त स्पष्ट हुआ है कि विभिन्न विभागों/कार्यालयों के अधीन विभागीय कार्यवाही के कतिपय मामले वर्षों से लम्बित चले आ रहे हैं। सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का शीघ्र निष्पादन के लिये नीति निर्धारित करते हुए विस्तृत अनुदेश पूर्व में निर्गत है। फिर भी विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होता है। इस विलम्ब के कारण कई मामलों में सरकारी सेवक को काफी लम्बे अर्से तक निलम्बन में रहना पड़ता है, तो दूसरी ओर इसका प्रभाव संबंधित कर्मियों के मनोबल पर भी पड़ता है। विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में विलम्ब के मुख्य कारण संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिये पदाधिकारियों का अभाव, पदाधिकारियों की विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया से अनभिज्ञता, कार्यबोझ एवं अन्य आवश्यक कार्य में व्यस्तता आदि है।

2. उपर्युक्त कारणों का निराकरण और सचिवालय के विभिन्न विभागों के स्तर पर लम्बित विभागीय कार्यवाहियों का त्वरित निष्पादन करने के प्रयोजनार्थ, सम्यकरूपेण विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभागों को संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सेवाएँ लेने की शक्ति दी जाय। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की नियुक्ति संचालन पदाधिकारी के रूप में करने के लिये आधार एवं प्रक्रिया निम्नानुसार होंगे–

(1) संबंधित विभाग ऐसी सेवाएँ लेने के प्रयोजनार्थ ऐसे सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का पैनल तैयार कर संधारित करेगा, जिन्हें सेवानिवृत्त हुए 5 वर्षों से अधिक नहीं हुआ हो, जिनके विरुद्ध सेवानिवृत्ति के उपरान्त कोई आरोप लम्बित नहीं हो, जिन्हें सेवानिवृत्ति से दस वर्षों के पूर्व की अवधि में कोई दण्ड नहीं मिला हो और जिनकी सेवा उत्तम रही हो।

(2) कोई भी उपर्युक्त रूप से अर्हक सेवानिवृत्त पदाधिकारी उक्त पैनल में मात्र 3 वर्षों तक रह सकेंगे। पैनल में सेवानिवृत्त पदाधिकारी की संख्या का निर्धारण कार्यवाही की संख्या के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा किया जायेगा।

(3) उक्त पैनल में अवर सचिव या समकक्ष स्तर से अन्यून कोटि के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी रखे जा सकते हैं।

(4) उक्त पैनल से आवश्यकतानुसार सचिवालय के विभिन्न विभागों में लम्बित विभागीय कार्यवाही के लिए संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। लेकिन किस स्तर के पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जायगा यह आरोपित पदाधिकारी की कोटि तथा आरोप की गंभीरता के आधार पर संबंधित विभाग निर्धारित करेगा।

(5) आरोप–पत्र, साक्ष्य सूची एवं साक्ष्य कागजात, आरोपित पदाधिकारी का बचाव बयान के साथ नियुक्ति संबंधी संकल्प निर्गत होने पर संचालन पदाधिकारी को अधिकतम 90 दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करना होगा।

(6) संचालन पदाधिकारी का इस रूप में कार्य करने के निमित्त प्रत्येक विभागीय कार्यवाही के लिए 5000 रु० मानदेय दिया जा सकेगा। इस व्यय का भुगतान संबंधित विभाग के वेतन शीर्ष के अधीन व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिये अदायगियाँ इकाई से किया जायेगा।

(7) विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में 90 दिनों से अधिक अवधि हो जाने पर विभागीय सचिव को समाधान होने पर कि विलम्ब अपरिहार्य कारणों से हुआ है जिसके लिए संचालन पदाधिकारी जिम्मेवार नहीं हों, विलम्ब की अवधि को क्षांत किया जा सकेगा, अन्यथा प्रत्येक एक माह के विलम्ब के लिये मानदेय से 500 रु० की कटौती कर ली जायेगी।

(8) इस प्रकार से नियुक्त संचालन पदाधिकारी को सुनवाई के दिनों के लिये विभाग में स्थान एवं उपस्कर की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही निजी सहायक तथा अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनवाई के दिनों के लिए सुनिश्चित की जायेगी।

3. यह स्कीम प्रायोगिक तौर पर इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात समीक्षोपरान्त इसे आगे भी चलाया जा सकेगा।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और सभी विभागों को इसकी प्रति भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
रविकान्त
सरकार के सचिव।

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 आषाढ़ 1927 (श०)

(सं० पटना 348) पटना, बुधवार, 13 जुलाई 2005

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

.....

अधिसूचनाएँ

12 जुलाई 2005

सं० 1112–भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005

भाग—I

सामान्य

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।** –(1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस नियमावली के प्रयोजनार्थ–

   (क) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

   (ख) 'सरकार के आदेश' से अभिप्रेत है भारत–संविधान के अनुच्छेद 166 के अन्तर्गत विरचित कार्यपालिका नियमावली में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत पारित कार्यपालक आदेश;

   (ग) 'परिवीक्षाधीन (व्यक्ति)' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो परिवीक्षा पर किसी सेवा में नियुक्त है;

   (घ) 'सिविल सेवा संवर्ग' से अभिप्रेत है राज्य की सिविल सेवाओं के सभी वर्ग तथा इसमें बिहार राज्य सरकार के अधीन सभी अन्य समान संवर्गीय अथवा गैर–संवर्गीय पद भी सम्मिलित हैं;

'पद' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार की सेवा के अधीन कोई भी पद;

(ङ) किसी सरकारी सेवक के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है–

(i) वह प्राधिकार जो उस सेवा में नियुक्ति करने के लिये सक्षम हो जिसका वह सरकारी सेवक तत्समय एक सदस्य है, अथवा

(ii) वह प्राधिकार जो उस पद पर नियुक्ति करने के लिये सक्षम हो जिसे वह सरकारी सेवक तत्समय धारण करता है, अथवा

(iii) वह प्राधिकार जो, यथास्थिति, ऐसी सेवा, कोटि या पद पर सरकारी सेवक की नियुक्ति किया हो, अथवा

(iv) जहाँ सरकारी सेवक किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य होते हुए अथवा कोई अन्य स्थायी पद मौलिक रूप से धारण करते हुए सरकार के सतत नियोजन में रहा हो, वहाँ वह प्राधिकार जो, उसे उस सेवा में या उस सेवा के किसी कोटि में या उस पद पर नियुक्त किया हो;

(च) किसी सेवा के संबंध में 'संवर्ग प्राधिकार' से वही अभिप्रेत होगा जो उस सेवा को विनियमित करनेवाली नियमावली में हो;

(छ) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;

(ज) "बिहार सरकार के विभाग" से अभिप्रेत है कार्यपालिका नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट कोई विभाग;

(झ) किसी संवर्ग–विशेष की नियमावली में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय "अनुशासनिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है नियुक्ति प्राधिकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार, जो नियम–14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी को सरकारी सेवक पर अधिरोपित करने के लिये इस नियमावली के अधीन सक्षम होंगे;

(ञ) 'सरकारी सेवक' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो–

(i) राज्य के अधीन किसी सेवा का सदस्य है अथवा सिविल पद धारण करता है और उसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जो बाह्य सेवा में हो अथवा जिसकी सेवा सरकार अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार को अस्थायी रूप से सौंपी गयी हो;

(ii) सरकार के अधीन किसी सेवा का सदस्य हो अथवा सिविल पद धारण करता हो और जिसकी सेवा संघ सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार को अस्थायी रूप से सौंपी गयी हो;

(ट) नियुक्ति, अनुशासनिक, अपीलीय या पुनरीक्षणकर्ता प्राधिकार के रूप में शक्तियों के प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकार जिसे बिहार सेवा संहिता के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया हो;

(ठ) नियुक्ति, अनुशासनिक, अपीलीय या पुनरीक्षणकर्ता प्राधिकार के रूप में शक्तियों के प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ "कार्यालय प्रधान" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकार जिसे कार्यालय प्रधान के रूप में घोषित किया गया हो;

(ड) "सचिव" से अभिप्रेत है किसी विभाग में सरकार का सचिव;

(ढ़) "सेवा" से अभिप्रेत है राज्य की सिविल सेवा;

(ण) "वैध नोटिस" से अभिप्रेत है सिविल प्रोसिड्योर कोड एवं जेनरल क्लाउजेज ऐक्ट के अधीन प्रावधानित नोटिस।

3. **नियमावली का लागू होना।**– (1) यह नियमावली, निम्नलिखित को छोड़कर, सभी सरकारी सेवकों पर लागू होगी :

(क) अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य,

(ख) आकस्मिक नियोजन में किसी व्यक्ति,

(ग) एक माह की अवधि से भी कम समय की सूचना पर सेवोन्मुक्ति के अधीन किसी व्यक्ति,

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसके लिये इस नियमावली से आच्छादित मामलों के संबंध में विशेष उपबंध तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या के अधीन अथवा इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व या बाद सरकार के पूर्वानुमोदन से, विशेष उपबंधों से आच्छादित मामलों के संबंध में किये गये किसी समझौते के अन्तर्गत किया जाता है।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के आदेश द्वारा, किसी वर्ग के सरकारी सेवक को इस नियमावली के किसी नियम या नियमों के उसके विरुद्ध प्रवर्त्तन से अपवर्जित किया जा सकेगा।

(3) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह नियमावली उप–नियम (1) के (घ) में आनेवाली सिविल सेवा या पद में अस्थायी रूप में स्थानान्तरित प्रत्येक सरकारी सेवक पर लागू होगी।

(4) यदि इस नियमावली के प्रावधानों के संबंध में कोई शंका उठती है तो मामला सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के लिये निर्देशित किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

भाग II

वर्गीकरण

4. **सिविल सेवाओं का वर्गीकरण।**– राज्य की सिविल सेवाओं को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जायेगा :

(i) समूह – क

(ii) समूह – ख

(iii) समूह – ग

(iv) समूह – घ

5. **सिविल सेवाओं का गठन।**– सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा राज्य के सिविल सेवाओं को समूह–क, समूह–ख, समूह–ग और समूह–घ में गठित किया जायेगा।

6. **पदों का वर्गीकरण।**– राज्य के अधीन सभी सिविल पदों को सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जायेगा :–

(i) समूह – क

(ii) समूह – ख

(iii) समूह – ग

(iv) समूह – घ

स्पष्टीकरण – इस नियमावली के प्रारम्भ होने के ठीक पहले लागू सभी नियमावलियों, आदेशों, परिशिष्टों, अधिसूचनाओं, विनियमावलियों, अनुदेशों एवं सभी निर्देशों में प्रयुक्त सिविल सेवाओं/पदों के समूह–क, समूह–ख, समूह–ग और समूह–घ के लिये निदेशों से अभिप्रेत सिविल सेवा/सिविल पद के क्रमशः समूह–क, समूह–ख, समूह–ग और समूह–घ के लिये निर्देश से होगा।

भाग III

नियुक्ति प्राधिकार

7. **सिविल सेवाओं में समूह–क एवं समूह–ख के पदों पर नियुक्ति।**– सिविल सेवा के समूह–क एवं समूह–ख के पदों पर सभी नियुक्तियाँ सरकार द्वारा की जायेंगी;

परन्तु सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा और उन शर्त्तों के अध्यधीन जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसी नियुक्तियाँ करने की शक्ति किसी अन्य प्राधिकार को प्रदत्त कर सकेगी।

8. **दूसरी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ।**– समूह–ग और समूह–घ के पदों पर सभी नियुक्तियाँ, सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट प्राधिकारों द्वारा की जायेगी।

भाग IV

निलम्बन

9. **निलम्बन का आदेश।**– (1) नियुक्ति प्राधिकार या ऐसा कोई भी प्राधिकार जिसका नियुक्ति प्राधिकार अधीनस्थ हो या अनुशासनिक प्राधिकार या सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकार किसी सरकारी सेवक को निलंबित कर सकेगा जब–

(क) सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही चलायी जानी हो या लंबित हो, अथवा

(ख) उपर्युक्त प्राधिकार की राय में सरकारी सेवक राज्य की सुरक्षा–हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले क्रियाकलाप में संलिप्त हो, अथवा

(ग) सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन हो और सक्षम प्राधिकार का यह समाधान हो गया हो कि लोकहित में सरकारी सेवक को निलंबित करना समीचीन है।

(2) कोई सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकार के किसी आदेश द्वारा निम्नलिखित तिथि के प्रभाव से निलंबित किया गया समझा जायेगा जब–

(क) उसके कारा–निरोध की तिथि से, यदि वह या तो आपराधिक आरोप पर या अन्यथा अड़तालिस घंटों से अधिक अवधि के लिये, अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया हो;

(ख) उसकी दोषसिद्धि की तिथि से, यदि किसी अपराध के लिये दोषसिद्धि की दशा में उसे अड़तालिस घंटों से अधिक की कारावास की अवधि से दंडादिष्ट किया गया हो और ऐसी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप उसे तत्काल सेवाच्युत या बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किया गया हो।

व्याख्या– इस उप–नियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालिस घंटों की अवधि की संगणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास प्रारम्भ होने की तिथि से की जायेगी और इस प्रयोजनार्थ कारावास की अन्तर्विरामी कालावधियाँ, यदि कोई हों, परिगणित की जायेंगी।

(3) (i) उप–नियम (2) के अधीन कारावास अवधि के बाद सरकारी सेवक द्वारा योगदान किये जाने पर निलंबित समझे जाने की अवधि समाप्त समझी जायेगी और योगदान स्वीकार किया जायेगा।

(ii) यदि उप–नियम (1) (क) या (ख) या (ग) के अधीन सरकारी सेवक को पुनः निलंबित करने का कोई निर्णय लिया जाता है तो ऐसी कार्रवाई उपर्युक्त खंड (i) के अनुसार योगदान स्वीकार करने के बाद ही एवं अलग से आदेश निर्गत कर की जा सकेगी।

(4) जहाँ निलम्बनाधीन सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति इस नियमावली के अधीन अपील या पुनरीक्षण में निरस्त कर दी जाती है और मामले को अगली जाँच या कार्रवाई या कोई अन्य निर्देश के साथ विप्रेषित कर दी जाती है, वहाँ उसके निलम्बन का आदेश सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि को एवं लगातार प्रवृत्त समझा जायेगा तथा अगले आदेश तक प्रवृत्त रहेगा।

(5) जहाँ सरकारी सेवक पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अधिरोपित शास्ति किसी न्यायालय के किसी आदेश द्वारा निरस्त कर दी जाती है या के परिणामस्वरूप शून्य घोषित होती है या शून्य हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात्, ऐसी परिस्थिति में यदि न्यायालय ने मामले के गुणावगुण पर विचार किये बिना मात्र तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो, सरकारी सेवक के विरुद्ध ऐसे आरोपों, जिन पर सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्त की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गयी थी, की पुनः जाँच करने का विनिश्चय करता है वहाँ सरकारी सेवक सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तिथि से नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निलंबित किया हुआ समझा जायेगा और अगले आदेश तक निलम्बनाधीन रहेगा।

(6) (क) इस नियम के अधीन किया गया अथवा किया हुआ समझा गया कोई निलम्बनादेश तबतक प्रवृत्त रहेगा जबतक सक्षम प्राधिकार द्वारा उसे संशोधित न किया जाय या वापस न लिया जाय।

(ख) जहाँ कोई सरकारी सेवक निलंबित किया गया हो अथवा निलंबित किया गया समझा गया हो (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) तथा उस निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी हो तब उसे निलंबित करने हेतु सक्षम प्राधिकार, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलेखित किये जायेंगे, यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक ऐसी कार्यवाहियों में से सभी या किसी की समाप्ति तक निलंबित रहेगा।

(ग) इस नियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया कोई निलम्बनादेश किसी भी समय, उसी प्राधिकार द्वारा संशोधित किया जा सकेगा या वापस लिया जा सकेगा जिसने या जिसके अधीनस्थ प्राधिकार ने ऐसा आदेश पारित किया हो।

(7) निलंबनादेश के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के भीतर आरोप–पत्र गठित कर दिया जायेगा जिसके नहीं होने पर तीन माह की समाप्ति पर निलंबनादेश वापस लिया जायेगा जबतक कि निलंबनादेश निर्गत करनेवाला प्राधिकार आरोप–पत्र के गठित किये जाने में विलम्ब के कारणों को अभिलेखित करते हुए अगले चार माह तक के लिये निलंबन को नवीकृत करने संबंधी आदेश पारित न करे :

परन्तु यह कि विस्तारित चार माह की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यदि आरोप–पत्र गठित नहीं किया जाता है तो निलबंनादेश स्वतः वापस ले लिया गया समझा जायेगा।

10. निलम्बन के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता।– (1) निलम्बनाधीन या निलम्बनाधीन समझा गया कोई सरकारी सेवक अर्द्ध औसत वेतन के बराबर जीवन–निर्वाह–भत्ता और इसके अतिरिक्त ऐसे अर्द्ध वेतन पर अनुमान्य महँगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा :

परन्तु यह कि जहाँ निलम्बन की अवधि बारह माह से अधिक हो गयी हो वहाँ वह प्राधिकार, जिसने ऐसा निलम्बनादेश पारित किया हो, प्रथम बारह माह के पश्चातवर्त्ती किसी अवधि के लिये जीवन–निर्वाह भत्ता की रकम में निम्नलिखित रूप में परिवर्तन करने में सक्षम होगा :

(i) यदि उक्त प्राधिकार की राय में निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिये, अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी नहीं हो तो जीवन–निर्वाह भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम द्वारा बढ़ायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन–निर्वाह भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(ii) यदि उक्त प्राधिकार की राय में निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक रही हो जिसके लिये, अभिलेखित किये जाने वाले ऐसे कारणों से, सरकारी सेवक उत्तरदायी हो तो जीवन–निर्वाह भत्ता की रकम एक ऐसी समुचित रकम तक घटायी जा सकेगी जो प्रथम बारह महीने की अवधि के दौरान अनुमान्य जीवन–निर्वाह–भत्ता के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(iii) महँगाई भत्ता की दर इस नियम के उप–खंड (i) या उप–खंड (ii) के अधीन, यथास्थिति, बढ़ी हुई अथवा घटी हुई अनुमान्य जीवन–निर्वाह भत्ता की दरों पर आधारित होगी :

परन्तु यह कि सरकारी सेवक केवल उसी अवधि के लिये जीवन–निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होग जब निलम्बन अवधि के दौरान वह मुख्यालय में वास्तव में उपस्थित रहा हो। उससे ऐसे सरकारी सेवकों के लिये बनायी गयी उपस्थिति–पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की अपेक्षा की जायेगी :

परन्तु यह और कि चूँकि कारावास अवधि के लिए मुख्यालय का निर्धारण नहीं हो सकता है, अतः कारावास अवधि के लिए ऐसी उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) कोई सरकारी सेवक उप–नियम (1) के अधीन तबतक भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा जबतक कि वह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करे कि वह किसी अन्य नियोजन, कारोबार, पेशा अथवा व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।

(3) जहाँ निलंबन नियम–9 के उप–नियम (2) के अधीन हो वहाँ भी जीवन–निर्वाह भत्ता उपर्युक्त उप–नियम (1) के अनुसार अनुमान्य होगा। सरकारी सेवक के कारावास में रहने के कारण निलंबित समझे जाने के फलस्वरूप जीवन–निर्वाह भत्ता का भुगतान उसके प्राधिकार–पत्र के आधार पर उसके नामांकित आश्रित को किया जा सकेगा। ऐसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा जहाँ ऐसा सरकारी सेवक कारावास में जाते समय पदस्थापित रहा हो।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार जीवन–निर्वाह– भत्ता मंजूर करने तथा उसे बढ़ाने या घटाने के लिये सक्षम प्राधिकार होगा।

11. निलम्बन के पश्चात पुनःस्थापित किये जाने पर सेवा का निरूपण तथा वेतन–भत्ता की अनुमान्यता।–

(1) जब निलम्बनाधीन कोई सरकारी सेवक पुनःस्थापित किया जाता है या इस प्रकार पुनःस्थापित होता यदि निलंबन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति नहीं होती, तो अनुशासनिक प्राधिकार निम्न बातों के संबंध में विचार करेगा और विनिर्दिष्ट आदेश देगा :–

(क) यथास्थिति, पुनःस्थापन होने या वार्धक्य सेवानिवृत्ति तक निलंबन अवधि के लिये सरकारी सेवक को भुगतेय वेतन तथा भत्ताः और

(ख) उक्त अवधि कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी अथवा नहीं।

(2) इस नियमावली के नियम–10 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी निलंबित सरकारी सेवक के

विरुद्ध शुरू की गयी अनुशासनिक या न्यायालीय कार्यवाही पूरी होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी हो वहाँ निलंबन की तिथि तथा मृत्यु की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर मानी जायेगी और उसके परिवार को उस अवधि के लिये पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह निलंबित नहीं होने पर हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते एवं सरकारी बकाया या ऋणों का समायोजन कर लिया जायेगा।

(3) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि निलंबन पूर्णरूपेण अनुचित था तो सरकारी सेवक को इस नियम के उपनियम (8) के उपबंधों के अधीन, वैसे पूरे वेतन तथा भत्ते का भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह निलंबित नहीं किये जाने पर हकदार होता। ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन–निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों का समायोजन कर लिया जायेगा :

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे प्राधिकार की राय हो कि सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित कार्यवाही के समापन में उन कारणों के चलते विलंब हुआ है जिसके लिये सरकारी सेवक सीधे उत्तरदायी है तो वह सरकारी सेवक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा और उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा। तत्पश्चात् वह लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे विलम्ब की अवधि के लिये ऐसे वेतन तथा भत्ते की मात्र उतनी राशि का भुगतान सरकारी सेवक को किया जायेगा जितनी उसके द्वारा निश्चित की जाय।

(4) इस नियम के उप–नियम (3) के अधीन आनेवाले मामलों में निलंबन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

(5) इस नियम के उप–नियम (2) और (3) के अधीन आनेवाले मामलों से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक को इस नियम के उप–नियम (8) तथा (9) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पूरे वेतन तथा भत्ते के उस अनुपात का, जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार विनिश्चित करे, भुगतान किया जायेगा जिसके लिये वह तब हकदार होता जब उसे निलंबित नहीं किया गया होता। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ऐसा विनिश्चयन सरकारी सेवक को प्रस्तावित राशि की नोटिस देने के पश्चात् और सरकारी सेवक द्वारा, उक्त नोटिस के तामिल होने की तिथि से साठ दिनों के अन्दर, उस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद दिया जायेगा।

(6) जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही या किसी न्यायालय में कार्यवाही के अंतिम निर्णय के लंबित रहते हुए निलंबन वापस लिया जाता है वहाँ सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यवाही पूरी होने के पहले इस नियम के उप–नियम (1) के अधीन पारित किसी आदेश की, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा स्वप्रेरणा से कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात् समीक्षा की जायेगी और उसके द्वारा यथास्थिति, उप–नियम (3) या उप–नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार एक आदेश पारित किया जायेगा।

(7) इस नियम के उप–नियम (5) के अधीन आनेवाले मामले में निलंबन अवधि तबतक कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि नहीं मानी जायेगी जबतक कि अनुशासनिक प्राधिकार विनिर्दिष्ट रूप से यह निदेश न दे कि यह अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये बितायी गयी अवधि होगी।

(8) इस नियम के उप–नियम (2), उप–नियम (3) या उप–नियम (5) के अधीन भत्तों का भुगतान उन अन्य सभी शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुमान्य हों।

(9) इस नियम के उप–नियम (3) के परन्तुक या उप–नियम (5) के उपबंधों के अधीन निश्चित किये गये पूर्ण वेतन एवं भत्ते का अनुपात न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही जीवन–निर्वाह भत्ता से कम।

12. **अपील के परिणामस्वरूप सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनःस्थापन पर सेवा का निरूपण एवं वेतन एवं भत्ते की अनुमान्यता।**– (1) जब किसी सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो, को अपील के परिणामस्वरूप पुनःस्थापित किया जाता है अथवा इस प्रकार पुनःस्थापित होता यदि निलंबन में रहते हुए उसकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति नहीं हुई होती तो अनुशासनिक प्राधिकार–

(क) यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा–निवृत्ति से पूर्व निलंबन की अवधि सहित सरकारी सेवक की कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिये उसे भुगतान किये जानेवाले वेतन एवं भत्ते, और

(ख) उक्त अवधि को कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी अथवा नहीं,

– के संबंध में विचार करेगा और विशिष्ट आदेश पारित करेगा।

(2) इस नियम के उप–नियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक को निम्नलिखित मामलों में पूर्ण वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा जो उसे अनुमान्य होता यदि वह यथास्थिति ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त नहीं किया जाता–

(i) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक, जिसे सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया था, को पूर्णरूप से दोषमुक्त कर दिया गया हो, अथवा

(ii) जहाँ इस नियमावली के अनुपालन नहीं होने के आधार–मात्र पर अपीलीय प्राधिकार द्वारा सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवा–निवृति संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया हो और आगे कोई जाँच किया जाना प्रस्तावित नहीं हो :

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित कार्यवाही के समापन में विलम्ब के लिये सरकारी सेवक ही सीधे तौर पर जबावदेह है तो वह उसे अभ्यावेदन देने एवं सुनवाई का अवसर देकर और उसके द्वारा समर्पित अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार कर, कारणों को अभिलेखित करते हुए, निदेश दे सकेगा कि उप–नियम (7) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सरकारी सेवक को ऐसे विलम्ब की अवधि के लिये ऐसे वेतन एवं भत्ते के मात्र ऐसे अनुपात का भुगतान किया जायेगा, जो उस प्राधिकार द्वारा निश्चित की जाय।

(3) इस नियम के उप–नियम (2) के अधीन आनेवाले किसी मामले में, यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलम्बन की अवधि सहित कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

(4) इस नियम के उप–नियम (2) द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न मामलों में, उप–नियम (6) एवं (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकारी सेवक को पूर्ण वेतन एवं भत्ते के ऐसे अनुपात का, जो अनुशासनिक प्राधिकार विनिश्चित करे, भुगतान किया जायेगा जो उसे तब अनुमान्य होता जब वह यथास्थिति, ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व सेवाच्युत, बर्खास्त या अनिवार्य सेवानिवृत्त अथवा निलंबित नहीं किया जाता। भुगतान के अनुपात का ऐसा विनिश्चयन अनुशासनिक प्राधिकार सरकारी सेवक को प्रस्तावित अनुपात का नोटिस देकर एवं सरकारी सेवक

को तामिल की गयी नोटिस की तिथि से साठ दिनों के अन्दर प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार कर करेगा।

(5) इस नियम के उप–नियम (4) के अधीन आनेवाले मामलों में, यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व उसके निलंबन की अवधि सहित कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि तबतक नहीं समझी जायेगी जब तक कि अनुशासनिक प्राधिकार विशेष रूप से यह निदेश नहीं दे कि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु इसे वैसी अवधि समझी जाय :

परन्तु यह कि यदि कोई सरकारी सेवक ऐसा अभ्यावेदन दे, तो ऐसा प्राधिकार विचारण के बाद यह निदेश दे सकेगा कि यथास्थिति, उसकी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित अनुपस्थिति की अवधि को सरकारी सेवक को देय और अनुमान्य किसी प्रकार की छुट्टी के रूप में परिवर्तित किया जायेगा।

(6) उप–नियम (2) या उप–नियम (4) के अधीन भत्तों का भुगतान उन अन्य सभी शर्त्तों के अधीन होगा जिनके अन्तर्गत भत्ते अनुमान्य हों।

(7) उप–नियम (2) के परन्तुक या उप–नियम (4) के अधीन विनिश्चित पूरे वेतन एवं भत्ते का अनुपात, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही नियम–10 के अधीन अनुमान्य जीवन–निर्वाह–भत्ता एवं अन्यभत्तों से कम।

(8) पुनर्स्थापन होने पर इस नियम के अधीन किसी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार का भुगतान, यथास्थिति, बर्खास्तगी, सेवाच्युति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि के दौरान किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित रकम, यदि कोई हो, से समंजन के अधीन रहते हुए किया जायेगा। जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन एवं भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित रकम के बराबर या उससे कम होंगे वहाँ सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. **जहाँ सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाय वहाँ पुनःस्थापन, सेवा का निरूपण एवं वेतन और भत्ते की अनुमान्यता।**– (1) जहाँ किसी सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाय और ऐसा सरकारी सेवक, आगे किसी और जाँच किये बिना पुनःस्थापित कर दिया जाय, वहाँ कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि विनियमित कर दी जायेगी तथा न्यायालय के निदेशों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, इस नियम के उप–नियम (2) या (3) के उपबंधों के अनुसार सरकारी सेवक को वेतन और भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

(2) (i) इस नियम के उप–नियम (3) द्वारा आच्छादित मामलों से भिन्न मामलों में, सरकारी सेवक को पूरे वेतन और भत्ते के उस अनुपात का भुगतान किया जायेगा जो उसे, यथास्थिति, सेवाच्युत नहीं किये जाने, बर्खास्त नहीं किये जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किये जाने अथवा ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबित नहीं किये जाने पर अनुमान्य होता, और जैसा कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित किया जाय। भुगतान के अनुपात का ऐसा विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार प्रस्तावित राशि के बारे में सरकारी सेवक को नोटिस देकर और सरकारी सेवक को उपर्युक्त नोटिस तामिल किये जाने की तिथि से साठ दिनों के भीतर इस संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद करेगा :

परन्तु यह कि सरकारी सेवक को इस उप–नियम के अधीन कोई भुगतान, यथास्थिति, न तो पूर्ण वेतन एवं भत्ते के बराबर होगा और न ही नियम–10 के अधीन अनुमान्य जीवन–निर्वाह भत्ता एवं अन्य भत्तों से कम।

(ii) सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबन की अवधि सहित यथास्थिति, सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि और न्यायालय के निर्णय की तिथि के बीच की अवधि नियम–12 के उप–नियम (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनियमित की जायेगी।

(3) जहाँ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृति किसी न्यायालय द्वारा मामले के गुणागुण पर निरस्त की गयी हो, अथवा जहाँ सरकारी सेवक की सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति किसी न्यायालय द्वारा इस नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने मात्र के आधार पर निरस्त की गयी हो और आगे कोई जाँच किया जाना प्रस्तावित न हो, वहाँ, यथास्थिति सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि तथा पुनःस्थापन की तिथि के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिये कर्त्तव्य पर मानी जायेगी। फलस्वरूप उस अवधि के लिये सरकारी सेवक को पूरे वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जायेगा, जो उसे, यथास्थिति, पदच्युत नहीं किये जाने, हटाये नहीं जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किये जाने अथवा ऐसी सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के पूर्व निलंबित नहीं किये जाने पर अनुमान्य होता।

(4) इस नियम के उप–नियम (2) या उप–नियम (3) के अधीन भत्तों का भुगतान उन सभी अन्य शर्त्तों के अधीन होगा जिनके अन्तर्गत ऐसे भत्ते अनुमान्य हों।

(5) पुनर्स्थापन होने पर, सरकारी सेवक को इस नियम के अधीन किसी राशि का भुगतान सेवाच्युति, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति और सेवा में पुनर्स्थापन की तिथि के बीच की अवधि में, किसी नियोजन के माध्यम से उसके द्वारा अर्जित राशि, यदि कोई हो, के समायोजन के अधीन रहते हुए होगा। जहाँ इस नियम के अधीन अनुमान्य वेतन और भत्ते अन्यत्र ऐसे नियोजन के दौरान अर्जित राशि के बराबर या उससे कम हो वहाँ सरकारी सेवक को कुछ भी भुगतान नहीं किया जायेगा।

भाग – V

शास्तियाँ और अनुशासनिक प्राधिकार

14. लघु एवं वृहत शास्तियाँ।– समुचित और यथेष्ट कारणों से तथा इसमें इसके बाद यथाउपबंधित, निम्नलिखित शास्तियाँ, सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकेंगी, यथा :–

लघु शास्तियाँ :–

(i) निन्दन;

(ii) प्रोन्नति की रोक;

(iii) लापरवाही या आदेशोल्लंघन के कारण सरकार को उसके द्वारा पहुँचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसके वेतन से पूरी या आंशिक वसूली;

(iv) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;

(v) वेतनवृद्धियों की रोक;

वृहत शास्तियाँ –

(vi) इस नियम के खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाय, कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अवनति, इन निदेशों के साथ भी कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं;

(vii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में (जिससे वह अवनत किया गया हो) प्रोन्नति के लिये उस कोटि या पद या सेवा में (जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो) प्रत्यावर्तन की शर्त्तों तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जानेवाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा;

(viii) अनिवार्य सेवानिवृति;

(ix) सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी;

(x) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी :

परन्तु यह कि ऐसे हरेक मामले में जिसमें किसी पदीय कार्य करने या से प्रविरत करने के लिये हेतु या पुरस्कार के रूप में, किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न, कोई परितोषण स्वीकार किया जाना सिद्ध हो जाय, खंड (ix) या खंड (x) में उल्लेखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी :

परन्तु यह भी कि किसी आपवादिक मामले में तथा विशेष कारणों से, जिन्हें अभिलेखित किया जायेगा, कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण – इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति नहीं माना जायेगा, यथा :–

(i) किसी सरकारी सेवक की, जिस सेवा में वह है या जो पद वह धारण करता है उसे शासित करनेवाले नियमों या आदेशों या उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर, वेतन–वृद्धि रोक रखना;

(ii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद (जिसके लिये वह अर्हक हो) के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति रोक देना;

(iii) किसी सरकारी सेवक को, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद (जिसके लिये वह अर्हक हो) के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति नहीं मिलना;

(iv) उच्चतर सेवा, कोटि या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत किसी सरकारी सेवक का, उसके आचरण से अनजुड़े किसी प्रशासनिक आधार पर निम्नतर सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्त्तन;

(v) परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, कोटि या पद पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक का, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्त्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति या उसके दौरान उसकी स्थायी सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्त्तन;

(vi) किसी सरकारी सेवक की सेवा का, जिसकी सेवाएँ किसी राज्य सरकार से या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन के किसी प्राधिकार से उधार ली गयी हो, उस राज्य सरकार या उस प्राधिकार में प्रतिस्थापन, जिससे ऐसे सरकारी सेवक की सेवा उधार ली गयी थी;

(vii) अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति से संबंधित बिहार सेवा संहिता के नियम–74 के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(viii) सेवा–समाप्ति–

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक की, उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, अथवा

(ख) करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी सेवक की, ऐसे करार के निर्बंधनों और शर्त्तों के अनुसार।

15. अनुशासनिक प्राधिकार।– (1) सरकार किसी सरकारी सेवक पर नियम–14 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगी।

(2) उप–नियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी सरकारी सेवक पर, नियुक्ति प्राधिकार या कोई प्राधिकार जिसके अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकार हो द्वारा अथवा सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस हेतु शक्ति प्रदत्त किसी अन्य प्राधिकार द्वारा नियम 14 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

16. कार्यवाही संस्थित करने का प्राधिकार।– (1) सरकार या नियुक्ति प्राधिकार या कोई प्राधिकार जिसके अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकार हो, या सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्रदत्त कोई अन्य प्राधिकार–

(क) किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा;

(ख) अनुशासनिक प्राधिकार को निदेश दे सकेगा कि किसी सरकारी सेवक, जिस पर वह अनुशासनिक प्राधिकार इस नियमावली के अधीन नियम–14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने में सक्षम हो, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करे।

(2) नियम–14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये इस नियमावली के अधीन सक्षम कोई अनुशासनिक प्राधिकार, इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अनुशासनिक प्राधिकार नियम–14 के खंड (vi) से (x) के अधीन शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये इस नियमावली के अधीन सक्षम नहीं है, नियम 14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने हेतु किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा।

भाग – VI

शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया

17. वृहत शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया।– (1) जहाँ तक हो सके इस नियमावली में उपबंधित रीति से जाँच किये बिना नियम–14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने हेतु आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) जहाँ कहीं अनुशासनिक प्राधिकार की राय हो कि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अवचार या कदाचार के किसी लांछन की सचाई के बारे में जाँच करने के आधार हैं वहाँ वह स्वयं इसकी जाँच कर सकेगा अथवा उसकी सचाई के बारे में जाँच के लिये इस नियमावली के अधीन कोई प्राधिकार नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार स्वयं जाँच करता हो वहाँ जाँच प्राधिकार से संबंधित इस नियम के

उप–नियम (7) से उप–नियम (20) में तथा उप–नियम (22) में जाँच प्राधिकार के प्रति कोई निर्देश अनुशासनिक प्राधिकार के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

(3) वहाँ इस नियम के अधीन सरकारी सेवक के विरुद्ध जाँच करना प्रस्तावित हो वहाँ अनुशासनिक प्राधिकार –

(i) अवचार या कदाचार के लांछनों के सार को एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के मद के रूप में लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा;

(ii) आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवायेगा, जिसमें –

(क) सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित सभी सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन, और

(ख) उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो,

– अंतर्विष्ट रहेंगी।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार सरकारी सेवक को आरोप की मदों की एक प्रति, अवचार या कदाचार के लांछनों के उस अभिकथन तथा उन दस्तावेजों और साक्षियों की सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों का सिद्ध होना प्रस्तावित हो, देगा या दिलवायेगा तथा सरकारी सेवक से अपेक्षा करेगा कि यथाविनिर्दिष्ट समय के भीतर अपने बचाव का एक लिखित अभिकथन प्रस्तुत करे और यह अभिकथित करे कि क्या वह चाहता है कि स्वयं उसे व्यक्तिशः सुना जाय।

(5) (क) बचाव का लिखित कथन प्राप्त होने पर अनुशासनिक प्राधिकार आरोप की उन मदों के बारे में जाँच–पड़ताल स्वयं कर सकेगा जिन्हें स्वीकार न किया गया हो, अथवा यदि वह इस नियम के उप–नियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ जाँच प्राधिकार नियुक्त करना आवश्यक समझे तो वह वैसा कर सकेगा और जहाँ सरकारी सेवक द्वारा अपने बचाव के लिखित कथन में सभी आरोप के मदों को स्वीकार कर लिया गया हो वहाँ अनुशासनिक प्राधिकार ऐसे साक्ष्य लेते हुए जिसे वह उचित समझे, प्रत्येक आरोप पर अपना निष्कर्ष अभिलेखित करेगा तथा नियम–18 में दी गयी रीति से कार्रवाई करेगा।

(ख) यदि सरकारी सेवक द्वारा बचाव का कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो अनुशासनिक प्राधिकार आरोप की मदों की जाँच–पड़ताल स्वयं कर सकेगा अथवा यदि वह इस नियम के उप–नियम (2) के अधीन इस प्रयोजनार्थ जाँच प्राधिकार की नियुक्ति करना आवश्यक समझे तो वह वैसा कर सकेगा।

(ग) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार आरोप के किसी मद के बारे में जाँच–पड़ताल स्वयं करे अथवा ऐसे आरोप के बारे में जाँच–पड़ताल करने के लिये जाँच प्राधिकार की नियुक्ति करे, वहाँ वह आरोप की मदों के समर्थन में मामला को उसकी ओर से प्रस्तुत करने के लिये, एक आदेश द्वारा, किसी सरकारी सेवक को या किसी विधि व्यवसायी को 'प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी' के रूप में नियुक्ति कर सकेगा।

(6) अनुशासनिक प्राधिकार, जहाँ वह जाँच प्राधिकार न हो, जाँच प्राधिकार को निम्नलिखित अभिलेख अग्रसारित करेगा :–

(i) आरोप की मदों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों के विवरण की एक प्रति;

(ii) सरकारी सेवक द्वारा समर्पित बचाव का लिखित अभिकथन, यदि कोई हो, की एक प्रति;

(iii) इस नियम के उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट साक्षियों, यदि कोई हो, के अभिकथन की एक प्रति;

(iv) इस नियम के उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को सरकारी सेवक को उपलब्ध कराया जाना साबित करनेवाला साक्ष्य; और

(v) 'प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी' की नियुक्ति संबंधी आदेश की एक प्रति।

(7) सरकारी सेवक, आरोप की मदों तथा अवचार या कदाचार के लांछनों का विवरण उसके द्वारा प्राप्त किये जाने की तिथि से दस कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि और उस समय पर, जो जाँच प्राधिकार इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अथवा जाँच प्राधिकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त दस दिनों से अनधिक समय के भीतर, जाँच प्राधिकार के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा।

(8) (क) सरकारी सेवक, अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये, अपने मुख्यालय में या जहाँ जाँच की जा रही हो उस स्थान पर, किसी कार्यालय में पदस्थापित अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा :

परन्तु यह कि वह इस प्रयोजनार्थ किसी विधि व्यवसायी को तब तक नहीं रख सकेगा जबतक कि अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कोई विधि व्यवसायी न हो, अथवा मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अनुशासनिक प्राधिकार ऐसी अनुमति न दे;

परन्तु यह भी कि यदि अनुशासनिक प्राधिकार, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अभिलेखित कारणों से, ऐसा करने की अनुमति दे तो सरकारी सेवक किसी अन्य स्थान पर पदस्थापित किसी अन्य सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा;

परन्तु यह और कि सरकारी सेवक किसी ऐसे अन्य सरकारी सेवक की सहायता नहीं ले सकेगा जिसके पास ऐसे तीन लम्बित अनुशासनिक मामले हों जिनमें उसे सहायता देनी हो।

(ख) सरकार द्वारा इस निमित्त समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन सरकारी सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी सेवा–निवृत्त सरकारी सेवक की सहायता ले सकेगा।

(9) यदि सरकारी सेवक, जिसने अपने बचाव के लिखित अभिकथन में आरोप के किसी मद को स्वीकार न किया हो या बचाव में कोई लिखित अभिकथन प्रस्तुत न किया हो, जाँच प्राधिकार के समक्ष उपस्थित होता है तो वह प्राधिकार उससे पूछेगा कि वह दोषी है या नहीं अथवा अपने बचाव के लिये उसे कुछ कहना है या नहीं और यदि वह आरोप के किसी मद का दोषी होने का अभिवचन करता हो तो जाँच प्राधिकार उस अभिवचन को अभिलेखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा तथा उस पर सरकारी सेवक से हस्ताक्षर करा लेगा।

(10) आरोप के जिन मदों के संबंध में सरकारी सेवक ने दोषी होने का अभिवचन किया हो जाँच प्राधिकार उन दोषों पर अपना निष्कर्ष वापस कर देगा।

(11) यदि सरकारी सेवक, विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में विफल हो अथवा अभिवचन से इनकार करता हो या अभिवचन नहीं करता हो, तो जाँच प्राधिकार, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से अपेक्षा करेगा कि वह उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करे जिनके द्वारा आरोप की मदों को वह साबित करना चाहता हो और मामले को तीस दिनों से अनधिक की

बाद की तिथि के लिये स्थगित कर देगा और इस आशय का आदेश अभिलेखित करेगा कि सरकारी सेवक अपना प्रतिवाद तैयार करने के लिये –

(i) आदेश किये जाने के पाँच दिनों के भीतर अथवा जाँच प्राधिकार द्वारा यथाअनुमत पाँच दिनों से अनधिक अतिरिक्त समय के भीतर इस नियम के उप–नियम (3) में सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है;

(ii) अपनी ओर से परीक्षण किये जानेवाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकता है।

टिप्पणी : यदि सरकारी सेवक उप–नियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लेखित साक्षियों के बयानों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का लिखित आवेदन करे तो जाँच प्राधिकार यथाशीघ्र उसे ऐसी प्रतियाँ दे देगा।

(iii) आदेश किये जाने के दस दिनों के भीतर या जाँच प्राधिकार द्वारा यथाअनुमत अतिरिक्त समय के भीतर ऐसे किसी दस्तावेज की खोज करने या पेश करने की नोटिस दे सकेगा जो सरकार के पास हो किन्तु इस नियम के उप–नियम (3) में विनिर्दिष्ट सूची में उल्लेखित न हो;

परन्तु यह कि सरकारी सेवक खोज किये जानेवाले या सरकार द्वारा पेश किये जानेवाले उसके द्वारा अपेक्षित कागजातों की सुसंगति इंगित करेगा।

(12) दस्तावेजों को खोजने या पेश करने की नोटिस प्राप्त होने पर जाँच प्राधिकार उसे या उसकी प्रतिलिपियाँ एक अध्यपेक्षा के साथ उस प्राधिकार को, जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे गये हों, अध्यपेक्षा में यथाविनिर्दिष्ट तिथि तक दस्तावेज पेश करने हेतु अग्रसारित कर देगा;

परन्तु यह कि जाँच प्राधिकार, अपने द्वारा लिखित रूप से अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, ऐसे दस्तावेजों की अध्यपेक्षा को अस्वीकार कर सकेगा जिन्हें वह मामले के लिये अप्रासंगिक समझे।

(13) इस नियम के उप–नियम (12) में विनिर्दिष्ट अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, अध्यपेक्षित दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जा में रखनेवाला हरेक प्राधिकार उन्हें जाँच प्राधिकार के समक्ष पेश करेगा;

परन्तु यह कि अध्यपेक्षित दस्तावेजों को अभिरक्षा या कब्जा में रखनेवाले प्राधिकार का, उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, यदि यह समाधान हो जाय कि ऐसे दस्तावेजों में से सभी या किसी को पेश करना लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा तो वह तदनुसार जाँच प्राधिकार को सूचित करेगा और इस तरह सूचित किये जाने पर, जाँच प्राधिकार, यह जानकारी सरकारी सेवक को संसूचित करेगा तथा ऐसे दस्तावेजों को पेश करने या खोजने के लिये की गयी अध्यपेक्षा को वापस ले लेगा।

(14) जाँच के लिये नियत तिथि को, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जिनके आधार पर आरोप की मदों को साबित करना प्रस्तावित हो, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साक्षियों का परीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किया जायेगा और सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर से प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी उन बिन्दुओं पर साक्षियों का पुनर्परीक्षण करने का हकदार होगा जिन पर उनका प्रतिपरीक्षण किया गया हो, किन्तु जाँच प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी नये विषय पर प्रतिपरीक्षण नहीं करेगा। जाँच प्राधिकार भी साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिसे वह उचित समझे।

(15) अनुशासनिक प्राधिकार की ओर से मामला बन्द किये जाने के पूर्व यदि आवश्यक प्रतीत हो तो जाँच प्राधिकार

स्वविवेक से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा जो सरकारी सेवक को दी गयी सूची में सम्मिलित न हो या स्वयं नये साक्ष्यों की माँग कर सकेगा अथवा किसी साक्षी को पुनः बुलाकर उसका पुनर्परीक्षण कर सकेगा और ऐसी दशा में सरकारी सेवक, यदि माँग करे तो, पेश किये जाने के लिये प्रस्तावित अतिरिक्त साक्ष्यों की सूची लेने तथा ऐसे नये साक्ष्यों को पेश करने के पूर्व पूरे तीन दिनों के लिये जाँच का स्थगन लेने का हकदार होगा, जिसमें स्थगन का दिन एवं जिस दिन के लिये जाँच स्थगित की गयी हो, शामिल नहीं रहेंगे। अभिलेख पर लिये जाने के पूर्व जाँच प्राधिकार उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अवसर सरकारी सेवक को देगा। जाँच प्राधिकार सरकारी सेवक को भी नये साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकेगा यदि उसकी यह राय बने कि न्याय के हित में ऐसे साक्ष्यों को पेश करना आवश्यक है :

परन्तु यह कि साक्ष्य की अनुपूर्ति के लिये नया साक्ष्य देने या माँगने या किसी साक्षी को फिर से बुलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसे साक्ष्य की माँग तभी की जा सकेगी जब मूलतः पेश किये गये साक्ष्य में कोई अन्तर्निहित कमी या दोष हो।

(16) जब अनुशासनिक प्राधिकार के लिये मामला बन्द हो जाय तब सरकारी सेवक से अपेक्षा की जायेगी कि वह मौखिक या लिखित, जैसा वह पसंद करे, अपने प्रतिवाद का अभिकथन करे। यदि प्रतिवाद मौखिक रूप से किया जाय तो उसे अभिलेखित किया जायेगा और सरकारी सेवक से अभिलेख पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जायेगी। दोनों ही दशाओं में प्रतिवाद अभिकथन की प्रति नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यदि कोई हो, को दी जायेगी।

(17) उसके बाद सरकारी सेवक की ओर से साक्ष्य पेश किया जायेगा। सरकारी सेवक यदि चाहे तो, अपनी ओर से स्वयं परीक्षण कर सकेगा। उसके बाद, सरकारी सेवक द्वारा पेश किये गये साक्षियों का परीक्षण किया जायेगा और वे अनुशासनिक प्राधिकार के साक्षियों पर लागू उपबंधों के अनुसार जाँच प्राधिकार द्वारा परीक्षण किये जाने, प्रतिपरीक्षण किये जाने एवं पुनर्परीक्षण किये जाने के दायी होंगे।

(18) यदि सरकारी सेवक ने स्वयं परीक्षण न किया हो तो, सरकारी सेवक द्वारा अपना मामला बन्द किये जाने के पश्चात्, जाँच प्राधिकार, सरकारी सेवक के विरुद्ध साक्ष्य में दिखनेवाली परिस्थितियों के संबंध में उसकी स्थिति स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ उससे सामान्य पूछताछ करेगा।

(19) साक्ष्यों को पेश किया जाना पूरा हो जाने पर, जाँच प्राधिकार, नियुक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, यदि कोई हो, और सरकारी सेवक को सुनेगा या, यदि वह चाहे तो, उन्हें अपने–अपने मामले का लिखित पक्ष कथन दाखिल करने की अनुमति देगा।

(20) यदि सरकारी सेवक, जिसे आरोप की मदों की एक प्रति दी गयी हो, बचाव का लिखित अभिकथन, इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट तिथि को या उससे पूर्व पेश न करे अथवा जाँच प्राधिकार के समक्ष स्वयं उपस्थित न हो अथवा इस नियम के उपबंधों का अनुपालन करने में अन्यथा विफल रहे या अस्वीकार करे तो जाँच प्राधिकार एकपक्षीय जाँच कर सकेगा।

(21) (क) जहाँ नियम–14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये सक्षम कोई अनुशासनिक प्राधिकार [लेकिन नियम–14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने के लिये सक्षम नहीं] ने स्वयं आरोप की किसी मद की जाँच की हो या जाँच करवायी हो और अपने निष्कर्ष अथवा अपने द्वारा नियुक्त किसी जाँच प्राधिकार के निष्कर्ष पर अपने विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए यदि उसकी यह राय हो कि

नियम–14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियाँ सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह प्राधिकार जाँच अभिलेख ऐसे अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित कर देगा जो नियम–14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियाँ अधिरोपित करने में सक्षम हो।

(ख) अनुशासनिक प्राधिकार, जिसे उपर्युक्त प्रकार से अभिलेख प्रेषित किये गये हों, अभिलेख में दिये गये साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा, अथवा यदि उसकी यह राय हो कि न्याय के हित में साक्षियों में से किसी की आगे और जाँच करना आवश्यक है तो वह साक्षियों को बुलाकर उनका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनर्परीक्षण कर सकेगा तथा सरकारी सेवक पर ऐसी शास्तियाँ अधिरोपित कर सकेगा, जैसा वह इस नियमावली के अनुसार उचित समझे।

(22) जब कभी किसी जाँच में संपूर्ण साक्ष्य या इसके किसी भाग को सुनने और अभिलेखित किये जाने के पश्चात् किसी जाँच प्राधिकार को उसमें अधिकारिता न रह जाय तथा अन्य जाँच प्राधिकार प्रभार ग्रहण करे जिसे ऐसी अधिकारिता हो और जो उस अधिकारिता का प्रयोग करे, तो वह उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकार अपने पूर्ववर्ती द्वारा उस प्रकार अभिलेखित किये गये अथवा आंशिक रूप से अपने पूर्ववर्ती द्वारा तथा आंशिक रूप से स्वयं द्वारा अभिलेखित किये गये साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा :

परन्तु यह कि यदि उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकार की राय हो कि साक्षियों में से किसी की, जिसका साक्ष्य पहले अभिलेखित किया जा चुका हो, पुनः आगे जाँच न्यायहित में आवश्यक है, तो वह किसी ऐसे साक्षी को बुला सकेगा, उसका परीक्षण, प्रतिपरीक्षण और पुनर्परीक्षण कर सकेगा, जैसा कि इसमें पूर्व–उपबंधित है।

(23) (i) जाँच की समाप्ति के पश्चात् एक अभिलेख तैयार किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होंगे–

(क) आरोप की मदों और अवचार अथवा कदाचार के लांछन की विवरणी;

(ख) प्रत्येक आरोप की मद के संबंध में सरकारी सेवक का प्रतिवाद;

(ग) प्रत्येक आरोप की मद के संबंध में साक्ष्य का निर्धारण;

(घ) प्रत्येक आरोप की मद पर निष्कर्ष और उसके कारण।

स्पष्टीकरण – यदि जाँच प्राधिकार की राय में जाँच की कार्यवाही आरोप की मूल मदों से भिन्न किसी आरोप की मद को सिद्ध करे, तो वह ऐसे आरोप की मद पर अपना निष्कर्ष अभिलेखित कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसे आरोप की मद पर निष्कर्ष तबतक अभिलेखित नहीं किये जायेंगे, जबतक कि सरकारी सेवक ने ऐसे तथ्यों को, जिन पर ऐसे आरोप की मद आधारित हो, या तो स्वीकार न कर लिया हो या ऐसे आरोप की मद के विरुद्ध अपना प्रतिवाद करने के लिये उसे युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(ii) जाँच प्राधिकार, जहाँ वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकार न हो, जाँच–अभिलेख अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित कर देगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे –

(क) इस उप–नियम के खंड (i) के अधीन उसके द्वारा तैयार किया गया प्रतिवेदन;

(ख) सरकारी सेवक द्वारा समर्पित किये गये बचाव का लिखित अभिकथन, यदि कोई हो;

(ग) जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) जाँच के दौरान प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी या सरकारी सेवक या दोनों के द्वारा दाखिल किये गये लिखित पक्ष–कथन, यदि कोई हो; और

(ङ) अनुशासनिक प्राधिकार तथा जाँच प्राधिकार द्वारा जाँच से संबंधित किये गये आदेश, यदि कोई हो।

18. जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई।– (1) अनुशासनिक प्राधिकार, यदि वह स्वयं जाँच प्राधिकार न हो, लिखित रूप में अभिलेखित किये जानेवाले कारणों से, पुनः आगे जाँच करने एवं प्रतिवेदन देने के लिये मामले को जाँच प्राधिकार के पास वापस प्रेषित कर सकेगा तथा जाँच प्राधिकार उस पर, जहाँ तक हो सके नियम–17 के उपबंधों के अनुसार पुनः आगे जाँच करेगा।

(2) नियम–17 (23) (ii) या उप–नियम (1) के अनुसार जाँच प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर, अनुशासनिक प्राधिकार यदि वह आरोप की किसी मद पर जाँच प्राधिकार के निष्कर्ष से असहमत हो तो ऐसी असहमति के लिये अपने कारणों को अभिलेखित करेगा तथा ऐसे आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलेखित करेगा, यदि उस प्रयोजनार्थ अभिलेख में उल्लेखित साक्ष्य पर्याप्त हो।

(3) अनुशासनिक प्राधिकार जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि, उप–नियम (2) में यथाउपबंधित स्वयं के निष्कर्ष, यदि कोई हो, के साथ, सरकारी सेवक को भेजेगा या भेजवायेगा, जो, यदि वह ऐसा चाहे, अपना लिखित अभ्यावेदन या निवेदन अनुशासनिक प्राधिकार को पन्द्रह दिनों के अन्दर समर्पित कर सकेगा।

(4) अनुशासनिक प्राधिकार, उप–नियम (5) एवं (6) में यथानिर्दिष्ट अग्रेतर कार्रवाई करने के पूर्व, सरकारी सेवक द्वारा समर्पित अभ्यावेदन या निवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(5) आरोप की सभी या किसी मद से संबंधित अपने निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यदि अनुशासनिक प्राधिकार की यह राय हो कि नियम–14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह नियम–19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश देगा।

(6) आरोप की सभी अथवा किसी मद पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा जाँच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर यदि अनुशासनिक प्राधिकार की यह राय हो कि नियम–14 के खंड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जानी चाहिए, तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करते हुए आदेश देगा और अधिरोपित होनेवाली प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा।

(7) उप नियम (5) एवं (6) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी हरेक मामले में, जहाँ आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो, वहाँ आयोग से परामर्श किया जायेगा और सरकारी सेवक पर कोई शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश देने के पूर्व उसके परामर्श पर विचार किया जायेगा।

19. लघु शास्तियाँ अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया।– (1) नियम–18 के उप–नियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी सरकारी सेवक पर नियम–14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश निम्नांकित कार्रवाइयों के किये बिना नहीं दिया जायेगा–

(क) उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिये प्रस्ताव तथा कदाचार अथवा अवचार का लांछन, जिसके आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित हो, की सरकारी सेवक को लिखित जानकारी, और उसे ऐसा अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर, जैसा वह प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहे;

(ख) हरेक मामले जिसमें अनुशासनिक प्राधिकार की राय में ऐसी जाँच आवश्यक हो नियम 17 के उप–नियम (3) से (23) तक में विहित रीति से जाँच;

(ग) सरकारी सेवक द्वारा खंड (क) के अधीन समर्पित अभ्यावेदन तथा खंड (ख) के अधीन की गयी जाँच, यदि कोई हो, पर विचार;

(घ) प्रत्येक अवचार या कदाचार पर निष्कर्ष का अभिलेखन; और

(ड़) आयोग से परामर्श करना जहाँ ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो।

(2) ऐसे मामलों में कार्यवाही के अभिलेख में निम्नांकित शामिल रहेंगे–

(i) सरकारी सेवक को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना की एक प्रतिलिपि;

(ii) उसे उपलब्ध कराये गये अवचार या कदाचार के लांछन के अभिकथन की एक प्रतिलिपि;

(iii) उसका अभ्यावेदन, यदि कोई हो;

(iv) जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य;

(v) आयोग का परामर्श, यदि कोई हो;

(vi) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन के बारे में निष्कर्ष; और

(vii) मामले पर, कारणों के साथ, आदेश।

20. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया।– नियम–17 से 19 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी –

(i) जहाँ किसी सरकारी सेवक पर कोई शास्ति किसी आपराधिक आरोप के संबंध में उसकी दोषसिद्धि की ओर ले जानेवाले आचरण के आधार पर अधिरोपित किया जाय, अथवा

(ii) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार का अपने द्वारा लिखित रूप में अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान हो जाय कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से जाँच करना युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, अथवा

(iii) जहाँ सरकार का समाधान हो जाय कि इस नियमावली में उपबंधित रीति से कोई जाँच करना राज्य के हित में समीचीन नहीं है,

– तो अनुशासनिक प्राधिकार मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा तथा ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु यह कि खंड (i) के अधीन किसी मामले में कोई आदेश करने के पूर्व अधिरोपित की जानेवाली प्रस्तावित शास्ति पर सरकारी सेवक को अभ्यावेदन देने का एक अवसर दिया जायेगा ;

परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन किसी मामले में कोई आदेश करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायेगा जहाँ ऐसा परामर्श आवश्यक हो।

21. आदेशों का संसूचन।– अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिये गये आदेश सरकारी सेवक को संसूचित किये जायेंगे जिसे आरोप के प्रत्येक मद पर निष्कर्ष, अथवा जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार जाँच प्राधिकार नहीं है वहाँ जाँच प्राधिकार के निष्कर्षों से असहमति, यदि कोई हो, के संक्षिप्त कारणों सहित अनुशासनिक प्राधिकार के निष्कर्षों के एक अभिकथन की प्रति और आयोग के परामर्श, यदि कोई हो, की प्रति, तथा जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार ने आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया हो वहाँ ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का संक्षिप्त अभिकथन भी उपलब्ध कराये जायेंगे।

22. सम्मिलित कार्यवाही।– (1) जहाँ किसी मामले में दो या अधिक सरकारी सेवक संबंधित हैं वहाँ सरकार या ऐसे सभी सरकारी सेवकों की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम कोई अन्य प्राधिकार आदेश द्वारा निदेशित कर सकेगा कि उन सभी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई एक सम्मिलित कार्यवाही के तहत की जा सकती है।

टिप्पणी– यदि ऐसे सरकारी सेवकों की सेवा से बर्खास्तगी संबंधी शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम प्राधिकार विभिन्न हों तो सम्मिलित कार्यवाही के तहत अनुशासनिक कार्रवाई करने का आदेश ऐसे प्राधिकारों में उच्चतम द्वारा अन्यों की सहमति से दिया जा सकेगा।

(2) किसी ऐसे आदेश में निम्नांकित विनिर्दिष्ट रहेगा–

(i) ऐसी सम्मिलित कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकार के रूप में कार्य कर सकनेवाला प्राधिकार;

(ii) नियम–14 में निर्दिष्ट शास्तियाँ जिन्हें ऐसा अनुशासनिक प्राधिकार अधिरोपित करने में सक्षम होगा;

(iii) नियम–17 एवं नियम–18 या नियम–19 में निहित प्रक्रिया का अनुसरण कार्यवाही में होगा या नहीं।

भाग VII

अपील

23. आदेश के विरुद्ध अपील।– कोई सरकारी सेवक निलम्बन–आदेश अथवा दंड–आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।

24. अपीलीय प्राधिकार।– (1) कोई सरकारी सेवक, ऐसे व्यक्ति सहित, जो सरकारी सेवा में नहीं रह गया हो, नियम–23 में विनिर्दिष्ट आदेशों के विरुद्ध सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा अथवा जहाँ ऐसा प्राधिकार विनिर्दिष्ट न हो वहाँ–

(i) जहाँ ऐसा सरकारी सेवक सिविल सेवा समूह–क या समूह–ख का सदस्य हो या था अथवा सिविल पद समूह–क या समूह–ख का पदधारी हो या था –

(क) नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा, यदि अपीलाधीन आदेश उसके अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा दिया गया हो; अथवा

(ख) सरकार के समक्ष अपील कर सकेगा, यदि ऐसा आदेश किसी अन्य प्राधिकार द्वारा दिया गया हो।

(ii) जहाँ ऐसा सरकारी सेवक सिविल सेवा समूह–ग समूह–घ का सदस्य हो या था वहाँ उस प्राधिकार के समक्ष अपील कर सकेगा जिसके ठीक नीचे के अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा अपीलाधीन आदेश दिया गया हो।

(2) सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी हालाँकि ज्ञापन के रूप में पुनर्विलोकन अर्जी दाखिल की जा सकेगी।

(3) यदि अपीलाधीन आदेश पारित करनेवाला व्यक्ति अपनी पश्चातवर्ती नियुक्ति के कारण या अन्यथा उस आदेश के संबंध में अपीलीय प्राधिकार हो जाय तो उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील उस प्राधिकार के समक्ष, जिसके ठीक नीचे वह व्यक्ति है, या सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से प्राधिकृत प्राधिकार के समक्ष की जायेगी।

25. अपील हेतु परिसीमा–काल।– इस भाग के अधीन की जानेवाली कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि वह अपील में अन्तर्ग्रस्त आदेश की प्रति अपीलार्थी को दे दिये जाने की तिथि से पैंतालिस दिनों के अन्दर न की गयी हो :

परन्तु यदि अपीलीय प्राधिकार का यह समाधान हो जाय कि अपीलार्थी को समय पर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

26. अपील के प्रारूप एवं विषयवस्तु।– (1) अपील करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा अपील पृथक रूप से और अपने नाम से करेगा।

(2) अपील उस प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत की जाय जिसके समक्ष अपील दाखिल की जा सके। अपीलार्थी द्वारा अपील की एक प्रति उस प्राधिकार को अग्रसारित की जायेगी जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही हो। इसमें ऐसे सभी तथ्य एवं तर्क अन्तर्विष्ट होंगे जिनपर अपीलार्थी विश्वास करता हो तथा इसमें अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा और यह अपने आप में पूर्ण होगा।

(3) वह प्राधिकार, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील किया गया हो, अपील की एक प्रति की प्राप्ति के बाद, उस पर अपनी टिप्पणियों के साथ प्रासंगिक अभिलेखों को, बिना किसी परिहार्य विलम्ब के तथा अपीलीय प्राधिकार से किसी निदेश का इंतजार किये बिना, अपीलीय प्राधिकार को अग्रसारित करेगा।

27. अपील पर विचारण।– (1) निलम्बन–आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, अपीलीय प्राधिकार यह विचार करेगा कि नियम–9 के उपबंधों के आलोक में तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निलम्बन–आदेश न्यायोचित है या नहीं और तदनुसार वह इस आदेश की पुष्टि करेगा अथवा इसे वापस लेगा या उपांतरित करेगा।

(2) नियम–14 में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित करने वाले आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, अपीलीय प्राधिकार विचार करेगा कि :–

(क) क्या इस नियमावली में विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है, यदि नहीं तो क्या ऐसा अनुपालन नहीं किये जाने से भारत के संविधान के किसी उपबंध का उल्लंघन हुआ है अथवा न्याय नहीं हो पाया है;

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष अभिलेख पर रखे साक्ष्य द्वारा समर्थित है; और

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति पर्याप्त, अपर्याप्त अथवा कठोर है; तथा

(i) शास्ति की पुष्टि, वृद्धि, कमी या उसे निरस्त करते हुए; अथवा

(ii) शास्ति को अधिरोपित करनेवाले या किसी अन्य प्राधिकार को, ऐसे निदेश सहित जैसा वह मामले की परिस्थिति में उचित समझे, मामला प्रेषित करते हुए आदेश पारित करेगा;

परन्तु यह कि –

(i) सभी मामलों में आयोग से परामर्श किया जायेगा जहाँ ऐसा परामर्श आवश्यक हो;

(ii) यदि अपीलीय प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किये जाने हेतु प्रस्तावित बढ़ायी गयी शास्ति नियम–14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक हो तथा इस मामले में नियम–17 के अधीन पहले से जाँच नहीं की गयी हो तो अपीलीय प्राधिकार, नियम–19 के उपबंधों के अध्यधीन, स्वयं ऐसी जाँच करेगा अथवा नियम–17 के उपबंधों के अनुसार ऐसी जाँच के लिए निदेश देगा और तत्पश्चात ऐसी जाँच की कार्यवाहियों पर विचारण करने तथा अपीलार्थी को नियम–18 के खंड (4) के उपबंधों के अनुसार ऐसी जाँच के दौरान प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद ऐसा आदेश देगा, जो वह ठीक समझे।

(iii) यदि अपीलीय प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किये जाने हेतु प्रस्तावित बढ़ायी गयी शास्ति नियम–14 के खंड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक हो और इस मामले में नियम–17 के अधीन पहले ही जाँच की जा चुकी हो तो अपीलीय प्राधिकार अपीलार्थी को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का एक युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश देगा जो वह ठीक समझे; और

(iv) किसी अन्य मामले में बढ़ायी गयी शास्ति अधिरोपित करनेवाला आदेश तबतक नहीं दिया जायेगा जबतक अपीलार्थी को बढ़ायी गयी शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का एक युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता।

(3) अपीलीय प्राधिकार मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा तथा ऐसा आदेश देगा जो यह न्यायसंगत एवं साम्योचित समझे।

भाग VIII

पुनरीक्षण

28. पुनरीक्षण।– (1) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(i) सरकार, अथवा

(ii) सरकार के प्रत्यक्षतः अधीन कोई विभागाध्यक्ष, किसी विभाग या कार्यालय में सेवारत किसी सरकारी सेवक के मामले में, जो ऐसे विभागाध्यक्ष के नियंत्रण में हो, अथवा

(iii) अपीलीय प्राधिकार, या

(iv) सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकार, और ऐसे समय के भीतर, जो उस सामान्य या विशेष आदेश में विहित किया गया हो,

पुनरीक्षण हेतु प्रस्तावित आदेश की तिथि से छह माह के भीतर किसी भी समय स्वप्रेरणा से या अन्यथा जाँच का अभिलेख माँग सकेगा तथा इस नियमावली के अधीन अथवा नियम–32 द्वारा निरसित नियमावलियों के अधीन दिये गये आदेश (जिसके विरुद्ध अपील अनुमत हो किन्तु अपील नहीं किया गया हो या अपील अनुमत नहीं हो) का पुनरीक्षण, जहाँ आयोग से परामर्श आवश्यक हो वहाँ आयोग से परामर्शोपरान्त, करेगा, और –

(क) आदेश को संपुष्ट, उपांतरित या निरस्त कर सकेगा,

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को संपुष्ट, उसमें कमी, उसमें बढ़ोत्तरी या उसे निरस्त कर सकेगा अथवा जहाँ कोई शास्ति अधिरोपित न की गयी हो वहाँ शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, या

(ग) उस प्राधिकार को, जिसने आदेश किया हो या अन्य किसी पदाधिकारी को, आगे जाँच करने हेतु ऐसा निदेश देते हुए, जैसा कि मामले की परिस्थितियों में वह उचित समझे, मामला प्रेषित कर सकेगा, या

(घ) ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे;

परन्तु यह कि शास्ति अधिरोपित या वृद्धि करनेवाला आदेश किसी पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा तबतक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि संबंधित सरकारी सेवक को प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया जाय, और जहाँ नियम–14 के खड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित हो, अथवा पुनरीक्षित किये जानेवाले आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को उन खंडों

में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से किसी में बढ़ाना प्रस्तावित हो जहाँ नियम–17 में दी गयी रीति से जाँच किये बिना तथा संबंधित सरकारी सेवक को जाँच के दौरान दिये गये साक्ष्य के आधार पर प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध कारण बताने का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना और जहाँ आवश्यक हो वहाँ आयोग से परामर्श किये बिना ऐसी शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी;

परन्तु यह और कि विभागाध्यक्ष द्वारा पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग तबतक नहीं किया जायेगा जबतक कि–

(i) प्राधिकार, जिसने अपील में आदेश किया हो, या

(ii) प्राधिकार, जिसके यहाँ अपील हो सकेगी, वहाँ कोई अपील दाखिल न की गयी हो;

उसका अधीनस्थ नहीं हो।

(2) पुनरीक्षण हेतु कोई कार्यवाही तबतक आरम्भ नहीं की जायेगी जबतक

(i) अपील हेतु समय–सीमा समाप्त न हो जाय, या

(ii) जहाँ ऐसी कोई अपील की गयी हो वहाँ अपील का निष्पादन न हो जाय।

(3) पुनरीक्षण हेतु किसी आवेदन का निष्पादन उसी रीति से किया जायेगा, मानो यह इस नियमावली के अधीन कोई अपील हो।

भाग IX

प्रकीर्ण

29. समय सीमा को शिथिल करने तथा विलम्ब को माफ करने की शक्ति।– इस नियमावली में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस नियमावली के अधीन कोई आदेश देने के लिये सक्षम प्राधिकार, ठोस एवं पर्याप्त कारणों से अथवा यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाय तो इस नियमावली के अधीन अपेक्षित कुछ भी किये जाने के लिये इस नियमावली में विनिर्दिष्ट समय–सीमा को बढ़ा सकेगा अथवा किसी विलम्ब को माफ कर सकेगा।

30. इस नियमावली का अभिभावी प्रभाव ।– किसी अन्य नियमावलियों में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर भी इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

31. विनियम बनाने की सरकार की शक्ति ।– (1) सरकार इन नियमों के सभी अथवा किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिये विनियम बना सकेगी।

(2) इस नियमावली के अधीन बनाये गये सभी विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

32. निरसन एवं व्यावृति। – (1) सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 को अंगीकृत करने संबंधी अधिसूचना सं० III/आर 1–101/63–8051–ए० दिनांक 3 जुलाई, 1963 तथा उक्त दोनों नियमावलियों में संशोधन करनेवाली अधिसूचनाएँ एतद द्वारा निरसित की जाती हैं।

(2) सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 के अधीन समय–समय पर निर्गत सभी अनुदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(3) सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 तथा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या कोई कार्रवाई की गयी थी।

(4) इस नियमावली का कोई भी प्रावधान किसी व्यक्ति को नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पारित किसी आदेश के संबंध में अपील करने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा, जो उसे प्राप्त होता, यदि यह नियमावली लागू नहीं होती।

(5) इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निरसित नियमावली के अधीन आरम्भ की गयी कोई विभागीय कार्यवाही, अधिरोपित किसी शास्ति के विरुद्ध की गयी अपील सहित, जारी रहेगी, मानो वे नियमावलियाँ अब भी विद्यमान हों।

33. **शंकाओं का निराकरण ।**– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो इस मामले को सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्देशित किया जायेगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

[3/एम–1–16/2001]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

रविकान्त

सरकार के सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR
PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Patna, Dated 12.07.2005

No. 3/M-1-16/2001-Ka-1112 / In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution of India, the Government of Bihar is pleased to make the following rules -

BIHAR GOVERNMENT SERVANTS (CLASSIFICATION, CONTROL & APPEAL) RULES, 2005

PART - I

GENERAL

1. **Short title , extent and commencement.** — (1) These Rules may be called the "Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005.

(2) It shall extend to the whole of The State of Bihar.

(3) These Rules shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Definition.** — For the purposes of these Rules, unless there is any thing repugnant in the subject or context—

(a) 'Government' means the Government of Bihar;

(b) 'Orders of the Government' mean executive orders passed in exercise of powers given under Rules of Executive Business framed under Article 166 of the Constitution of India;

(c) 'Probationer' meas a person appointed to a service on probation;

(d) 'Civil Services cadre' means all classes of Civil Services of the State and it includes also all other similar cadre or extra cadre existing posts under the State Government of Bihar;

'Post' means any existing post under the services of the State Government of Bihar;

(e) 'Appointing authority' in relation to a Government servant means the authority -

(i) who is empowered to make appointments to the Service of which the government servant is for the time being a member, or

(ii) who is empowered to make appointments to the post which the government servant for the time being holds, or

(iii) who has appointed the government servant to such Service, grade or post, as the case may be, or

(iv) where the government servant having been a permanent member of any other Service or having substantively held any other permanent post, has been in continuous employment of the government, such authority who appointed him to that Service or to any grade in that Service or to that post,

(f) 'Cadre authority', in relation to a service, has the same meaning as in the Rules regulating that service;

(g) 'Commission' means the Bihar Public Service Commission;

(h) 'Department of the Government of Bihar' means a department as specified in the Rules of Executive Business;

(i) Save as otherwise expressly provided in the Rules of a particular cadre, 'Disciplinary Authority' means

Appointing Authority or any other Authority authorised by it who shall be competent under these Rules to impose on a government servant any of the penalties specified in rule 14 of these Rules ;

(j) 'Government servant' means a person who-

(i) is a member of a service or holds a civil post under the State and it includes any such person on foreign service or whose services are temporarily entrusted to the Government, or a local or other authority;

(ii) is a member of a service or holds a civil post under the Government and whose services are temporarily entrusted to the Union Government or any other State Government;

(k) 'Head of the department', for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or revisional authority, means such authority who is declared as the head of the Department under the Bihar Service Code;

(l) 'Head of the office' for the purpose of exercising the powers as appointing, disciplinary, appellate or revisional authority, means such authority who is declared to be the Head of the Office;

(m) 'Secretary' means a Secretary to the Government in any Department;

(n) 'Service' means a civil service of the State;

(o) 'Valid notice' means a notice as provided under C.P.C. and the General Clauses Act.

3. Application of these Rules.— (1) These Rules shall apply to every government servant but shall not apply to-

(a) any member of the All India Services,

(b) any person in casual employment,

(c) any person subject to discharge from service on less than one month's notice,

(d) any person for whom special provision is made, in respect of matter covered by these Rules, by or under any law for the time being in force or by or under any agreement entered into with the previous approval of the Government before or after the commencement of these Rules, in regard to matter covered by such special provisions.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Government of Bihar may, by order, exclude any class of government servants from the operation of all or any of these Rules against him.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), these Rules shall apply to every government servant temporarily transferred to a Service or post coming within (d) in sub-rule (1).

(4) If any doubt arises with respect to the provisions of these Rules the matter shall be referred to the Government in the Department of Personnel & Administrative Reforms, whose decision shall be final.

PART II

CLASSIFICATION

4. Classification of Civil Services.— The Civil Services of the State shall be classified as follows :-

(i) Group - A

(ii) Group - B

(iii) Group - C

(iv) Group - D

5. **Constitution of Civil Services.**— The Civil Services of the State shall be constituted into Group-A, Group-B, Group-C and Group-D by a general or special order of the Government.

6. **Classification of posts.**— All the civil posts under the State shall, by a general or special order of the Government be classified as follows—

(i) Group - A

(ii) Group - B

(iii) Group - C

(iv) Group - D

Explanation - All references to Civil Services/Civil Posts of Group - A, Group - B, Group - C and Group-D in all Rules, Orders, Schedules, Notifications, Regulations, Instructions and Directions in force, immediately before the commencement of these Rules shall be construed as references to Civil Services/ Civil Posts, Group-A, Group-B, Group-C and Group-D respectively.

PART III

APPOINTING AUTHORITY

7. **Appointment in Group A and Group B of Civil Services.**— All appointments to Group-A and Group-B of civil services and Group-A posts shall be made by the Government :

Provided that the Government may, by a general or a special order and subject to such conditions as may be specified in such order, delegate the power to make such appointments to any other authority.

8. **Appointments to other Services and Posts.**— All appointments to Group-B, Group-C and Group-D posts shall be made by the authorities specified in that behalf by a general or special order of the Government.

PART IV

SUSPENSION

9. **Order of Suspension.**— (1) The appointing authority or any authority to which the appointing authority is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the Government by general or special order, may place a government servant under suspension when—

(a) a disciplinary proceeding against the government servant is contemplated or is pending, or

(b) in the opinion of the authority aforesaid, the government servant has engaged himself or herself in activities prejudicial to the interest of the security of the State, or

(c) a case against the government servant in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial and the competent authority is satisfied that it is expedient to suspend the government servant in public interest.

(2) A government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority with effect from the following date -

(a) from the date of his or her detention, if he or she is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise for a period exceeding forty-eight hours;

(b) from the date of his or her conviction, if, in the event of a conviction for an offence he or she is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

EXPLANATION— The period of forty-eight hours specified in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the date of commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) (i) After the custody period under sub-rule (2), the period of deemed suspension shall be deemed to end when the government servant give his joining and the joining shall be accepted.

(ii) If a decision is taken to suspend the government servant again under sub-rule (1) (a), or (b) or (c), then such action may be taken only after acceptance of joining and by issuing a separate order.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal or on revision under these Rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(5) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a court of law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold further inquiry against the government servant to meet a situation where the court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case, on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.

(6) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent.

(b) Where a government servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise) and any other disciplinary proceeding is commenced against him or her during the continuance of that suspension, the authority, competent to place him or her under suspension, may, for reasons to be recorded by it in writing, direct that the government servant shall continue to be under suspension till the termination of all or any of such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may, at any time, be modified or revoked by the same authority who or whose subordinate authority has passed such order.

(7) Charge-sheet must be framed within three months from the date of issue of suspension order failing which on expiry of three months, the suspension order shall be revoked unless the authority, which issued the suspension order, passes the order renewing the suspension alongwith reasons to be recorded in writing for the delay in framing of charge-sheet for a further period of four months;

Provided that after the expiry of extended period of four months the suspension order shall stand revoked if the charge-sheet is not framed.

10. Subsistence allowance during suspension.— (1) A government servant under suspension or deemed to have been placed under suspension shall be entitled to receive a subsistence allowance an amount equal to

the half average pay and in addition, dearness allowance admissible on such half pay;

Provided that where the period of suspension has exceeded twelve months, the authority, who has made such order of suspension, shall be competent to vary the amount of subsistence allowance for any period susbsequent to the period of first twelve months as follows :-

(i) the amount of subsistence allowance may be increased by such a suitable amount, which shall not be exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of the first twelve months, if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged, for which, for reasons to be recorded in writing, the government servant is not responsible.

(ii) the amount of subsistence allowance may be reduced by such a suitable amount which shall not be exceeding fifty per cent of the subsistence allowance admissible during the period of first twelve months, if, in the opinion of the said authority, the period of suspension has been prolonged, for which, for reasons to be recorded in writing, the government servant is responsible.

(iii) the rate of dearness allowance will be based on the rates increased or, the reduced amount, as the case may be, of subsistence allowance admissible under sub-clause (i) or sub-clause (ii) of this rule;

Provided that the government servant shall be entitled to receive subsistence allowance only for such period when he is actually present at the headquarters, during the suspension period. He shall be required to mark his attendance in the attendance register meant for such government servant;

Provided further that since the headquarters cannot be fixed for the period of custody, therefore marking of such attendance shall not be required for the period of custody.

(2) No government servant shall be entitled to receive payment under sub-rule (1) unless he furnishes a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.

(3) Where suspension is under sub-rule (2) of rule 9, in that case also the subsistence allowance shall be admissible in accordance with sub-rule (1) above. As a result of deemed suspension due to detention in custody the payment of subsistence allowance may be made to the dependent nominated by the government servant on the basis of his authority. Such subsistence allowance shall be paid by the same establishment where the government servant was posted at the time of detention.

(4) The disciplinary authority shall be the competent authority to grant subsistence allowance and to increase or decrease the same.

11. Treatment of service on reinstatement and admissibility of pay and allowances after suspension.— (1) When a government servant under suspension is reinstated or would have been so reinstated but for his superannuation while under suspension, the disciplinary authority shall consider and make specific order regarding the following -

(a) the pay and allowances to be paid to the government servant for the period of suspension ending with reinstatement or the date of his retirement on superannuation, as the case may be, and

(b) whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty.

(2) Notwithstanding anything contained in rule-10 of these Rules, where a government servant under suspension has died before the disciplinary or court proceedings instituted against him are concluded,

the period between the date of suspension and the date of death shall be treated as on duty for all purposes and his family shall be paid the full pay and allowances for that period to which he would have been entitled had he not been suspended. While making such payment adjustment shall be made in respect of subsistence allowance and other allowance already paid and the adjustment of government dues or loans.

(3) Where the disciplinary authority is of the opinion that the suspension was wholly unjustified, the government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (8) of his rule, be paid such full pay and allowances to which he would have been entitled, had he not been suspended. While making such payment adjustment shall be made in respect of subsistence allowance and other allowances already paid;

Provided that where such authority is of the opinion that the termination of the proceedings instituted against the government servant had been delayed due to reasons directly for which the government servant is liable, it may, give the government servant an opportunity to make his or her representation and consider the representation, if any, submitted by him or her. After that it may direct, for reasons to be recorded in writing, that the government servant shall be paid for the period of such delay only such proportion of such pay and allowances as may be determined by it.

(4) In cases falling under sub-rule (3) of this rule, the period of suspension shall be treated as a period spent on duty for all purposes.

(5) In cases other than those falling under sub-rules (2) and (3) of this rule, the government servant shall subject to the provisions of sub-rules (8) and (9) be paid such proportion of the full pay and allowances to which he would have been entitled had he not been suspended, as the disciplinary authority may determine. Such determination by the disciplinary authority shall be done after giving notice to the government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him in that connection within sixty days from the date on which notice aforesaid is served on the government servant.

(6) Where suspension is revoked pending finalisation of the disciplinary proceeding or proceedings in a court, any order passed under sub-rule (1) of this rule before the conclusion of the proceedings against the government servant, shall be reviewed on its own motion, after the conclusion of the proceedings by the disciplinary authority and an order shall be made by him in accordance with the provisions contained in sub-rule (3) or sub-rule (5), as the case may be.

(7) In a case falling under sub-rule (5) of this rule the period of suspension shall not be treated as a period spent on duty, unless the disciplinary authority specifically directs that it shall be the period spent for any specified purposes.

(8) The payment of allowances under sub-rule (2), sub-rule (3) or sub-rule (5) of this rule shall be subject to all other conditions under which such allowance are admissible.

(9) The proportion of the full pay and allowances determined under the proviso to sub-rule (3) or under sub-rule (5) of this rule shall neither be equal to full pay and allowances nor shall it be less than the subsistence allowance.

12. **Treatment of service on reinstatement and admissibility of pay and allowances after dismissal, removal or compulsory retirement as a result of appeal.**— (1) When a government servant, who has been dismissed, removed or compulsory retired, is reinstated as a result of appeal or would have been so reinstated but for his retirement on superannuation while under suspension or not, the disciplinary authority

shall consider and pass a specific order -

(a) regarding the pay and allowances to be paid to the government servant for the period of his absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal, or compulsory retirement, as the case may be; and

(b) whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty ?

(2) The government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (6) be paid the full pay and allowances to which he would have been entitled, had he not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, in cases-

(i) where the disciplinary authority is of opinion that the government servant who had been dismissed, removed or compulsorily retired has been fully exonerated, or

(ii) where the order of dismissal, removal or compulsory retirement from service is set aside by the appellate authority solely on the ground of noncompliance of the requirement of these Rules and no further inquiry is proposed to be held;

Provided that where such authority is of the opinion that the termination of the proceedings instituted against the government servant had been delayed due to reasons directly attributable to the governmant servant, it may, after giving him an opportuinity to make his representation and after considering the representation, if any, submitted by him, direct, for reasons to be recorded in writing, that the government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (7), be paid for the period of such delay, only such proportion of such pay and allowances as it may be determined by him.

(3) In a case falling under sub-rule (2), the period of absence from duty including the period of suspension preceding dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, shall be treated as a period spent on duty for all purposes.

(4) In cases other than those covered by sub-rule (2) of this rule the government servant shall, subject to the provisions of sub-rule (6) and (7), be paid such proportion of the full pay and allowances to which he would have been entitled, had he not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, as the disciplinary authority may determine. The disciplinary authority shall determine the proportion of such payment after giving notice to the government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him, in that connection within sixty days from the date on which the notice aforesaid is served on the government servant.

(5) In a case falling under sub-rule (4), the period of absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, shall not be treated as a period spent on duty, unless the disciplinary authority specifically directs that it shall be so treated for any specified purpose:

Provided that if the government servant so represents, such authority may after consideration, direct that the period of absence from duty including the period of suspension preceding his dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, shall be converted into leave of any kind due and admissible to the government servant.

(6) The payment of allowances under sub-rule (2) or sub-rule (4) shall be subject to all other conditions under which allowances are admissible.

(7) The proportion of the full pay and allowances determined under the proviso to sub-rule (2) or under sub-rule (4) shall neither be equal to the full pay and allowances nor less than the subsistence allowance and other allowances admissible under rule 10, as the case may be.

(8) Any payment made under this rule to a government servant on his reinstatement shall be subject to adjustment of the amount, if any, earned by him through an employment during the period between the date of removal, dismissal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of reinstatement. Where the pay and allowances admissible under this rule are equal to or less than the amounts earned during such employment elsewhere, nothing shall be paid to the government servant.

13. Treatment of service on reinstatement and admissibility of pay and allowances where dismissal, removal or compulsory retirement is set aside by a court of law.— (1) Where the dismissal, removal or compulsory retirement of a government servant is set aside by a court of law and such government servant is reinstated without holding any further inquiry, the period of absence from duty shall be regularised and the government servant shall be paid pay and allowances in accordance with the provisions of sub-rule (2) or (3) of this rule subject to the directions, if any, of the court.

(2) (i) In cases other than those covered by sub-rule (3) of this rule, the government servant shall be paid such proportion of the full pay and allowances to which he would have been entitled had he not been dismissed, removed or compulsorily retired, or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and as the disciplinary authority may determine. The disciplinary authority shall determine the proportion of such payment after giving notice to the government servant of the quantum proposed and after considering the representation, if any, submitted by him, in that connection, within sixty days, from the date on which the notice aforesaid is served on the government servant :

Provided that any payment under this sub-rule to a government servant shall neither be equal to the full pay and allowances nor less than the subsistence allowance and other allowances admissible under rule-10, as the case may be.

(ii) The period intervening between the date of dismissal, removal or compulsory retirement including the period of suspension preceding such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be, and the date of judgment of the court shall be regularised in accordance with the provisions contained in sub-rule (5) of rule-12.

(3) Where the dismissal, removal or compulsory retirement of a government servant is set aside by a court on the merit of the case, or where the dismissal, removal or compulsory retirement of a government servant is set aside by a court solely on the ground of non-compliance with the requirements of these Rules and no further inquiry is proposed to be held, the period intervening between the date of dismissal, removal or compulsory retirement as the case may be, and the date of reinstatement shall be treated as on duty for all purposes. As a result the government servant shall be paid full pay and allowances for the period to which he would have been entitled, had he or she not been dismissed, removed or compulsorily retired or suspended prior to such dismissal, removal or compulsory retirement, as the case may be.

(4) The payment of allowances under sub-rule (2) or sub-rule(3) shall be subject to all other conditions under which such allowances are admissible.

(5) Any payment made under this rule to a government servant on his reinstatement shall be subject to adjustment of the amount, if any, earned by him or her through any employment during the period between the dismissal, removal or compulsory retirement and the date of reinstatement. Where the pay and allowances admissible under this rule are equal to or less than those earned during such employment elsewhere, nothing shall be paid to the government servant.

PART - V

PENALTIES AND DISCIPLINARY AUTHORITIES

14. Minor and Major Penalties.— The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on a government servant, namely :-

Minor Penalties -

(i) censure;

(ii) withholding of promotion;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government by negligence or breach of orders;

(iv) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect;

(v) withholding of increments of pay;

Major Penalties -

(vi) save as provided for in clause (iv), reduction to a lower stage in time-scale of pay, for a specified period, with further directions as to whether or not the government servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(vii) reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the government servant to the time-scale of pay, grade, post or service from which he or she was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the government servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

(viii) compulsory retirement;

(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government.

(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government :

Provided that, in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause (ix) or clause (x) shall be imposed :

Provided further that in any exceptional case and for special reasons to be recorded in writing, any other penalty may be imposed.

EXPLANTATION – The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule, namely-

(i) *withholding of increments of pay of a government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the Rules or orders governing the service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;*

(ii) *withholding of promotion of a government servant after consideration of his case to a service, grade or post for which he is eligible, whether he is in a substantive or in officiating capacity;*

(iii) *non-promotion of a government servant, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a service, grade or post for promotion to which he is eligible;*

(iv) *reversion of a government servant officiating in a higher service, grade or post to a lower service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;*

(v) *reversion of a government servant appointed on probation to any other service, grade or post to his permanent service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and order governing such probation;*

(vi) *replacement of the services of a government servant, whose services had been borrowed from a State Government or an authority under the control of a State Government, at the disposal of the State Government or the authority from which the services of such government servant had been borrowed;*

(vii) *compulsory retirement of a government servant in accordance with the provisions relating to superannuation or retirement under rule 74 of the Bihar Service Code;*

(viii) *termination of the service -*

(a) *of a government servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and orders governing such probation; or*

(b) *of a government servant employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement.*

15. Disciplinary Authorities.— (1) The Government may impose any of the penalties specified in rule 14 on any government servant.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-rule (1), any of the penalties specified in rule 14 may be imposed on a government servant by the appointing authority or any authority to which the appointing authority is subordinate or by any other authority empowered in this behalf by a general or special order of the Government.

16. Authority to institute proceedings.— The Government or appointing authority or any authority to which the appointing authority is subordinate or any other authority empowered by general or special order of the Government may-

(a) institute disciplinary proceedings against any government servant ;

(b) direct a disciplinary authority to institute disciplinary proceedings against any government servant on whom that disciplinary authority is competent to impose any of the penalties specified in rule 14 under these Rules.

(2) A disciplinary authority, competent under these Rules to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14, may institute disciplinary proceedings against any government servant for the imposition of any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of rule 14 notwithstanding that such disciplinary authority is not competent under these Rules to impose any of the penalties under clauses (vi) to (x) of rule 14.

PART - VI

PROCEDURE FOR IMPOSING PENALTIES

17. Procedure for imposing major penalties.—

(1) No order imposing any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of rule 14 shall be made without holding an inquiry, as far as may be, in the manner provided in these Rules.

(2) Wherever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring about the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a government servant, he may himself inquire into it, or appoint under these Rules, an authority to inquire about the truth thereof.

EXPLANATION - Where the disciplinary authority himself holds the inquiry, any reference in sub-rule (7) to sub-rule (20) and in sub-rule (22) of this rule to the inquiring authority shall be construed as a reference to the disciplinary authority.

(3) Where it is proposed to hold an inquiry against a government servant under this rule, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up-

(i) the substance of the imputations of misconduct or misbehaviour as a definite and distinct articles of charge;

(ii) a statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain-

(a) a statement of all relevant facts including any admission or confession made by the government servant;

(b) a list of such document by which, and a list of such witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.

(4) The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the government servant a copy of the articles of charge, such statement of the imputations of misconduct or misbehaviour and a list of documents and witnesses by which each article of charge is proposed to be sustained and shall require the government servant to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.

(5) (a) On receipt of the written statement of defence, the disciplinary authority may himself inquire into such of the articles of charge which are not admitted, or, if it thinks necessary to appoint, under sub-rule (2) of this rule, an inquiry authority for the purpose he may do so and where all the articles of charges have been admitted by the government servant in his written statement of defence, the disciplinary authority shall record his findings on each charge after taking such

evidence as it may think fit and shall take action in the manner laid down in rule 18.

(b) If no written statement of defence is submitted by the government servant, the disciplinary authority may itself inquire into the articles of charge or may, if it thinks necessary to appoint, under sub-rule (2) of this rule an inquiry authority for the purpose, it may do so.

(c) Where the disciplinary authority itself inquires into any article of charge or appoints an inquiring authority for holding an inquiry about such charge, it may, by an order, appoint a government servant or a legal practitioner, to be known as the "Presenting Officer" to present on his behalf the case in support of the articles of charge.

(6) The disciplinary authority shall, where it is not the inquiring authority, forward the following records to the inquiring authority -

(i) a copy of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(ii) a copy of the written statement of defence, if any, submitted by the government servant;

(iii) a copy of the statement of witnesses, if any, specified in sub-rule (3) of this rule;

(iv) evidence proving the delivery of the documents specified to in sub-rule (3) to the government servant; and

(v) a copy of the order appointing the "Presenting Officer."

(7) The government servant shall appear in person before the inquiring authority on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by him of the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct of misbehaviour, as the inquiring authority may, by a notice in writing, specify in this behalf or within such further time, not exceeding ten days, as may be specified by the inquiring authority.

(8) (a) The government servant may take the assistance of other government servant posted in any office, either at his headquarter or at the place where the inquiry is to be held, to present the case on his behalf :

Provided that he may not engage a legal practitioner for the purpose, unless the Presenting Officer appointed by the disciplinary authority is a legal practitioner, or, the disciplinary authority, having regard to the circumstances of the case, so permits :

Provided also that the government servant may take the assistance of any other government servant posted at any other station, if the inquiring authority, having regard to the circumstances of the case, and for reasons to be recorded in writing, so permits :

Provided further that the government servant shall not take the assistance of any such other government servant who has three pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.

(b) The government servant may take the assistance of a retired government servant to present the case on his behalf, subjet to such conditions as may be specified by the Government from time to time by general or special order in this behalf.

(9) If the government servant, who has not admitted any of the articles of charge in his written statement of defence or has not submitted any written statement of defence, appears before the inquiring authority,

such authority shall ask him whether he is guilty or has to say any thing for his defence and if he pleads guilty to any of the articles of charge, the inquiring authority shall record the plea, sign the record and obtain the signature of the government servant thereon.

(10) The inquiring authority shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the government servant pleads guilty.

(11) The inquiring authority shall, if the government servant fails to appear within the specified time or refuses or omits to plead, require the Presenting Officer to produce the evidence by which he proposes to prove the articles of charge, and shall adjourn the case to a later date not exceeding thirty days, after recording an order that the government servant may, for the purpose of preparing his defence,—

(i) inspect within five days of the order or within such further time not exceeding five days as the inquiring authority may allow, the documents specified in the list in sub-rule (3);

(ii) submit a list of witnesses to be examined on his behalf;

NOTE – If the government servant applies in writing for the supply of copies of the statements of witnesses mentioned in the list referred to in sub-rule (3), the inquiring authority shall furnish him with such copies as early as possible.

(iii) give a notice within ten days of the order or within such further time as the inquiring authority may allow for the discovery or production of any documents which are in the possession of Government but not mentioned in the list specified in sub-rule (3) of this rule:

Provided that the government servant shall indicate the relevance of the documents required by him to be discovered or produced by the Government.

(12) The inquiring authority shall, on receipt of the notice for the discovery or production of documents, forward the same or copies thereof to the authority in whose custody or possession the documents are kept, with a requisition for the production of the document by such date as may be specified in such requisition :

Provided that the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, refuse to requisition such of the documents as are, in its opinion, not relevant to the case.

(13) On receipt of the requisition specified in sub-rule (12) of this rule, every authority having the custody or possession of the requisitioned documents shall produce the same before the inquiring authority :

Provided that if the authority, having the custody or possession of the requisitioned documents, is satisfied, for reasons to be recorded by it in writing, that the production of all or any of such documents will be against public interest or security of the State, he shall inform the inquiring authority accordingly and the inquiring authority shall, on being so informed, communicate the information to the government servant and withdraw the requisition made by it for the production or discovery of such documents.

(14) On the date fixed for the inquiry, the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the Presenting Officer and may be cross-examined by or on behalf of the government servant. The Presenting Officer shall be entitled to re-examine the witnesses on any points on which they have been cross-examined, but not an any new matter, without the leave

of the inquiring authority. The inquiring authority may also put such questions to the witnesses, as it thinks fit.

(15) If it shall appear necessary before the close of the case on behalf of the disciplinary authority, the inquiring authority may, in his discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not included in the list given to the government servant or may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness and in such case the government servant shall be entitled to have, if he demands it, a copy of the list of further evidence proposed to be produced and an adjournment of the inquiry for three clear days before the production of such new evidence, exclusive of the day of adjournment and the day to which the inquiry is adjourned. The inquiring authority shall give the government servant an opportunity of inspecting such documents before they are taken on the record. The inquiring authority may also allow the government servant to produce new evidence, if it is of the opinion that the production of such evidence is necessary in the interests of justice :

Provided that new evidence shall not be permitted or called for or any witness shall not be recalled to supplement the evidence. Such evidence may be called for if there is any inherent lacuna or defect in the evidence, produced originally.

(16) When the case for the disciplinary authority is closed, the government servant shall be required to state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If the defence is made orally, it shall be recorded and the government servant shall be required to sign the record. In either case a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer, if any, appointed.

(17) The evidence on behalf of the government servant shall then be produced. The government servant may examine himself in his own behalf if he so prefers. The witnesses produced by the government servant shall then be examined and they shall be liable to examination, cross-examination and, re-examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the disciplinary authority.

(18) The inquiring authority may, after the government servant closes his case, and shall, if the government servant has not examined himself, generally question him on the circumstances appearing against him in the evidence for the purpose of enabling the government servant to explain any circumstances appearing in the evidence against him.

(19) The inquiring authority may, after the completion of the production of evicence, hear the Presenting Officer, if any, appointed and the government servant, or permit them to file written briefs of their respective case, if they so desire.

(20) If the government servant to whom a copy of the articles of charge has been delivered, does not submit the written statement of defence on or before the date specified for the purpose or does not appear in person before the inquiring authority or otherwise fails or refuses to comply with the provisions of this rule, the inquiring authority may hold the inquiry *ex-parte.*

(21) (a) Where a disciplinary authority competent to impose any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14 [but not competent to impose any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of rule 14], has himself inquired into or caused to be inquired into the article of any charge and that authority having regard to his own findings or having regard to its decision on any of the findings of any inquiring authority appointed by it, is of the opinion that the penalties specified in clauses (vi) to (x) of rule 14 should be imposed on the government servant, that authority shall

forward the records of the inquiry to such disciplinary authority as is competent to impose the penalties mentioned in clauses (vi) to (x) of rule 14.

(b) The disciplinary authority to which the records are so forwarded may act on the evidence on the records or may, if he is of the opinion that further examination of any of the witnesses is necessary in the interests of justice, recall the witnesses and examine, cross-examine and re-examine the witnesses and may impose on the government servant such penalties as it may deem fit in accordance with these rules.

(22) Whenever any inquiring authority, after having heard and recorded the whole or any part of the evidence in an inquiry ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiring authority which has and which exercises such jurisdiction, the inquiring authority so succeeding may act on the basis of evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor and partly recorded by itself :

Provided that if the succeeding inquiring authority is of the opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine any such witnesses as hereinbefore provided.

(23) (i) After the conclusion of the inquiry, a record shall be prepared and it shall contain-

(a) the articles of charge and the statement of the imputations of misconduct or misbehaviour;

(b) the defence of the government servant in respect of each article of charge ;

(c) an assessment of the evidence in respect of each article of charge ;

(d) the findings on each article of charge and the reasons thereof.

EXPLANATION – If in the opinion of the inquiring authority the proceedings of the inquiry may establish any article of charge different from the original articles of the change, he may record his findings on such article of charge :

Provided that the findings on such article of charge shall not be recorded unless the government servant has either admitted the facts on which such article of charge is based or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article of charge.

(ii) The inquiring authority, where it is not itself the disciplinary authority, shall forward to the disciplinary authority the records of inquiry which shall include -

(a) the report prepared by it under clause (i) of this sub-rule;

(b) the written statement of defence, if any, submitted by the government servant ;

(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry ;

(d) written briefs, if any, filed by the Presenting Officer or the government servant or both during the course of the inquiry; and

(e) the orders, if any, made by the disciplinary authority and the inquiring authority in regard to the inquiry.

18. Action on the inquiry report.— (1) The disciplinary authority, if it is not itself the inquiring authority may, for reasons to be recorded by it in writing, may remit the case to the inquiring authority for further

inquiry and report and the inquiring authority shall thereupon proceed to hold the further inquiry according to the provisions of rule 17 as far as may be.

(2) The disciplinary authority, after receipt of the enquiry report as per rule 17 (23) (ii) or as per sub-rule (1), shall, if it disagrees with the findings of the inquiring authority on any article of charge, record its reasons for such disagreement and record its own finding on such charge, if the evidences on record is sufficient for the purpose.

(3) The disciplinary authority shall forward or cause to be forwarded a copy of the inquiry report, together with its own findings, if any, as provided in sub-rule (2), to the government servant who may submit, if he or she so desires, his or her written representation or submission to the disciplinary authority within fifteen days.

(4) The disciplinary authority shall consider the representation or submission, if any, submitted by the government servant before proceeding further in the manner specified in sub-rules (5) and (6).

(5) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14 should be imposed on the government servant, it shall, notwithstanding anything contained in rule-19, make an order imposing such penalty.

(6) If the disciplinary authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry, is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of rule 14 should be imposed on the government servant, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the government servant any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed :

(7) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5) and (6), in every case where it is necessary to consult the Commission, the Commission shall be consulted and its advice shall be taken into consideration before making any order imposing any penalty on the government servant.

19. Procedure for imposing minor penalties.— (1) Subject to the provisions of sub-rule (3) of rule 18, no order imposing on a government servant any of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14 shall be made except after -

(a) informing the government servant in writing of the proposal to take action against him and of the imputations of misconduct or misbehaviour on which it is proposed to be taken, and giving him reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal;

(b) holding an inquiry in the manner laid down in sub-rules (3) to (23) of rule 17, in every case in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary ;

(c) taking the representation, if any, submitted by the government servant under clause (a) and the record of inquiry, if any, held under clause (b) into consideration;

(d) recording a finding on each imputation of misconduct or misbehaviour; and

(e) consulting the Commission where such consultation is necessary.

(2) The record of the proceedings in such cases shall include —

(i) a copy of the intimation to the government servant of the proposal to take action against him;

(ii) a copy of the statement of imputations of misconduct or misbehaviour delivered to him ;

(iii) his representation, if any ;

(iv) the evidence produced during the inquiry ;

(v) the advice of the Commission, if any ;

(vi) the findings of each imputation of misconduct or misbehaviour ; and

(vii) the orders on the case together with the reasons therefor.

20. Special procedure in certain cases.—

Notwithstanding anything contained in rule 17 to 19 —

(i) where any penalty is imposed on a government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, or

(ii) where the disciplinary authority is satisfied for reasons to be recorded by him in writing that it is not reasonably practicable to hold an inquiry in the manner provided in these Rules, or

(iii) where the Government is satisfied that in the interest of the State, it is not expedient to hold any inquiry in the manner provided in these Rules,

– the disciplinary authority may consider the circumstances of the case and make such orders thereon as it deems fit;

Provided that the government servant may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made in a case under clause (i);

Provided further that the Commission shall be consulted, where such consultation is necessary, before any orders are made in any case under this rule.

21. Communication of Orders.— Orders made by the disciplinary authority shall be communicated to the government servant who shall also be supplied with a copy of its finding on each article of charge, or where the disciplinary authority is not the inquiring authority, a statement of the findings of the disciplinary authority together with brief reasons for its disagreement, if any, with the findings of the inquiring authority and also a copy of the advice, if any, given by the Commission, and where the disciplinary authority has not accepted the advice of the Commission, a brief statement of the reasons for such non-acceptance.

22. Common Proceedings.— (1) Where two or more government servants are concerned in any case, the government or any other authority competent to impose the penalty of dismissal from service on all such government servants may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

NOTE :- If the authorities competent to impose the penalty of dismissal on such government servants are different an order for taking disciplinary action in a common proceeding may be made by the highest of such authorities with the consent of the others.

(2) Any such order shall specify —

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for the purpose of such common proceeding;

(ii) the penalties specified in rule 14 which such disciplinary authority shall be competent to impose;

(iii) whether the procedure laid down in rule 17 and rule 18 or rule 19 shall be followed in the proceeding.

PART - VII

APPEALS

23. Orders against which appeal lies.— A government servant may prefer an appeal against order of suspension or order of punishment.

24. Appellate Authorities.— (1) A government servant, including a person who has ceased to be in government service, may prefer an appeal against the orders specified in rule 23 to the authority specified in this behalf by a general or special order of the Government or, where no such authority is specified -

(i) where such government servant is or was a member of Civil Service, Group-A or Group-B or holder of Civil Post, Group-A or Group-B,

(a) to the appointing authority, where the order appealed against is made by an authority subordinate to it, or

(b) to the Government where such order is made by any other authority;

(ii) where such government servant is or was a member of a Civil Service, Group-C or Group-D, to the authority to which the authority making the order appealed against is immediately subordinate.

(2) There shall be no appeal against the orders of the Government, however review petitions may be filed in the form of Memorials.

(3) Where the person, who made the order appealed against becomes, by virtue of his subsequent appointment or otherwise, the appellate authority in respect of such order, an appeal against such order shall lie to the authority to which such person is immediately subordinate or to an authority specially authorised for this purpose by the Government.

25. Period of limitation for appeals.— No appeal preferred under this Part shall be entertained unless such appeal is preferred within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order appealed against is delivered to the appellant :

Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if he is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal in time.

26. Forms and content of appeal.—

(1) Every person preferring an appeal shall do so separately and in his own name.

(2) The appeal shall be presented to the authority to whom the appeal may be filed and a copy of appeal will be forwarded by the appellant to the authority which made the order appealed against. It shall contain all material statements and arguments on which the appellant relies, shall not contain any disrespectful or improper language, and shall be complete in itself.

(3) The authority which made the order appealed against, shall on receipt of a copy of the appeal, forward the same with its comments thereon together with the relevant records to the appellate authority without any avoidable delay, and without a waiting for any direction from the appellate authority.

27. Consideration of appeal.— (1) In the case of an appeal against an order of suspension, the appellate authority shall consider whether in view of the provisions of rule 9 and having regard to the circumstances of the case, the order of suspension is justified or not and confirm or revoke or modify the order accordingly.

(2) In the case of an appeal against an order imposing any of the penalties specified in rule 14, the

appellate authority shall consider—

(a) whether the procedure laid down in these Rules has been complied with and if not, whether such non-compliance has resulted in the violation of any provisions of the Constitution of India or in the failure of justice ;

(b) whether the findings of the disciplinary authority are warranted by the evidence on the record ; and

(c) whether the penalty imposed is adequate, inadequate or severe ;

and pass orders -

(i) confirming, enhancing, reducing, or setting aside the penalty; or

(ii) remitting the case to the authority which imposed the penalty or to any other authority with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case :

Provided that —

(i) the Commission shall be consulted in all cases where such consultation is necessary ;

(ii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposes to impose is one of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14 and an inquiry under rule 17 has not already been held in the case, the appellate authority shall, subject to the provisions of rule 19, himself hold such inquiry or direct that such inquiry be held in accordance with the provisions of rule 18 and thereafter on a consideration of the proceedings of such inquiry and after giving the appellant a reasonable opportunity, as far as may be in accordance with the provisions of clause (ii) of rule 18, of making a representation against the penalty proposed on the basis of the evidence adduced during such inquiry, make such orders as it may deem fit;

(iii) if the enhanced penalty which the appellate authority proposed to impose is one of the penalties specified in clauses (i) to (v) of rule 14 and an inquiry under rule 17 has already been held in the case, the appellate authority shall, make such orders as it may deem fit, after the appellant has been given a reasonable opportunity of making a representation against the proposed penalty; and

(iv) no order imposing an enhanced penalty shall be made in any other case unless the appellant has been given a reasonable opportunity, as far as may be, of making a representation against such enhanced penalty.

(3) The appellate authority shall consider all the circumstances of the case and make such orders as it may deem just and equitable.

PART - VIII

REVISION

28. Revision.— (1) Notwithstanding anything contained in these Rules,—

(i) the Government, or

(ii) the head of a department directly under the Government, in the case of a Government servant serving in a department or office, under the control of such head of a department, or

(iii) the appellate authority, or

(iv) any other authority specified in this behalf by the Government by a general or special order, and within such time as may be prescribed in such general or special order,

— may at any time within six months of the date of the order proposed to be revised, either on his or its own motion or otherwise call for the records of any inquiry and revise any order made under these Rules or under the Rules repealed by the rule 32 (from which an appeal is allowed but from which no appeal has been preferred or from which no appeal is allowed), after consultation with the Commission where such consultation is necessary, and may-

(a) confirm, modify or set aside the order, or

(b) confirm, reduce, enhance or set aside the penalty imposed by the order, or impose any penalty where no penalty has been imposed, or

(c) remit the case to the authority, making the order or to any other authority, directing such authority, to make such further inquiry as he may consider proper in the circumstances of the case, or

(d) pass such other orders as it may deem fit :

Provided that no order imposing or enhancing any penalty shall be made by any revising authority unless the government servant concerned has been given a reasonable opportunity of making a representation against the penalty proposed and where it is proposed to impose any of the penalties specified in clauses (vi) to (x) of rule-14 or to enhance the penalty imposed by the order sought to be revised to any of the penalties specified in those clauses, no such penalty shall be imposed without an inquiry in the manner laid down in rule-17 and after giving a reasonable opportunity to the government servant concerned of showing cause against the penalty proposed on the evidence adduced during the inquiry and except after consultation with the Commission where such consultation is necessary:

Provided further that no power of revision shall be exercised by the head of department, unless-

(i) the authority which made the order in appeal, or

(ii) the authority to which an appeal would lie, where no appeal has been preferred

-is subordinate to him.

(2) No proceeding for revision shall be commenced until after

(i) the expiry of the period of limitation for an appeal, or

(ii) the disposal of the appeal, where any such appeal has been preferred.

(3) An application for revision shall be dealt with in the same manner as if it were an appeal under these Rules.

PART - IX

MISCELLANEOUS

29. **Power to relax time-limit and to condone delay.**— Save as otherwise expressly provided in these Rules, the authority competent under these Rules to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these Rules for anything required to be done under these Rules or may condone any delay.

30. **Over-riding effect of these Rules.**— Notwithstanding contained anything contrary to these Rules in any other Rules, the provisions of these Rules shall have over-riding effect.

31. **Power of the Government to make regulation.**— The Government may make regulation to carry out all or any of the purposes of these Rules.

(2) All regulations made under these Rules shall be published in the official gazette.

32. **Repeal and Savings.**— (1) The notification No. - III/R1-101/63-8051-A dated 3rd July, 1963 adopting the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930 and the Bihar and Orissa Subordinate Services (Discipline and Appeal) Rules, 1935 as well as Notifications making amendments in the said two Rules are hereby repealed.

(2) All instructions issued under the Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1930 and the Bihar and Orissa Subordinate Services (Discipline and Appeal) Rules, 1935 from time to time are hereby repealed.

(3) Anything done or any action taken in exercise of the powers and under the Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1930 and the Bihar and Orissa Subordinate Services (Discipline & Appeal) Rules, 1935 shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under these Rule as if these Rules were in force on the day on which such thing or action was done or taken.

(4) Nothing in these Rules shall operate to deprive any person of any right of appeal, which he would have had if these Rules had not been made in respect of any order passed before they came in force.

(5) Notwithstanding any thing contained in these Rules any departmental proceedings initiated under the Rules repealed shall continue under those Rules including the Appeal preferred against any punishment imposed as if those Rules were still in existence.

33. **Removal of doubts.**— If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules, the matter shall be referred to the Government in the Department of Personnel & Administrative Reforms and its decision shall be final.

[3/MI-16/2001]

By the order of the Governor of Bihar

Ravikant

Secretary to the Government

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 20. 08. 2007

संख्या–3 / एम०–166 / 2006–का०–2797 / भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है–

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **"बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–14 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा–

"14. लघु एवं वृहत् शास्तियाँ।– समुचित और यथेष्ट कारणों से तथा इसमें इसके बाद यथाउपबंधित, निम्नलिखित शास्तियाँ, सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकेंगी, यथा :–

लघु शास्तियाँ –

(i) निन्दन;

(ii) प्रोन्नति रोकना;

(iii) लापरवाही या आदेशोल्लघंन के कारण सरकार को उसके द्वारा पहुँचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसके वेतन से पूरी या आंशिक वसूली;

(iv) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;

(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियों को रोकना;

वृहत शास्तियाँ–

(vi) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों को रोकना;

(vii) इस नियम के खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाय, कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अवनति, इन निर्देशों के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं;

(viii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रोन्नति के लिये उस कोटि या पद या सेवा में जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्त्तों तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जानेवाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा;

(ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(x) सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी;

(xi) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी;

परन्तु ऐसे हरेक मामले में जिसमें किसी पदीय कार्य करने या से प्रविरत करने के लिये हेतु या पुरस्कार के रूप में किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न, कोई परितोषण स्वीकार किया जाना सिद्ध हो जाय, खंड (x) या खंड (xi) में उल्लेखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी;

परन्तु और कि किसी आपवादिक मामले में तथा लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले विशेष कारणों से कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण – इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति नहीं माना जायेगा, यथा –

(i) किसी सरकारी सेवक की, जिस सेवा में वह है या जो पद वह धारण करता है उसे शासित करनेवाले नियमों या आदेशों या उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर, वेतन–वृद्धि रोक रखना;

(ii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद, जिसके लिये वह पात्र हो, के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति रोक देना ;

(iii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद, जिसके लिये वह पात्र हो, के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति नहीं मिलना ;

(iv) उच्चतर सेवा, कोटि या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत किसी सरकारी सेवक का, उसके आचरण से अनजुड़े किसी प्रशासनिक आधार पर निम्नतर सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्तन;

(v) परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, कोटि या पद पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक का, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्त्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति या उसके दौरान उसकी स्थायी सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्तन;

(vi) किसी सरकारी सेवक की सेवा का, जिसकी सेवाएँ किसी राज्य सरकार से या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन के किसी प्राधिकार से उधार ली गयी हो, उस राज्य सरकार या उस प्राधिकार में प्रतिस्थापन, जिससे ऐसे सरकारी सेवक की सेवा उधार ली गयी थी;

(vii) अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति से संबंधित बिहार सेवा संहिता के नियम–74 के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(viii) सेवा–समाप्ति –

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक की, उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्त्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, अथवा

(ख) करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी सेवक की, ऐसे करार के निर्बंधनों और शर्त्तों के अनुसार।"

3. **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–16 में संशोधन।–** उक्त नियमावली के नियम–16 के उप–नियम (2) में प्रयुक्त शब्द–समूहों "नियम–14 के खंड (vi) से (x)" को शब्द–समूहों "नियम–14 के खंड (vi) से (xi)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 17 में संशोधन।–** उक्त नियमावली के नियम–17 के उप–नियम (1) एवं (21) में जहाँ–जहाँ शब्द–समूह "नियम–14 के खंड (vi) से (x)" प्रयुक्त हुए हैं वहाँ–वहाँ उन्हें शब्द–समूह "नियम–14 के खंड (vi) से (xi)" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

5. **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 में संशोधन।–** उक्त नियमावली के नियम–18 के उप नियम (6) में प्रयुक्त शब्द–समूह "नियम–14 के खंड (vi) से (x)" को शब्द–समूह "नियम–14 के खंड (vi) से (xi)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

पटना, दिनांक 20.08.2007

ज्ञापांक–3/एम०–166/2006 का०– 2797

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

पटना, दिनांक 20.08.2007

ज्ञापांक–3/एम०–166/2006 का०– 2797

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना, 20. 08. 2007

संख्या–3/एम०–166/2006–का०–2798 / अधिसूचना सं० 2797 दिनांक 20.08.07 के तहत निर्गत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–166/2006 का०– 2798

पटना, दिनांक 20.08.07

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR

PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Patna, Dated 20.08.2007

No. 3/M-166/2006-Ka-2797/ In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution of India, the Government of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005—

BIHAR GOVERNMENT SERVANTS (CLASSIFICATION, CONTROL & APPEAL) (Amendment) RULES, 2007

1. **Short title, extent and commencement.—** (1) These Rules may be called the "Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Rules, 2007.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Substitution of rule 14 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005.—** Rule 14 of the said Rules shall be substituted by the following -

"14. Minor and Major Penalties.— The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on a government servant, namely :-

Minor Penalties :-

(i) censure;

(ii) withholding of promotion;

(iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government

by negligence or breach of orders ;

(iv) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect;

(v) withholding of increments of pay without cumulative effect;

Major Penalties :-

(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;

(vii) save as provided for in clause (iv), reduction to a lower stage in time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the government servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(viii) reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the government servant to the time-scale of pay, grade, post or service from which he or she was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the government servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

(ix) compulsory retirement;

(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government :

Provided that, in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause (x) or clause (xi) shall be imposed;

Provided further that in any exceptional case and for special reasons to be recorded in writing, any other penalty may be imposed.

EXPLANATION - The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule, namely-

(i) withholding of increments of pay of a government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the Rules or orders governing the service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) withholding of promotion of a government servant after consideration of his case to a service, grade or post for which he is eligible, whether he is in a substantive or in officiating capacity.

(iii) non-promotion of a government servant, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a service, grade or post for promotion to which he is eligible;

(iv) reversion of a government servant officiating in a higher service, grade, or post to a lower service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(v) reversion of a government servant, appointed on probation to any other service, grade or post to his permanent service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and order governing such probation ;

(vi) replacement of the services of a government servant, whose services had been borrowed from a State Government or an authority under the control of a State Government, at the disposal of the State Government or the authority from which the services of such government servant had been borrowed.

(vii) compulsory retirement of a government servant in accordance with the provisions relating to superannuation or retirement under rule 74 of the Bihar Service Code;

(viii) termination of the service -

(a) of a government servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and orders governing such probation; or

(b) of a government servant, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement."

3. **Amendment in rule-16 of the Bihar Government Servants (Classification, Control &Appeal) Rules, 2005.—** In sub-rule (2) of rule-16, the groups of words "clauses (vi) to (x) of rule 14" shall be substituted by the groups of words "clauses (vi) to (xi) of rule 14".

4. **Amendment in rule 17 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005.—** In sub-rule (1) and (21) of rule 17 wherever the group of words "clauses (vi) to (x) of rule14" is used, shall be substituted by the group of words "clauses (vi) to (xi) of rule 14".

5. **Amendment in rule 18 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005.—** The group of words "clauses (vi) to (x) of rule 14" used in sub-rule (6) of rule 18 shall be substituted by the group of words "clauses (vi) to (xi) of rule 14".

By the order of Governor of Bihar,
Amir Subhani
Secretary to Government

[25 (3)]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक 24 जून, 2008

संख्या–3/एम–166/2006–का0–4033 / भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–** (1) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के उप–नियम (2) में एक परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाना।**– उक्त नियमावली में, नियम–17 के उप–नियम (2) में "स्पष्टीकरण" के पहले निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा–

"परन्तु जहाँ जाँच प्राधिकारी के रूप में विभागीय जाँच आयुक्त की नियुक्ति की गई हो वहाँ विभागीय जाँच आयुक्त या तो स्वयं जाँच करेंगे या जाँच का कार्य अपर विभागीय जाँच आयुक्त को हस्तांतरित कर सकेंगे। जाँच के ऐसे हस्तांतरित मामले में अपर विभागीय जाँच आयुक्त जाँच–प्रतिवेदन सहित जाँच–अभिलेख सीधे अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित कर सकेंगे।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–166/2006 का०– 4033 पटना–15, दिनांक 24 जून, 2008

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–166/2006 का०– 4033 पटना–15, दिनांक 24 जून, 2008

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक 24 जून, 2008

संख्या–3/एम०–166/2006–का०–4034/अधिसूचना सं० 4033 दिनांक 24.06.08 का संलग्न अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अँगरेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3 / एम०–166 / 2006–का०–4034 पटना–15, दिनांक 24 जून, 2008

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

सरयुग प्रसाद
सरकार के उप सचिव

Govt. of Bihar

Personnel and Administrative Reforms Department

NOTIFICATION

Patna-15, dated 24th June, 2008

No. 3/M-166/2006-Ka-4033 / In exercise of powers conferred by the Proviso to the Article-309 of the Constitution of India, the Government of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 -

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These Rules may be called the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) (Second Amendment) Rules, 2008.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Insertion of a Proviso to sub-rule (2) of rule-17 of the Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005.**— In the said Rules the following proviso shall be inserted before 'EXPLANATION' to sub-rule (2) of rule 17 :-

"Provided that where the Departmental Enquiry Commissioner is appointed as inquiring authority in such cases the Departmental Enquiry Commissioner either himself conduct the inquiry or may transfer the case of enquiry to the Additional Departmental Enquiry Commissioner. In the matter of such transferred cases of enquiry the Additional Departmental Enquiry Commissioner may forward the records of enquiry alongwith Enquiry report directly to the Disciplinary Authority."

By the Order of the Governor of Bihar,

Saryug Prasad

Dy. Secretary to Government

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1931 (श०)

(सं० पटना 99) पटना, बुधवार, 10 फरवरी 2010

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएँ

10 फरवरी 2010

सं० 3/एम०–64/2008 का०–666–भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है–

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**–(1) यह नियमावली 'बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।

2. **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम 14 में 'स्पष्टीकरण' के बाद 'स्पष्टीकरण (2)' तथा 'स्पष्टीकरण (3)' का जोड़ा जाना।**– "उक्त नियमावली के नियम 14 में प्रावधानित 'स्पष्टीकरण' को 'स्पष्टीकरण (1)' के रूप में संख्यांकित किया जायेगा तथा निम्नलिखित नये 'स्पष्टीकरण (2)' एवं 'स्पष्टीकरण (3)' जोड़े जायेंगे :–

"स्पष्टीकरण (2) – इस नियम के अर्थान्तर्गत खंड (i), (ii), (iv), (v), (vi), (vii) एवं (viii) में अंकित शास्तियों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है, यथा–

(i) *निन्दन* – निन्दन की प्रविष्टि आरोपों अथवा भूल–चूक के वर्ष की चरित्रपुस्त में की जायेगी। जिस वर्ष के आरोपों अथवा भूल–चूक के कारण निन्दन की शास्ति दी जायेगी, उस निन्दन का संबंधित सरकारी सेवक की सम्पुष्टि एवं प्रोन्नति के मामलों पर उस वर्ष के बाद से अगले तीन वर्षों तक कुप्रभाव पड़ेगा। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक को वर्ष 2002–2003 के आरोपों अथवा भूल–चूक के कारण निन्दन की सजा दी जाती है तो उसकी

प्रविष्टि वर्ष 2002–2003 की चारित्री में होगी और उसका कुप्रभाव वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक रहेगा।

ऐसा सरकारी सेवक जिसे तीन निन्दन की शास्तियाँ मिल चुकी हों, उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब अंतिम (तीसरे) निन्दन के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस सरकारी सेवक का अगले पाँच वर्षों में कम–से–कम तीन वर्षों का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले 5 वर्षों की अवधि में और कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक को दिये गये तीसरे निन्दन की शास्ति का कुप्रभाव 2002 में समाप्त होता हो और उसकी प्रोन्नति 2008 या उसके पूर्व देय होती हो तो 2008 में, अर्थात् अंतिम निन्दन के कुप्रभावों की समाप्ति के पाँच वर्षों के बाद, उसकी प्रोन्नति देय समझी जायेगी, बशर्ते कि 2003 से 2007 तक की पाँच वर्षों की अवधि में कम–से–कम तीन वर्षों का उसका कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और इन पाँच वर्षों की अवधि में उसे कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो।

(ii) *प्रोन्नति रोकना* – प्रोन्नति पर रोक की शास्ति देते समय अनुशासनिक प्राधिकार के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि यह सजा किसी अवधि विशेष तक प्रभावी रहेगी अथवा पूरे सेवाकाल के लिए।

(iii) *तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिए संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति*– इस शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा। इस शास्ति में 'प्रक्रम' का आशय वेतनमान के प्रक्रम से है। चूँकि इसका प्रभाव संचयी नहीं (असंचयात्मक) है अतः शास्ति की अवधि के समाप्त होने पर प्रभावग्रस्त सभी प्रक्रमों का लाभ जोड़ते हुए अगला प्रक्रम अनुमान्य होगा।

(iv) *संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियों को रोकना* – ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियाँ रोकी जायेंगी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट अंकन आवश्यक होगा। शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव के बिना (अर्थात असंचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। चूँकि शास्ति संचयी प्रभाव के बिना है अतः वेतनवृद्धि रोके जाने के बाद की तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रुकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़कर वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा, परन्तु रोकी गई अवधि का आर्थिक लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

इस शास्ति के प्रभाव में रहने की अवधि में, अर्थात जितने वर्षों तक वेतनवृद्धि रुकी रहेगी उतने वर्षों तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार संभव हो सकेगा।

(v) *संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों को रोकना* – ऐसी शास्ति का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा, अर्थात आदेश निर्गत होने की तिथि के बाद की वेतनवृद्धियाँ रोकी जायेंगी। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आदेश में रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियों की संख्या का स्पष्ट अंकन आवश्यक होगा। शास्ति का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी सरकारी सेवक की दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव के साथ (अर्थात् संचयात्मक प्रभाव से) रोकी जाती हैं तो इसका अर्थ यह होगा कि शास्ति

का आदेश संसूचित होने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि की देय तिथि से एक वर्ष तक प्रथम वेतनवृद्धि तथा दूसरी देय तिथि से अगले एक वर्ष तक दूसरी वेतनवृद्धि रुकी रहेगी। जितने वर्षों तक की शास्ति रहेगी उतने ही वर्षों के वेतनवृद्धियों के लिए संचयी प्रभाव रहेगा, परन्तु चूँकि शास्ति संचयी प्रभाव के साथ है अतः रोकी गई वेतनवृद्धियाँ पूरी सेवाकाल तक के लिए रुक जायेगी। ऐसी स्थिति में रोकी गई वेतनवृद्धियों के बाद तीसरी वेतनवृद्धि की देय तिथि से रुकी हुई दोनों वेतनवृद्धियों का प्रक्रम जोड़े बिना वेतनवृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा।

इस शास्ति के प्रभाव में रहने की अवधि में, अर्थात् जितने वर्षों तक वेतनवृद्धि रुकी रहेगी उतने वर्षों तक, किसी प्रकार की प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सकेगा। शास्ति की अवधि समाप्त हो जाने के बाद ही देय तिथि से प्रोन्नति पर विचार संभव हो सकेगा।

(vi) *कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अवनति, इन निदेशों के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं।*—ऐसी शास्ति दिये जाने के आदेश में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि कितनी अवधि के लिए ऐसी शास्ति प्रभावी रहेगी और उस दरम्यान वार्षिक वेतनवृद्धि अर्जित की जा सकेगी या नहीं की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक होगा कि शास्ति की अवधि की समाप्ति के बाद भविष्य की वेतनवृद्धियाँ स्वतः अनुमान्य होने लगेंगी या बाधित रहेंगी, और यदि बाधित रहेंगी तो कितनी अवधि तक बाधित रहेंगी।

ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति के बाद यदि भविष्य की वेतनवृद्धियाँ बाधित रखी जाती हैं तो जितने वर्षों के लिए वेतनवृद्धियाँ बाधित रहेंगी उतने वर्षों तक प्रोन्नति बाधित रहेगी।

(vii) *निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में, जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रोन्नति के लिए उस कोटि या पद या सेवा में, जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्तों तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्त्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जाने वाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा।*— इस शास्ति संबंधी आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि इसकी प्रभाव सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए होगी या नहीं। यदि इसकी प्रभाव सीमा स्थायी या अनिश्चित अवधि के लिए करने का इरादा नहीं हो तो वैसी स्थिति में ऐसी अवनति की अवधि का उल्लेख और साथ ही ऐसी अवनति की अवधि की समाप्ति पर पुनर्स्थापन की शर्तों का भी उल्लेख प्रस्तावित शास्ति में करना आवश्यक होगा। अतः अनुशासनिक प्राधिकार के लिए यह अपेक्षित होगा कि शास्ति अधिरोपित किये जानेवाले आदेश में निम्नांकित रूप में निदेश विनिर्दिष्ट किये जायँ –

(क) अवनति की अवधि, यदि स्पष्ट इरादा यह नहीं हो कि अवनति स्थायी तौर पर होगी या अनिश्चित अवधि के लिए,

(ख) जहाँ अवनति की अवधि विनिर्दिष्ट की जाय वहाँ यह भी उल्लेख किया जाय कि अवनति की अवधि की समाप्ति पर सरकारी सेवक को स्वतः उस पद पर प्रोन्नति दी जायेगी या नहीं जिस पद से वह अवनत हुआ, और

(ग) ऐसी पुनर्प्रोन्नति के फलस्वरूप सरकारी सेवक उच्चतर सेवा, कोटि या पद या कालमान वेतन, जो उसे दण्ड दिये जाने के पूर्व दिया गया था, में अपनी मौलिक वरीयता पुनर्प्राप्त कर लेगा या नहीं।"

"*स्पष्टीकरण (3) –चेतावनी* – इस नियम के अर्थान्तर्गत चेतावनी शास्ति नहीं है और इस कारण इसे शास्तियों की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया है। परन्तु ऐसे अवसर आ सकते हैं जब अनुशासनिक प्राधिकार या उनके अधीनस्थ पदाधिकारी को अधीनस्थ किसी सरकारी सेवक की उसकी लापरवाही, अभिरुचि का अभाव, कार्य में विलम्ब आदि कारणों से, आलोचना करने की आवश्यकता आ पड़े। ऐसी आलोचना 'मौखिक' या 'लिखित' चेतावनी देकर की जा सकती है ताकि सरकारी सेवक के कार्यों में सुधार आ सके। ऐसा भी हो सकता है कि किसी आरोप के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया अर्थात् स्पष्टीकरण पूछने पर उसकी जाँच के बाद यह निष्कर्ष निकले कि 'निन्दन' की सजा देने के बजाय आरोपित व्यक्ति को 'चेतावनी' देना पर्याप्त है। ऐसी हालत में जो 'चेतावनी' दी जाती है उसकी प्रविष्टि चरित्र–पुस्त में की जानी चाहिए। परन्तु चरित्र–पुस्त में प्रविष्टि हो जाने से ऐसी 'चेतावनी' 'निन्दन' में परिवर्तित नहीं हो सकती है। हालाँकि ऐसी चेतावनी का असर सरकारी सेवक की मेधा या उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए उसके विचार योग्य होने पर पड़ता है। ऐसी 'चेतावनी' 'निन्दन' नहीं हो सकती है, क्योंकि 'चेतावनी' देते समय उसे 'निन्दन' के योग्य नहीं पाया गया था। यदि किसी सरकारी सेवक की चरित्रपुस्त में "दो चेतावनियों" की प्रविष्टि हो तो, वर्णित कारणों से ऐसी चेतावनियाँ 'निन्दन' में परिवर्तित नहीं मानी जा सकती हैं और न ही वे 'एक निन्दन' के समान हो जा सकती हैं। परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं होता है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध चाहे कितनी भी चेतावनियाँ चरित्रपुस्त में दर्ज हो जायँ। चेतावनियाँ प्रतिकूल अभ्युक्तियों का काम करती हैं। यदि चेतावनी के बावजूद कार्य में सुधार नहीं आ पाता है तो प्रतिवेदक/समीक्षी पदाधिकारी तदनुसार अभ्युक्ति लिखने हेतु सक्षम होते हैं।

अगर किसी सरकारी सेवक को दण्ड के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए (यानी सफाई देने का अवसर देकर उनके स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए) 'चेतावनी' दी जाती है और जिसकी प्रविष्टि चरित्रपुस्त में की जाती है तो उसका कुप्रभाव सरकारी सेवक की सम्पुष्टि तथा प्रोन्नति में अगले एक वर्ष तक पड़ेगा। यदि किसी सरकारी सेवक की चरित्रपुस्त में पाँच चेतावनी की प्रविष्टि हुई हो तो उसे प्रोन्नति के योग्य तभी समझा जायेगा जब पाँचवीं चेतावनी के कुप्रभाव की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उस सरकारी सेवक का अगले पाँच वर्षों में कम–से–कम तीन वर्षों का कार्य एवं आचरण उत्कृष्ट रहा हो और उसे अगले पाँच वर्षों की अवधि में कोई प्रतिकूल अभ्युक्ति नहीं मिली हो।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
राजीव लोचन,
सरकार के विशेष सचिव

10 फरवरी 2010

सं० 3/एम०–64/2008 का०–667–अधिसूचना संख्या–666 दिनांक 10 फरवरी 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत–संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से
राजीव लोचन,
सरकार के विशेष सचिव

The 10th February, 2010

No. 3/M-64/2008 KA-666—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Government of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 [as amended from time to time]-

Bihar Government Servants (Classification, Control &Appeal)

(Third Amendment) Rules, 2010

1. ***Short Title, Extension & Commencement.***— (1) These Rules may be called the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) (Third Amendment) Rules, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) These Rules shall come into force immediately.

2. ***Addition of EXPLANATION (2) and EXPLANATION (3) after existing EXPLANATION in rule 14 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005 (as amended from time to time).***— In rule 14 of the said Rules, the existing "EXPLANATION" shall be numbered as "EXPLANATION (1)" and following new "EXPLANATION (2)" and "EXPLANATION (3)" shall be added-

"EXPLANATION (2) - The penalties mentioned in the clauses (i), (ii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) are explained as follows within the meaning of this rule-

(i) Censure : The Censure shall be entered in the character roll of the year of the allegation or omission & commission. The adverse effect of censure on the confirmation and promotion of concerned Government Servant shall be for next three consecutive years after the year of allegation or omission & commission for which he or she is censured. For example, if a Government Servant is censured for the allegation or omission & commission of the year 2002-2003, it shall be entered in the character roll of 2002-2003 and its adverse effect shall be from the year 2003-2004 to 2005-2006.

Such Government Servant who has been awarded with three censures, shall be deemed to be fit for promotion only if after expiry of the period of adverse effect of last (third) censure, during the next five years his work and conduct of at least three years is extraordinary and has not been awarded any adverse remarks for the period of next five years. For example, if the adverse effect of third censure of a Government servant expires in 2002 and his promotion is due in 2008 or before that, in that case his promotion shall be deemed to be due in 2008, i.e. five years after the expiry of adverse effects of last censure, with the condition that during the five years of 2003 to 2007 his work and conduct of at least three years is extraordinary and during the said five years he has not been awarded any adverse remarks.

(ii) Withholding of Promotion - While awarding the penalty of withholding of promotion, it shall be essential to explain in the order of the disciplinary authority whether this penalty shall be for a particular period or for the whole service period.

(iii) Reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding three years without cumulative effect. - This penalty shall be effective from the date of issue of order. In this penalty the 'stage' means the stage of pay scale. As it is without cumulative effect, therefore after the expiry of the

period of penalty the next stage shall be admissible adding the benefit of all the effected stages.

(iv) *Withholding of increments of pay without cumulative effect* - Such penalty shall be effective from the date of issue of order, i.e. the increments due after the issue of the order shall be withheld. It will be essential to mention clearly the number of annual increments withheld in the order by the disciplinary authority. After the communication of order of penalty the increment shall remain withheld from the due date of next increment. For example, if two increments of a Government servant are withheld without cumulative effect, it will mean that after the date of communication of order of penalty, from the due date of next increment till one year the first increment and from the second due date till one year the second increment shall remain withheld. As the penalty is without cumulative effect, the salary from the due date of third increment after the withholding of increments shall be paid with increment after adding the stages of both the withheld increments, but the financial benefit of withheld period shall not be admissible.

No promotion shall be considered during the period of operation of this penalty, i.e. for the number of years the increments are withheld. Only after the expiry of the period of penalty, it will be possible to consider on the promotion from the due date.

(v) *Withholding of increments of pay with cumulative effect* - Such penalty shall be effective from the date of issue of order, i.e. the increments due after the issue of the order shall be withheld. It will be essential to mention clearly the number of annual increments withheld in the order by the disciplinary authority. After the communication of order of penalty the increment shall remain withheld from the due date of next increment. For example, if two increments of a Government Servant are withheld with cumulative effect it will mean that after the date of communication of order of penalty, from the due date of next increment till one year the first increment and from the second due date till one year the second increment shall remain withheld. The cumulative effect shall be for such number of years as is the increments withheld, but as the penalty is with cumulative effect therefore the withheld increments shall remain withheld for the whole service period. Under these circumstances, the salary from the due date of third increment after the withholding of increments shall be paid with increment without adding the stage of both the withheld increments.

No promotion shall be considered during the period of operation of this penalty, i.e. for the number of years the increments are withheld. Only after the expiry of the period of penalty it will be possible to consider on the promotion from the due date.

(vi) *Reduction to a lower stage in time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government Servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay.*- It shall be essential to mention clearly in the order the period of effect of such penalty and also whether annual increment will be earned during such period or not. It shall also be essential to explain whether on the expiry of period of penalty, further increments will be automatically admissible or will remain postponed, and if postponed the period of such postponement.

If the future increments are postponed after expiry of period of such reduction, in that case the promotion

will be withheld for such number of years as is the number of years of withholding of increment.

(vii) *Reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government servant to the time-scale of pay, grade, post or service from which he or she was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government Servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service.*- It shall be essential to mention clearly in the order concerning this penalty whether its limit of effect shall be permanent or for indefinite period, or not. If the intention is not to make its limit of effect permanent or for indefinite period, in that case it shall be essential to mention the period of such reduction and the conditions of restoration after the completion of period of such reduction in the proposed penalty. Therefore, it shall be desirable for the disciplinary authority to invariably specify the following instructions in the order of penalty -

(a) the period of reduction, unless the clear intention is that the reduction should be permanent or for an indefinite period;

(b) where the period of reduction is specified whether on the expiry of the period the Government Servant is to be promoted automatically to the post from which he was reduced; and

(c) whether on such re-promotion, the Government Servant will regain his original seniority in the higher service, grade or post or higher time-scale which had been assigned to him prior to the imposition of the penalty."

"*EXPLANATION (3) - Warning* - The warning is not a penalty within the meaning of this rule and due to this it has not been placed in any of the category of penalty. But the occasion may come when the disciplinary authority or his sub-ordinate authority may need to criticize a Government Servant due to his carelessness, lack of interest, delay in execution of work etc. Such criticism may be done by warning him orally or in writing, so that the work of the Government Servant may be improved. It is also possible that after the procedure of disciplinary proceeding for an allegation i.e. after the scrutiny of explanation it is concluded that it will be sufficient to warn the delinquent person instead of censuring him. In that circumstances the 'Warning' awarded should be entered into the character roll. But with the entering into character roll such 'warning' cannot be converted into 'censure'. However such warning has the effect on the merit of the Government Servant or on his being considered for promotion on higher post. Such 'warning' cannot be a 'censure' because while awarding 'warning' he was not considered to be censured. If there is entry of 'two warnings' in the character roll of a Government Servant, the said 'warnings', due to the aforesaid reasons, neither be deemed to be converted into 'censure' nor be equivalent to 'a censure'. But it does not mean that Government Servant may have so many 'warnings' entered into his character roll. The 'warnings' has the effect of adverse remarks. If there is no improvement in the work despite warning, the reporting/reviewing officer is competent to record the remarks accordingly.

If a Government Servant is awarded 'warning' after adopting the prescribed procedure of awarding penalty (i.e.after giving an opportunity to explain his conduct and keeping in view the explanation submitted by him) and which is entered into character roll, in that case it shall have the adverse

effect for next one year on the confirmation and promotion of the Government Servant. If five 'warnings' are entered into the character roll of a Government Servant, he shall be deemed to be fit for promotion, if after expiry of the period of adverse effect of the fifth warning, during the next five years his work and conduct of at least three years is extra-ordinary and he has not been awarded any adverse remarks for the period of next five years."

By order of the Governor of Bihar,
RAJIVA LOCHAN
Special Secretary to Government

---

[26]

पत्रांक–3/एम०–7/2005 का०–945

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री जी० एस० कंग,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 24. 06. 2005

विषय :– सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त बेनामी एवं छद्मनामी परिवाद–पत्रों पर कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 16514 दिनांक 05.12.1980, पत्रांक 13830 दिनांक 14.12.1989 तथा पत्रांक 2451 दिनांक 23.03.2005 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि पत्रांक 16514 दिनांक 05.12.1980 के अन्तर्गत यह उल्लेख है कि अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदनपत्रों पर कार्रवाई नहीं की जायेगी तथा पदाधिकारियों के विरुद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुलापत्र और पैम्फलेटों पर भी कार्रवाई नहीं की जायेगी। जहाँ परिवाद पत्र हस्ताक्षरित होंगे और आरोप विशिष्ट प्रकृति के होंगे तथा परिवादी का पता लगाया जाना संभव होगा, वहाँ भी परिवादी को तुरंत बुलाकर या उनसे सम्पर्क स्थापित कर जान लेना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा लाये गये आरोपों के संबंध में उन्हें क्या कहना है और परिवाद के संबंध में वे किस प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। इसके बाद ही समीक्षोपरांत सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जाँच की प्रक्रिया आरम्भ की जाय। इसके पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाय अथवा नहीं, यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

2. परन्तु, उपर्युक्त प्रकार से कार्रवाई के उपरान्त भी सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्तरदायी सरकारी

सेवकों के विरुद्ध प्रायः दुर्भावना, प्रतिशोध और उन्हें हतोत्साहित करने के उद्देश्य से किये गये परिवादपत्र जाँचोपरान्त बेबुनियाद एवं निराधार पाये जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में पत्रांक 13830, दिनांक 14.12.1989 के अन्तर्गत सरकार का यह निर्णय संसूचित किया गया कि सरकारी सेवक के विरुद्ध आम जनता तथा लोक प्रतिनिधि (किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध उनके नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित मामला को छोड़कर) से परिवादपत्र प्राप्त होने पर परिवादी से लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ उनसे शपथपत्र लिया जाय कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने को तैयार हैं। दिनांक 14.12.1989 के उपर्युक्त परिपत्र में पत्रांक 2451, दिनांक 23.03.2005 के तहत आंशिक संशोधन संसूचित किया गया कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद् के माननीय सदस्यों से शपथपत्र नहीं माँगा जायेगा, परन्तु संपुष्टि और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार होने के संबंध में उनसे सम्पुष्टि प्राप्त कर लेने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

3. एक ही विषय पर उक्त तीन परिपत्रों के लागू रहने से उसकी व्याख्या में कभी–कभी भ्रम हो जाने की गुंजाइश हो गयी है। जहाँ सरकार कृतसंकल्प है कि कार्यान्वयन के क्षेत्र में सरकार की नीतियाँ सही रूप से प्रतिबिंबित हो सकना सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सेवक उत्तरदायी ठहराये जायँ, वही सरकार चिन्तित भी है कि प्रायः दुर्भावना, प्रतिशोध और पदाधिकारियों को हतोत्साह करने के उद्देश्य से प्रेरित अनाम, बेनामी और छद्मनामी परिवादों की प्रवृत्ति पर भी रोक प्रभावी ढंग से लगी रहे। सरकार की इस चिन्ता को प्रभावी और स्पष्ट रूप देने के उद्देश्य से उक्त परिपत्रों के तहत लिये गये निर्णयों का समेकन कर एक स्पष्ट एवं प्रभावी अनुदेश निर्गत करने की आवश्यकता महसूस की गयी है।

4. अतः उपर्युक्त पत्रांक 16514 दिनांक 05.12.1980, पत्रांक 13830 दिनांक 14.12.1989 तथा पत्रांक 2451, दिनांक 23.03.2005 को अवक्रमित करते हुए तथा सारे पहलुओं पर विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि :–

(1) अनाम, बेनामी, छद्मनामी आवेदनपत्रों/परिवादपत्रों पर कार्रवाई नहीं की जायेगी, बल्कि उन्हें संचिकास्त कर दिया जायेगा।

(2) पदाधिकारियों के विरुद्ध बिना हस्ताक्षर के प्रकाशित खुला पत्र और पैम्फलेटों पर भी तदनुसार कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(3) आम जनता से प्राप्त हस्ताक्षरित एवं उनका पतायुक्त परिवादपत्र प्राप्त होने पर परिवादी से एक निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ उनसे शपथपत्र भी लिया जायेगा कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।

(4) लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद् के माननीय सदस्यों से परिवादपत्र प्राप्त होने पर उनसे शपथपत्र नहीं माँगा जायेगा, परन्तु एक निर्धारित अवधि के अन्दर उनसे लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ उनसे यह लिखित आश्वासन भी लिया जायेगा कि परिवाद के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वे तैयार हैं।

(5) अन्य प्रकार के लोक प्रतिनिधियों से परिवादपत्र प्राप्त होने पर उनसे एक निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ उनसे शपथपत्र भी लिया जायेगा कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।

(6) उप–कंडिका (3) एवं (5) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि एवं शपथपत्र प्राप्त नहीं हो सकने तथा उप–कंडिका (4) के संदर्भ में निर्धारित अवधि के अन्दर लिखित सम्पुष्टि एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के

लिए तैयार रहने का आश्वासन प्राप्त नहीं हो सकने की स्थिति में परिवादपत्र को संचिकास्त कर दिया जायेगा।

(7) उपर्युक्त उप–कंडिका (3), (4) एवं (5) के अनुसार निबन्धित डाक से कार्रवाई के बाद ही समीक्षोपरान्त सरकार/विभागाध्यक्ष/नियुक्ति पदाधिकारी के आदेश से जाँच की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी। जाँच की कार्रवाई के पूर्व सरकारी सेवक का स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जाय या नहीं – यह आरोप की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

5. अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों एवं पदाधिकारियों को अवगत करा दें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

जी०एस० कंग

मुख्य सचिव

---

[27]

पत्र संख्या–3/एम०–46/2004 का०–3644

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रविकान्त,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 30. 04. 2005

विषय :– वेतनवृद्धि रोकने की सजा के प्रभाव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय विभागों से वेतनवृद्धि की सजा के प्रभाव के संबंध में पृच्छाएँ प्राप्त हो रही हैं तथा इस क्रम में महालेखाकार द्वारा भी कतिपय मामलों में इस विभाग से ऐसी सजा के प्रभाव के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गई है। इस संबंध में पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 13110, दिनांक 16.12.98 द्वारा महालेखाकार को यह सूचित किया गया था कि विभागीय कार्यवाही के पश्चात् यदि किसी सरकारी सेवक को आर्थिक सजा या वेतनवृद्धि पर रोक आदि की सजा दी जाती है तो उसका प्रभाव उसी अवधि में पड़ेगा जिस अवधि में आरोप के चलते उन्हें सजा दी गई है, भले ही सजा उन्हें बाद में मिली हो।

2. इस संबंध में राज्य सरकार ने समीक्षोपरान्त यह निर्णय लिया है कि आर्थिक दण्ड की सजा का प्रभाव भूतलक्षी प्रभाव

से नहीं हो सकता है। उक्त आलोक में ऐसी सजाओं का प्रभाव आदेश निर्गत की तिथि से होगा तथा यदि पूर्व में भी किसी भी कारण से कोई वेतनवृद्धि नहीं दी गई है तो बाद में निर्गत सजा के आधार पर उसे रोका नहीं जा सकेगा तथा उसका प्रभाव भविष्य में प्राप्त होने वाले वेतनवृद्धियों पर ही पड़ेगा।

विश्वासभाजन
रविकान्त
सरकार के सचिव

---

[28]

पत्र संख्या–3/एम०–07/2005 का०–2451

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

रविकान्त,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 23 मार्च, 2005

विषय :– सरकारी सेवकों के विरुद्ध प्राप्त परिवाद पत्रों पर कार्रवाई करने के संबंध में अनुदेश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक का०–13830 दिनांक 14.12.1989 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उपर्युक्त पत्र में राज्य सरकार का यह अनुदेश उल्लेखित है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध आम जनता तथा लोक प्रतिनिधि (किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध उनके नियंत्रक पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित मामला को छोड़कर) से परिवाद पत्र प्राप्त होने पर परिवादी से लिखित संपुष्टि प्राप्त करने के साथ–साथ उनसे शपथ पत्र लिया जाय कि मामले की उनको व्यक्तिगत जानकारी है और तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए वे साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं।

2. उपर्युक्त अनुदेश में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद् के माननीय सदस्यों से शपथ पत्र नहीं माँगा जायेगा। परन्तु संपुष्टि और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तैयार होने के संबंध में उनसे संपुष्टि प्राप्त कर लेने की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

3. उपर्युक्त परिपत्र में निहित अन्य अनुदेश पूर्ववत लागू रहेंगे। कृपया उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों एवं पदाधिकारियों को अवगत करा दिया जाय।

विश्वासभाजन
रविकान्त
सरकार के सचिव

---

[29]

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 02. 03. 2005

संख्या–3/एम०–45/2004–का० 1502/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 [अधिसूचना सं०–16/सं०सं०–6–04/2002 का०–1293 दिनांक 17.07.2003 द्वारा यथा संशोधित] में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

उक्त नियमावली में :–

1. नियम–4 के परन्तुक को निम्नांकित के प्रतिस्थापित किया जायेगा–

   "परन्तु इस नियमावली के अधीन दिये गये दंड के आदेश के विरुद्ध कोई अपील उस अधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा, जिसे बिहार के राज्यपाल विशेष या सामान्य आदेश से अपील की सुनवाई तथा निबटारा करने हेतु प्राधिकृत करेंगे।"

2. यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
रविकान्त
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–45/2004 का०–1502 पटना–15, दिनांक 02 मार्च, 2005

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

रविकान्त
सरकार के सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 02 मार्च, 2005

संख्या–3/एम०–45/2004–का०–1503/ अधिसूचना सं० 1502 दिनांक 02.03.2005 के तहत निर्गत बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 में संशोधन का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त संशोधन का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

रविकान्त

सरकार के सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR,

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

NOTIFICATION

Patna-15, Dated 02 March, 2005

No. 3/M-45/2004-1503 / In exercise of powers conferred by Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes following amendments in Bihar & Orissa Subordinate Services (Discipline and Appeal) Rules, 1935 (as amended vide notification no. 16/San. San. 6-04/2002 Ka, 1293 dated 17.07.03) -

AMENDMENTS

In the said Rules -

1. Proviso to rule 4 shall be substituted by the following-
   "Provided that an appeal against the order of penalty passed under these Rules may be filed before the authority who is authorised by the general or special order of the Governor of Bihar to hear the appeal and dispose it off."
2. It will come into force immediately.

By the order of the Governor of Bihar,

Ravikant

Secretary to Government.

ज्ञापांक–3/एम०–45/2004 का०– 1503 पटना–15, दिनांक 02.03.2005

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

रविकान्त

सरकार के सचिव

पत्र संख्या–3/एम०–06/2004 का०–4689

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री के०ए०एच० सुब्रह्मणियन,

मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 07. 06. 2004

विषय :– सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 4990/2003 शैलेन्द्र कुमार कश्यप बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.01.2004 के आलोक में कार्रवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 4990/2003 में दिनांक 14.01.2004 को पारित आदेश (प्रतिलिपि संलग्न) की कंडिका–11 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध निलम्बित करने अथवा निलम्बित समझे जाने वाला आदेश पारित किया जाना अपेक्षित हो तो ऐसा आदेश बिहार सेवा संहिता के नियम 99 या 100 के तहत पारित नहीं किया जाय। बिहार सेवा संहिता के उक्त नियमों के तहत आदेश पारित किये जाने की प्रदत्त शक्तियों में विभिन्न न्यायादेशों द्वारा कतिपय परिसीमाएँ अधिरोपित की गयी हैं। आदेश, चाहे निलम्बित करने का हो या निलम्बित समझे जाने का, सक्षम प्राधिकार द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 49–ए अथवा बिहार एवं उड़ीसा अधीनस्थ सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 के नियम 3–ए (जो भी लागू हो) में प्रदत्त शक्तियों के तहत ही पारित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

के०ए०एच० सुब्रह्मणियन

मुख्य सचिव, बिहार।

CIVIL WRIT JURISDICTION CASE No. 4990 of 2003

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India

Shailendra Kumar Kashyap.....Petitioner

Versus

The State of Bihar and ors. .....Respondents

For the petitioner : M/S Ganesh Prasad Singh and

Mithlesh Kumar Rai

For the State : Mr. R. K. Dutta, SC. - 4

PRESENT

THE HON'BLE MR. JUSTICE SACHIDANAND JHA

THE HON'BLE MR. JUSTICE B.N.P. SINGH

S.N. Jha & B.N.P. Singh, J.J. 14.01.04 A short but significant question relating to duration of suspension under rule 49A (2) (a) of the Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1930 (For brevity, the Rules) arises for consideration in the case. The facts of the case briefly stated are as follows:

2. The petitioner is a member of the Bihar Finance Service. During his tenure was Assistant Treasury Officer, Ranchi from 17.05.1993 he dealt with contingent bills from August 1994. On 05.02.1996 he was placed under suspension under rule 49(1) of the Rules in contemplation of departmental proceeding on charges of abetting fraudulent withdrawals from the Government Treasury contributing to what has come to be known as fodder scam in the State of Bihar. Though the order indicated that the suspension was in contemplation of department proceeding, on 26.02.1996 i.e. 21 days after, he was dismissed from service under proviso to Article 311 (2) of the Constitution of India. The dismissal was set aside by this court on 29.10.1997 in CWJC No. 4235/96. The Court however directed the petitioner to appear before the Commissioner of Commercial Taxes - Cum - Special Secretary, Department of Finance with corresponding direction to the Commercial Taxes Commissioner to hand over charge memo in connection with the departmental proceeding to be held against the petitioner. The Court clarified that the order will not prevent the respondents from passing another order of suspension in accordance with law. Consequential order cancelling the order of suspension and dismissal was passed by the Commissioner of Commercial Taxes on 29.08.1998 and the petitioner was posted as Assistant Commissioner of Commercial Taxes in the head office with effect from the date of suspension i.e. 05.02.1996. Pursuant to the said order the petitioner submitted his joining on 03.09.1998. Earlier on 24.11.1997 the petitioner had appeared before the Commissioner, Commercial Taxes, in the light of Court's order dated - 29.10.1997 (Supra) with a request to hand over copy of the charge memo in connection with the proposed departmental proceeding.

3. In the meantime criminal cases relating to the so - called fodder scam had been instituted in four of which namely R.C. No. 2 4A/96, R.C. No. 32A/96, R.C. No. 43A/96 and R.C. No. 44A/95, he figured as an accused along with others. On 07.05. 2000 the petitioner surrendered in connection with those cases. On 30.01.2001 he was released on bail. After release, on 31.01.2001 he submitted his joining. While waiting for posting on 11.01.2002 he was placed under suspension with effect from 07.05.2000, the date of his remand

in the aforementioned criminal cases, by the impugned order under rule 49A (2) (a) of the Rules. The suspension having continued for over a year without holding any departmental proceeding in the meantime, the petitioner has approached this court for quashing the impugned order dated 11.1.2002 and other consequential and incidental reliefs.

4. Shri Ganesh Prasad Singh, learned counsel for the petitioner, submitted that by order date 29.10.1997 this court had directed the respondents to serve copy of the charge memo and conclude the departmental proceeding. The petitioner appeared before the Commissioner, Commercial Taxes, in the light of the direction of this court but no charge memo was served, in stead, he was reinstated on the post on 29.08.1998. The respondents were aware that criminal cases were pending against him, nonetheless they reinstated the petitioner and allowed him to join the post. Thus pendency of the criminal case could not be a ground to pass another order of suspension. If that was so in 1996 or 1998, surely, in 2002 this could not be a ground for suspension. Counsel submitted that the only event which took place during this period was that the petitioner remained in custody for certain period but that cannot be treated as a ground for continued suspension as the petitioner had joined the post after his release on bail, functioned for about a year, received his salary etc. The State Government was well aware of these facts. Counsel referred to Annexure/ Purporting ... disclosed about the criminal cases and his release on bail. According to the counsel, validity of the impugned order has to be considered in the above background.

5. Adverting to the impugned order of suspension counsel submitted that Rule 49A (2) (a) is akin to Rule 99 of the Bihar Service Code and not Rule 100 thereof. Thus on his release on bail the suspension should be deemed to have come to an and he cannot be deemed to be or treated as under suspension without passing a fresh order as envisaged under Rule 100 of the Service Code.

6. Shri R. K. Dutta, learned Standing Counsel no. 4, appearing for the respondents submitted that after the first suspension, two important events took place, first, the cases relating to fodder scams were assigned to the Central Bureau of Investigation (CBI) pursuant to the direction of this court, confirmed by the Supreme Court, and second, sanction for petitioner's prosecution was granted vide Annexure - A to the Counter Affidavit on 30.07.1999. It was thereafter that the petitioner was taken into custody on 07.06.2000 and he remained so until his release on bail on 30.01.2001. As regard the efficacy of departmental proceeding, it was submitted that though the initial suspension was in contemplation of departmental proceeding and direction was also issued by this court by order dated 29.10.1996 in CWJC No. 4235/96 to conclude the departmental proceeding, it transpired that entire record had been seized by the CBI and being part of investigation report they are now in custody of the CBI Court. In the circumstances there was little scope to conduct the departmental proceeding muchless within a time frame. In the meantime, sanction orders were issued in respect of petitioner's prosecution in the criminal cases, whereafter the petitioner was taken into custody on 07.06.2000. The petitioner was placed under suspension under rule 49(A) (2) (a) of the rules. Counsel submitted that the real power to place a government servant under suspension flows from rule 49A of the Rules and not from rules 99 or 100 of the Service Code which are in the nature of general provisions occuring in the chapter relating to pay. According to the Counsel where there is a special provision, the general provisions are not applicable. *Generalia specialibus non-derogant.* Counsel further submitted that the employer has inherent power to place an employee under suspension. The only thing is that in the absence of any rule to the contrary, subject to statutory provisions on the point, he is entitled to full salary

for the suspension period. As, in the instant case, the petitioner is also governed by the Bihar Service Code and rule-96 thereof provides for subsistence allowance during the suspension period, the petitioner is only entitled to such allowances and not salary.

7. The moot point for consideration, as indicated at the outset, is whether the suspension under rule 49A(2) (a) of the Rules is co-terminus with the custody period like suspension under rule 99 of the service code or the same continues even after person is released on bail or otherwise in a criminal case. In order to appreciate the point it would be appropriate to quote the relevant provisions of rule 99 (so far as relevant) and 100 of the service code as under :—

"99. A servant of Government against whom proceedings have been taken either for his arrest for debt or on a criminal charge or who is detained under any law providing for preventing detention should be considered as under suspension for any periods during which he is detained in custody or is undergoing imprisonment and not allowed to draw any pay and allowance (other than any subsistence, grant that may be granted in accordance with principles laid down in rule 96) for such period until the termination of the proceedings taken against him or until he is released from detention and allowed to rejoin his duties as the case may be.

100. A government servant against whom a criminal charge or a proceeding for arrest for debt is pending should also be placed under suspension by the issue of specific orders to this effect during periods when he is not actually detained in custody or imprisoned (e.g. while released on bail) if the charge made or proceeding taken against him connected with his position as a Government servant or is likely to embarass him in the discharge of his duties as such or involves moral turpitude. In regard to his pay and allowance the provisions of rule 99 shall apply."

The words "for such periods, until the termination of the proceedings taken against him or until he is released from detention and allowed to rejoin his duties as the case may be" occuring in rule 99 of the Service Code leave no room for doubt that the suspension under that rule comes to an end on the date the person is released from detention subject to any order which may be passed in terms of rule 100. In other words, if no order as envisaged in rule 100 is passed a person would be deemed to be free from suspension. Rule 99 in fact, it would appear from a bare reading, contemplates deemed suspension, by legal fiction, operative from the date of remand for a period exceeding forty-eight hours upto the date of his release. Such suspension under rule 99 takes effect by fiction of law, whether order to this effect is passed during continuity of the custody afterwards. Rule 100 on the other hand contemplates suspension by specific order. Unless an order to that effect is passed a person cannot be treated under suspension like rule 99. It would thus follow that whereas Rule 99 can have retrospective effect from the date of custody, suspension under Rule 100 takes effect from the date of the order. Thus where no order is passed, as envisaged under Rule 100, a person cannot be treated as continuing under suspension. It is in this background that the question as to duration of suspension under Rule 49 A of the Rules becomes significant.

8. At this stage rule 49A of the Rules may be quoted so far as relevant as under :—

"49A. (1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the Governor by general or special order, may place a Government servant under suspension :

(a) where disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending, or,

(b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial,

(c) ....

(2) A government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority -

(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours.

(b) ....."

On a prima facie reading, at the first instance, it does appear that the provisions of rule 49A (2) (a) are akin to those of rule 99 of the service code in as much as both of them deal with deemed suspension of a government servant. However, unlike corresponding provisions of rules 99 or 100 of the service code, sub-rule (5) of rule 49A gives a continuing effect to the suspension. Sub-rule (5) reads as under :—

"(5) (a) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(b) Where a government servant is suspended or is deemed to have been suspended (where in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the government servant shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate."

9. On a plain reading of clause (a) of sub-rule (5) it would be abundantly clear that any order of suspension including deemed suspension under sub-rule (2) shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so. In other words, where a government servant is placed under suspension by specific order under sub-rule (1) of Rule 49A or is treated under deemed suspension under sub-rule (2), the suspension remained in force until modified or revoked by the authority competent to do so. Sub - clause (b) empowers the competent authority to direct, for reasons to be recorded in writing, that the suspension may continue till termination of all or any of such proceedings. Clause (c) provides safeguard to the government servant against continuation of suspension by conferring power on the competent authority which has made the order or superior authority, to modify or revoke the suspension. It is relevant to mention here that executive instructions have been issued under which suspension of a government servant on the ground of pendency of criminal case may be reviewed after two years. If in the opinion of the government/ competent authority there is no likehood of criminal case coming to an end in the near future,

10. While considering the issue of suspension we may usefully, refer to the precedent on the point. In the Management of Hotel Emperial Vs. Hotel Workers Union, AIR 1959 SC 1342, the Court observed that the power of the employer to suspend an employee under the ordinary law of master and servant in the sense of a right to forbid a servant to work, is an implied term in an ordinary contract between master and servant and such a power can only be the creature either of a statute governing the contract, or an express term in the contract itself. Ordinarily, therefore, the absence of such power either as an express term in the contract

or in the rules framed under some statute would mean that the master would have no power to suspend a workman and even if he does so he will have to pay wages during the so-called period of suspension. These observations however were diluted, if we may say so. Later in the case of T Gajee Vs. Un Jormanik Sien and another, AIR 1961 SC 276, wherein the observation "Power to suspend, in the sense of a right to forbid a servant to work, is not an implied term in an ordinary contract between master and servant." Occuring in the Hotel Imperial case (Supra) was explained as not laying down that master could not forbid the servant from working while he was enquiring into his conduct with a view to remove him from service. It would be useful to quote the relevant observation in the latter case as under :-

"But that case did not lay down that the master could not forbid the servant from working while he was inquiring into his conduct with a view to removing him from service. It was specifically said there that if the master does so, namely forbids the servant to work and thus in fact suspends him as an interim measure he will have to pay the wages during the period of interim suspension. These wages or payment for the work done or emolument of the office held could not be withheld in whole or in part unless there is power to make an order of interim suspension either in the conduct of employment or in the statute or the rules framed thereunder. The effect of that decision is that in the absence of such power the master can pass an order of interim suspension but he will have to pay the servant according to the terms of contract between them."

Again, in the case of R.P. Kapur Vs. Union of India & Anr. AIR 1964 SC 787, the Supreme Court observed :—

"An order of interim suspension could be passed against the employee while inquiry was pending into his conduct even though there was no specific provision to that effect in his terms of appointment or in the rules."

11. Though we find it difficult to accept the submission of the learned standing counsel that rules 99 or 100 do not confer power of suspension and that they merely deal with the question of pay/allowance, we find force in his submission that rule-49A would operate to the exclusion of rules 99 or 100 of the service code. It is to be kept in mind that rule 49A was inserted in the Rules by amendment on 8.8.1973. As the said rule specifically provides for continuation of suspension "Until it is modified or revoked by the authority competent to do so" under sub-rule (5) (a), it is difficult to accept the submission of the Counsel that the petitioner's suspension came to an end on the date of his release on bail i.e. 30.1.2001 in terms of Rule 99 of the Service Code. May be, as observed above, sub-rule (2) contains provisions which are akin to Rule 99 but in view of the provisions of sub-rule (5) (a) the suspension has to be held as continuing until it is modified or revoked by the competent authority. By virtue of clause (c) of the sub-rule it is open to the petitioner to apply for modification or revocation of the order in terms of the said clause read with the relevant circular on the point. It goes without saying that as and when such application is made the same will receive due consideration by the competent authority and appropriate order will be issued in accordance with law.

12. In the result, we find no merit in this writ petition, which is accordingly dismissed but without any order as to costs.

Sd/- S. N. Jha, J

Sd/- B.N.P. Singh, J

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2003

संख्या–16 / सं०सं०–6–04 / 2002–का० 1772 / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं०–1293 दिनांक 17.07.2003 के द्वारा बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935 के नियम–4 में प्रतिस्थापित परन्तुक के फलस्वरूप सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय सहायक संयुक्त संवर्ग के दण्डित सहायकों एवं प्रशाखा पदाधिकारियों को दिये गये दण्ड की अपील की सुनवाई के लिए सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार को प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार
चन्द्र मोहन प्रसाद
सरकार के उप सचिव

संख्या–16 / सं०सं०–6–04 / 2002–का० 1772 पटना–15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2003

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित किया जाता है कि अधिसूचना का प्रकाशन बिहार राजपत्र में कृपया कराई जाय।

चन्द्र मोहन प्रसाद
सरकार के उप सचिव

संख्या–16 / सं०सं०–6–04 / 2002–का० 1772 पटना–15, दिनांक 09 दिसम्बर, 2003

प्रतिलिपि– महाधिवक्ता, बिहार, पटना / सदस्य, राजस्व पर्षद, पटना / श्री एस० जे० रहमान, जी०पी०–7, पटना उच्च न्यायालय, पटना / सभी विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्ष / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी एवं सहायकों को सूचनार्थ प्रेषित।

चन्द्र मोहन प्रसाद
सरकार के उप सचिव

सत्यमेव जयते
बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ 1926 (श०)

(सं० पटना 299) पटना सोमवार, 14 जून 2004

सं0 3 एम 1–10/2002–7979

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

6 नवम्बर 2003

विषय :– राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गों/पदों के पदाधिकारियों/कर्मियों को दी जानेवाली प्रोन्नति की प्रक्रिया का सरलीकरण–मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग आदि से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन की अधियाचना के संबंध में।

राज्य असैनिक सेवाओं/संवर्गों में दी जानेवाली प्रोन्नति के पूर्व निगरानी विभाग से स्वच्छता प्रमाण–पत्र की अधियाचना और स्वच्छता प्रमाण–पत्र की मान्यता की अवधि मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के ज्ञाप संख्या 4010/81–1709 दिनांक 2 दिसम्बर 1982 एवं ज्ञापांक नि०वि० 4445/85–4609, दिनांक 1 नवम्बर 1985 में निरूपित है। प्रोन्नति में विलम्ब के कारणों को दूर करने और प्रोन्नति की प्रक्रिया सरल बनाने पर विचारार्थ दिनांक 15 अक्टूबर 2001 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में विचारोपरान्त कतिपय अनुशंसायें की गईं। उन अनुशंसाओं में मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग से स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी शामिल है।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय में जानकीरमण के मामले में पारित आदेश के आलोक में राज्यकर्मियों के लिए भी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा संकल्प संख्या 7457 दिनांक 11 सितम्बर 2002 निर्गत किया गया है। तदनुसार सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और विभागीय प्रोन्नति समिति उक्त संकल्प में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विचार करेगी :–

(क) निलंबन

(ख) अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप–पत्र निर्गत किया गया हो, एवं

(ग) किसी आपराधिक आरोप के लिये फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लम्बित हो (आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लम्बित समझी जायेगी जिस तिथि को न्यायालय में अभियोग–पत्र समर्पित किया गया हो)।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 10 (1) (क) के तहत नोटिस निर्गत होने पर भारत संघ बनाम के० बी० जानकीरमण के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये न्यायादेश के अनुसार मुहरबंद लिफाफा का मामला माना जायेगा, अतः लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1) (क) के तहत निर्गत नोटिस का भी कुप्रभाव सरकारी सेवक की प्रोन्नति पर पड़ेगा।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सरकारी कर्मियों के निगरानी स्वच्छता के संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी विभाग/कार्यालय अपने यहाँ संबंधित विभाग/कार्यालय के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग/पदसमूह के लिए एक–एक पंजी संधारित करें जिसमें विभागीय कार्यवाही, विभिन्न थानों तथा निगरानी विभाग में दर्ज प्राथमिकी समर्पित चार्जशीट एवं लोकायुक्त कार्यालय से लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत की गई नोटिस और/अथवा अनुशंसाएँ संबंधी सूचनाएँ हों। विभाग/कार्यालय में उपलब्ध इन सूचनाओं के आधार पर विभागीय पदाधिकारियों के संबंध में प्रशासी विभाग निगरानी स्वच्छता (Vigilance clearance) निर्धारित करें। मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी एवं जुलाई में संबंधित प्रशासी विभाग को वैसे पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज है एवं चार्जशीट समर्पित हुई है। इसी सूची के आधार पर विभाग/कार्यालय में संधारित पंजी को अद्यतन कर लिया जाएगा। इसी प्रकार लोकायुक्त कार्यालय से भी जनवरी एवं जुलाई माह में लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त नोटिस और/अथवा अनुशंसाओं की अद्यतन सूचना प्राप्त कर विभाग में संधारित पंजी अद्यतन कर ली जायेगी।

4. राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत संकल्प/पत्र/अनुदेश तदनुसार इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

5. यह संकल्प तुरंत लागू होगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग/लोकायुक्त कार्यालय को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
के० ए० एच० सुब्रहमणियन्
सरकार के मुख्य सचिव

पत्रांक–3/सी–114/2003 का०–7820

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री के० ए० एच० सुब्रहमणियन्,

मुख्य सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

पटना–15, दिनांक 28. 10. 2003

विषय :– आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के मामले में विभागीय कार्यवाही एवं अभियोजन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक तत्कालीन नियुक्ति विभाग के पत्रांक III/आर 1–102/63–ए–10158, दिनांक 23 अगस्त, 1963 के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि उक्त परिपत्र में आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के मामले में कार्रवाई के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया गया था।

माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं० 8196/2003 (सुब्रत बसु बनाम बिहार एवं अन्य) में दिनांक 02.09.2003 को पारित आदेश में अंकित मन्तव्य के आलोक में विचारोपरान्त पाया गया है कि उपर्युक्त परिपत्र की कंडिका (9) का अंतिम वाक्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० (सी०) नं० 684/1995 से उद्भुत सिविल अपील सं० 2992/1995 [डिपुटी डाइरेक्टर ऑफ कॉलेजियेट ऐडुकेशन (एडमिनिस्ट्रेशन) मद्रास बनाम एस० नागूर मीरा] में दिनांक 24.02.1995 को पारित नियमन (ए०आई०आर० 1995 सुप्रीम कोर्ट 1364) के आलोक में विलोपित करने योग्य हो गयी है। अतः उपर्युक्त परिपत्र की कंडिका (9) के निम्नांकित अंतिम वाक्य को विलोपित किया जाता है:–

"But an appeal being continuation of the trial, action under this proviso should not be taken until (1) the criminal appeal has been disposed of or (2) the time limit for filing an appeal has expired."

उपर्युक्त रूप में विलोपन के पश्चात् उपर्युक्त पत्रांक III/आर 1–102/63–ए–10158 दिनांक 23 अगस्त, 1963 की कंडिका (9) संशोधित होकर निम्नांकित रूप में प्रभावी रहेगी :–

वर्त्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
(9) Under proviso (a) to Article 311 (2) of the Constitution a Government servant may be dismissed or removed or reduced in rank without being put through departmental proceedings on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge. Government desire that this proviso should be fully utilized. But an appeal being continuation of the trial, action under this proviso should not be taken until-(1) the criminal appeal has been disposed of or (2) the time limit for filing an appeal has expired.	(9) Under proviso (a) to Article 311(2) of the Constitution a Government servant may be dismissed or removed or reduced in rank without being put through departmental proceedings on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge. Government desire that this proviso should be fully utilized.

विश्वासभाजन,

के०ए०एच० सुब्रहमणियन्

मुख्य सचिव ।

पत्रांक–3/एम०–54/2001 का०–484

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री नितेन चन्द्र,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 23 जनवरी, 2003

विषय :– चेतावनी एवं निन्दन का सरकारी सेवकों की प्रोन्नति आदि पर पड़नेवाला कुप्रभाव–चेतावनी एवं निन्दन में अन्तर के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या–12/वि–1013/81–5502 दिनांक 17.05.82 एवं संकल्प संख्या–2475 दिनांक 28.02.86 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये निदेशानुसार कहना है कि चेतावनी एवं निन्दन का सरकारी सेवकों की प्रोन्नति आदि पर पड़ने वाले कुप्रभाव के संबंध में उपर्युक्त संकल्पों के तहत लिये गये निर्णयों के बावजूद कतिपय विभागों में चेतावनी एवं निन्दन के संदर्भ में भ्रम की स्थिति है। अतः चेतावनी एवं निन्दन में अन्तर को अधोलिखित कंडिकाओं में स्पष्ट किया जाता है :–

(I) उल्लेखनीय है कि अनुशासन एवं अपील संबंधी विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य नियमावलियों के प्रावधानानुसार "निन्दन" लघुदण्ड की श्रेणी में आता है और अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी औपचारिक कार्रवाई के फलस्वरूप दिया जाता है। "निन्दन" का दण्ड देने का आशय यह सूचित करने से है कि संबंधित व्यक्ति को जिस आरोपित कार्रवाई का दोषी पाया गया है उसके लिये उसे औपचारिक प्रक्रिया के तहत (अर्थात् संबंधित नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए) संबंधित नियमावली में विहित सजाओं में से एक (अर्थात निन्दन) की सजा दी गयी है। इस प्रकार निन्दन बाकायदा एक वैधानिक सजा है। इसकी प्रविष्टि संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी की चरित्र–पुस्त में की जाती है और इसका असर उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिये उसके विचार योग्य पाये जाने या उसकी मेधा का आकलन करने पर पड़ता है।

(II) दूसरी ओर ऐसे अवसर आ सकते हैं जब पदाधिकारी को उनके अधीनस्थ पदाधिकारी/कर्मचारी को उसकी लापरवाही, अभिरुचि का अभाव, कार्य में विलम्ब आदि कारणों से, आलोचना करने की आवश्यकता आ पड़े। ऐसी आलोचना "मौखिक" या "लिखित" चेतावनी देकर की जा सकती है ताकि पदाधिकारी/कर्मचारी के कार्यों में सुधार आ सके। साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि किसी आरोप के लिये अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया अर्थात् स्पष्टीकरण पूछने पर उसकी जाँच के बाद यह निष्कर्ष निकले कि "निन्दन" की सजा देने के बजाय आरोपित व्यक्ति को 'चेतावनी' देना पर्याप्त है। ऐसी हालत में जो 'चेतावनी' दी जाती है उसकी प्रविष्टि चरित्र–पुस्त में की जानी चाहिये। परन्तु चरित्र–पुस्त में प्रविष्टि हो जाने से ऐसी 'चेतावनी' 'निन्दन' में परिवर्तित नहीं हो सकती है। हालाँकि ऐसी चेतावनी का

असर पदाधिकारी/कर्मचारी की मेधा या उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिये उसके विचारयोग्य होने पर पड़ता है। ऐसी "चेतावनी" "निन्दन" नहीं हो सकती है, क्योंकि "चेतावनी" देते समय उसे "निन्दन" के योग्य नहीं पाया गया था। यदि किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की चरित्रपुस्त में 'दो चेतावनियों' की प्रविष्टि हो तो, वर्णित कारणों से, ऐसी चेतावनियाँ 'निन्दन' में परिवर्तित नहीं मानी जा सकती हैं और न ही वे 'एक निन्दन' के समान हो जा सकती हैं। परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नहीं होता है कि पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध चाहे कितनी भी चेतावनियाँ चरित्रपुस्त में दर्ज हो जाय। चेतावनियाँ प्रतिकूल अभ्युक्तियों का काम करती हैं। यदि चेतावनी के बावजूद कार्य में सुधार नहीं आ पाता है तो प्रतिवेदक/समीक्षी पदाधिकारी तदनुसार अभ्युक्ति लिखने हेतु सक्षम होते हैं।

कृपया उपर्युक्त वस्तुस्थिति से अपने अधीनस्थों को अवगत करा दें।

विश्वासभाजन
नितेन चन्द्र
सरकार के अपर सचिव।

---

[35]

पत्र संख्या–3/एम० 1–07/2002 का0–2182

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री कुमार लाल देव,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष।

पटना–15, दिनांक 04 मार्च, 2002

विषय :– असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 57 (5) के अन्तर्गत दायर अपील के निष्पादन की प्रक्रिया के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक–सी०एस०1/आ० 1–101/00–2326 दिनांक 24.12.2001 की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इसके साथ संलग्न कर भेजी जाती है।

विश्वासभाजन
कुमार लाल देव
सरकार के अपर सचिव।

पटना 15, दिनांक 04.03.02

संख्या–2182

प्रतिलिपि– कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कुमार लाल देव
सरकार के अपर सचिव।

पत्रांक–सी०एस 1/आ० 1–101/00–2326

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक,

श्री गिरीश शंकर,

सरकार के सचिव।

सेवा में,

सचिव,

कार्मिक एवं प्र०सु० विभाग,

बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 24 दिसंबर, 2001

विषय :– असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम 57 (5) के अन्तर्गत दायर अपील के निष्पादन की प्रक्रिया के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग में सूचित करना है कि सरकार ने असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 57 (5) के अंतर्गत दायर अपील के निष्पादन की प्रक्रिया निम्न प्रकार निर्धारित की है :–

(क) यदि मूल सजा मंत्रिपरिषद् के स्तर से स्वीकृत हो तो अपील पर विभागीय संलेख के माध्यम से प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के समक्ष रखे जायें। संलेख में अपील में उठाये गये सभी विन्दुओं के संबंध में विवेचना हो। मंत्रिपरिषद् के निर्णय पर आधारित अनुशंसा महामहिम राज्यपाल को भेजी जाय।

(ख) जिन मामलों में माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से ही दंड की स्वीकृति हुई हो, वैसे मामलों में अपील आवेदन पर विभागीय संलेख के माध्यम से प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के समक्ष विचाराधीन रखा जाय। मंत्रिपरिषद् के निर्णय को ही अपील का निष्पादन माना जाय।

विश्वासभाजन

गिरीश शंकर

सरकार के सचिव।